



पर्यावरण अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी  
पर  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



संघ सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
2016 का प्रतिवेदन संख्या 39  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

पर्यावरण अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी  
पर  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
2016 का प्रतिवेदन संख्या 39  
(निष्पादन लेखापरीक्षा)



## विषय सूची

विषय सूची		पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सार	v
	सिफ़ारिशें	xi
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	पर्यावरण अनापत्ति देने की प्रक्रिया	9
अध्याय 3	सामान्य पर्यावरण अनापत्ति शर्तों का अनुपालन	43
अध्याय 4	विशिष्ट पर्यावरण अनापत्ति शर्तों का अनुपालन	61
अध्याय 5	परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी	89
अध्याय 6	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में परियोजनाओं की निगरानी	97
अध्याय 7	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पश्च पर्यावरण अनापत्ति की निगरानी	105
अध्याय 8	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी	113
	अनुबंध	123
	संकेताक्षर	151



पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) भारत की पर्यावरणीय तथा वानिकी नीतियों तथा कार्यक्रमों की योजना, उन्नति, समन्वय तथा निरीक्षण करने के लिए नोडल एजेंसी है। पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता की स्वीकृति में एमओईएफएण्डसीसी ने विभिन्न नियामक तथा प्रोत्साहक उपाय किए हैं जो पर्यावरण प्रभाव निर्धारण और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए अनापत्ति की प्रक्रियाओं की स्थापना शामिल करते हैं। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण व्यवस्थित रूप से प्रस्तावित परियोजनाओं के लाभकारी तथा प्रतिकूल परिणामों दोनों की जांच करता है और सुनिश्चित करता है कि ये प्रभाव परियोजना डिजाइन के दौरान ध्यान में रखे जाते हैं।

‘पर्यावरण अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा जांच करती है कि क्या ईसी की मंजूरी की प्रक्रिया कैलेंडर वर्ष 2011 से जुलाई 2015 तक के दौरान दिये गए पर्यावरण अनापत्तियों और कैलेंडर वर्ष 2008 से 2012 के दौरान दिए गए पर्यावरण अनापत्तियों की संबन्धित एजेंसियों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन की निगरानी के संबंध में सामयिक और पारदर्शी रीति में की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पता चला की पर्यावरण प्रभाव निर्धारण विभिन्न प्रक्रियात्मक कमियों से पीड़ित है। जिसके कारण पर्यावरण अनापत्ति देने में विलंब होते हैं। प्रत्येक परियोजना पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के लिए अकेले रूप में मानी गई थी परंतु संचयी प्रभाव अध्ययन/निर्धारण की कमी पाई गई थी। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन की कमी हुई थी। हमने पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन में राज्य प्रदूषण बोर्डों/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी में कमजोरियां भी देखीं। नाजुक प्रदूषित क्षेत्रों में निगरानी की कमी हुई थी। पर्यावरण अनापत्ति देने और इसकी निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया को देखने के लिए राष्ट्रीय नियामक एमओईएफएण्डसीसी द्वारा विचाराधीन है।

हम आशा करते हैं कि संसद के समक्ष रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार यह प्रतिवेदन पर्यावरण अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी की प्रक्रिया का सुधार करने में योजनाकारों तथा प्रशासकों की सहायता करेगा।



## कार्यकारी सार

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, योजना के आरम्भिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण चिंताओं को समाकलित करने का एक योजना यंत्र है। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 1994 की अपनी अधिसूचना, जो सितम्बर 2006 में संशोधित की गई थी, के माध्यम से कुछ विकासीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति को अनिवार्य कर दिया था।

‘पर्यावरणीय अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी’ की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करने का प्रयास करा है कि क्या पर्यावरणीय अनापत्ति देने की प्रक्रिया और निर्धारित प्रक्रिया के साथ उसका अनुपालन सामयिक और पारदर्शी रीति में किया जाता है और कि क्या परियोजना प्रस्तावक, पर्यावरणीय निर्बाधनों की शर्तों का अनुपालन करते हैं।

हमने मंत्रालय में, संन्दर्भ शर्तों तथा पर्यावरणीय अनापत्ति देने की प्रक्रिया की जांच करने के लिए 216 परियोजनाओं, जिन्हें कलेण्डर वर्ष 2011 से जुलाई 2015 के बीच पर्यावरणीय अनापत्ति दिए गए थे तथा पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति निगरानी की जांच करने के लिए 352 परियोजनाओं जिन्हें कलेण्डर वर्ष 2008 से 2012 के बीच पर्यावरणीय अनापत्ति दिए गए थे, का निरीक्षण किया।

### पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया

मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं के डाटाबेस में विसंगतियां देखी गईं जैसे कि आरम्भ में राष्ट्रीय सूचना सेल से प्राप्त आकड़े (अगस्त 2015) और जो अक्टूबर 2016 में बाद में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गईं। वहाँ कुछ विसंगतियाँ थीं जैसे कि वर्ग ‘बी’ परियोजनाओं का वर्ग ‘ए’ परियोजनाओं के साथ शामिल करना, क्षेत्रीय गलत वर्गीकरण, परियोजनाओं के स्थान को गलत दर्शाना, डेटाबेस में ईआईए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लिया गया समय शामिल नहीं था।

(पैराग्राफ 2.2)

पर्यावरणीय अनापत्ति देने की प्रक्रिया में संन्दर्भ शर्तों, लोक परामर्श, पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट का निर्धारण तथा मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति देना शामिल है। 216 परियोजनाओं में से केवल 14 प्रतिशत परियोजनाओं में 60 दिनों की निर्धारित समयसीमा के अंदर संन्दर्भ शर्त दिया गया था, जबकि अन्य में 365 दिनों तक विलम्ब हुए थे। 11 प्रतिशत मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति 105 दिनों की निर्धारित समयसीमा के अंदर दिया गया था, जबकि अन्य परियोजनाओं में विभिन्न चरणों जैसे अंतिम



पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों की संवीक्षा, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन के मुल्यांकन, सक्षम अधिकारी के समक्ष विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों तथा परियोजना प्रस्तावकों के बारे में मंत्रालय का निर्णय देने जैसे विलम्ब हुए थे।

(पैराग्राफ 2.3)

25 प्रतिशत मामलों में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्टों ने सन्दर्भ शर्तों का पालन नहीं किया था तथा 23 प्रतिशत मामलों में उन्होंने रिपोर्ट की सामान्य संरचना का भी पालन नहीं किया था। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व संचयी प्रभाव अध्ययनों को अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं बनाया गया था, इससे क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का पता ही नहीं था। मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी करने में नियत प्रक्रिया का पालन नहीं किया था और जो कार्यालय ज्ञापन जारी हुए थे वे मूल अधिसूचना के प्रावधानों को और कमजोर करते थे।

(पैराग्राफ 2.5, 2.6 तथा 2.7)

मंत्रालय ने स्वतंत्र, उद्देश्यपरक तथा पारदर्शी मूल्यांकन और पर्यावरणीय निर्बाधनों के लिए परियोजनाओं के अनुमोदन तथा पर्यावरणीय निर्बाधनों में निर्धारित शर्तों के कार्यावयन की निगरानी करने के लिए जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2011 में विचार दिया था, राष्ट्रीय स्तर पर नियामक की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है।

(पैराग्राफ 2.11)

एक ही जैसी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय संदर्भ शर्तों तथा निर्बाधनों में समानता नहीं थी। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अप्राधिकृत सलाहकारों द्वारा तैयार की गई पाई गई थीं।

(पैराग्राफ 2.12 तथा 2.13)

अंतिम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट/पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में समयबद्ध रीति में अपने वचनबद्धताएं पूरी करने एवं सुनिश्चित करने तथा स्थानीय लोगों की चिंताएं शामिल करने हेतु परियोजना प्रस्तावकों के पास कोई प्रावधान नहीं था। लोक सुनवाई प्रक्रिया में कोरम तथा लोक सुनवाई प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रेजीडेंसी की अर्हता नहीं थी। लोक सुनवाई के दौरान पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा की गई वचनबद्धताओं की निगरानी नहीं की गई इसके अलावा लोक सुनवाई के दौरान व्यक्त किए गए संदेहों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टों में शामिल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.14)

### पर्यावरण अनापत्ति की सामान्य शर्तों का अनुपालन

13 सामान्य पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के संबंध में, परीक्षित परियोजनाओं में, अनुपालन चार से 56 प्रतिशत के बीच था।

(पैराग्राफ 3.1)

पर्यावरण प्रबंधन योजना कार्यकलापों (26 प्रतिशत मामलों), उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों (20 प्रतिशत मामलों) तथा हरित पट्टी के विकास (47 प्रतिशत मामलों) पर व्यय में कमी हुई थी। पर्यावरण प्रबंधन योजना लागू करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना 64 प्रतिशत मामलों में बनाई ही नहीं गई।

(पैराग्राफ 3.2 तथा 3.4)

56 प्रतिशत मामलों में पेड़ काटने के लिए परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। 19 प्रतिशत मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भूजल उपयोग किया गया। 10 प्रतिशत मामलों में पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के बाद कार्य का स्कोप ही बदल दिया गया।

(पैराग्राफ 3.5, 3.6 तथा 3.7)

19 प्रतिशत मामलों में वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट परियोजना प्रस्तावकों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समीतियों को प्रस्तुत नहीं की गई तथा सात प्रतिशत मामलों में पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी से पहले ही निर्माण/प्रचालन आरम्भ कर दिये गये।

(पैराग्राफ 3.8 तथा 3.9)

### पर्यावरण अनापत्ति की विशेष शर्तों का अनुपालन

18 विशेष पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के संबंध में परीक्षित परियोजनाओं का अनुपालन 5 से 57 प्रतिशत के बीच था।

(पैराग्राफ 4.1)

57 प्रतिशत मामलों में वनस्पति तथा जंतुओं के संरक्षण की कार्ययोजना की तैयारी तथा अनुरक्षण की कमी थी। 29 प्रतिशत मामलों में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण नहीं किया गया था। 22 प्रतिशत मामलों में परियोजनाओं द्वारा प्रभावित लोगों के लिए सहत तथा पुनर्वास में कमी देखी गई थी।

(पैराग्राफ 4.5, 4.8 तथा 4.10)

33 प्रतिशत मामलों में फ्लाइएश का अनुचित भण्डारण देखा गया था। उत्पन्न फ्लाइएश का उपयोग न करना भी 21 प्रतिशत मामलों में देखा गया था।

(पैराग्राफ 4.13 तथा 4.16)

निर्देश कुड़ा डम्पिंग स्थानों में कुड़े का समेकन तथा संकलन 33 प्रतिशत मामलों में नहीं किया गया था। सिंचाई परियोजनाओं में जलसंग्रहण क्षेत्र संसाधन का कार्यावयन 56 प्रतिशत मामलों में नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.17 तथा 4.20)

### परियोजना प्रस्तावकों द्वारा ईसी के अनुपालन की निगरानी

98 परियोजनाओं में पर्याप्त जनशक्ति के साथ अलग निगरानी कक्ष स्थापित करने का अनुपालन हुए थे। 71 परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी में कमियां हुई थीं। 201 परियोजनाओं में तीसरी पार्टी/एजेंसियों द्वारा निगरानी में अपर्याप्ताएं हुई थीं।

(पैराग्राफ 5.2, 5.4 तथा 5.5)

### गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की कार्य योजना

मंत्रालय ने व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक संगणित करने के लिए तीसरी पार्टी के माध्यम से गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में द्विवार्षिक पर्यावरणीय गुणवत्ता निगरानी नहीं की थी।

(पैराग्राफ 6.2)

पांच राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों ने कार्ययोजनाएं तैयार नहीं की थीं तथा आठ राज्यों ने कार्य योजनाओं के कार्यावयन की निगरानी नहीं की थी। 10 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा कार्य योजना के कार्यावयन की तीसरी पार्टी निगरानी नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 6.3 तथा 6.7)

### मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ईसीज के अनुपालन की निगरानी

41 की संस्वीकृत संख्या के एवज में पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों की निगरानी करने के लिए केवल 15 वैज्ञानिक उपलब्ध थे। क्षेत्रीय कार्यालयों को दोषी पीपीज के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं तथा उन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों के उल्लंघन को मंत्रालय को सूचित करने पड़ते थे।

(पैराग्राफ 7.5 तथा 7.6)

मंत्रालय के पास उसके द्वारा प्राप्त मामलों जहां क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उल्लंघन सूचित किए गए का डाटाबेस नहीं था गत दो वर्षों में पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों का उल्लंघन करने के लिए मंत्रालय द्वारा शास्ति नहीं लगाई गई थी।

(पैराग्राफ 7.8)

## राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा पर्यावरणीय अनापत्तियों के अनुपालन की निगरानी

पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति निगरानी से संबन्धित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना 2006 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघराज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों को सुस्पष्ट उत्तरदायित्व नहीं सौंपे गए थे।

(पैराग्राफ 8.2)

11 मामलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियां यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं थी कि परियोजनाएं स्थापित करने की क्या वैध सहमति थी तथा क्या चार मामलों में प्रचालन की सहमति बिना चल रही थी।

(पैराग्राफ 8.4)

24 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों के पास पर्याप्त निधियां होने के बावजूद निगरानी करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा जनशक्ति नहीं थीं।

(पैराग्राफ 8.6)

## उपसंहार

पर्यावरणीय अनापत्ति देने की वर्तमान प्रक्रियाएं विभिन्न प्रक्रियात्मक कमियों से ग्रसित थीं। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विलम्ब थे। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के लिए प्रत्येक परियोजना एकल परियोजना के रूप में मानी जाती है परन्तु संचयी पर्यावरण प्रभाव नियंत्रण, जो पर्यावरण पर प्रभाव मूल्यांकन करने में निर्णायक है, में ये कमी पाई गई थी। मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति की परियोजनाओं के डाटाबेस जो आरंभ में राष्ट्रीय सूचना कक्ष से प्राप्त हुए और जो बाद में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए, में अंतर थे। पर्यावरणीय अनापत्ति देने और निगरानी की सम्पूर्ण प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बावजूद एक राष्ट्रीय नियामक अभी नियुक्त किया जाना है। पूर्व पर्यावरणीय निर्बाधनों में उल्लिखित शर्तों और क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिशों के अनुपालन की जांच किए बिना परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरणीय अनापत्ति दिए गए।

मंत्रालय ने बन्द/अपरिचालित परियोजनाओं की सूचनाएँ संकलित नहीं की जिसने मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों तथा परियोजना प्रस्तावकों के बीच खराब समन्वय था। अंतिम पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट/ईसी पत्र में जनता की चिंताओं के समाधान तथा समयवद्ध रीति में लोक परामर्श के दौरान पीपी द्वारा की गई वचनबद्धताओं के कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का स्थायी तंत्र नहीं था। इसके अलावा लोक सुनवाइयाँ आयोजित करने में भी कमियाँ देखी गईं।

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय निर्बाधनों में निर्धारित 13 सामान्य शर्तों के अनुपालन में कमियाँ थी। देखे गए गैर अनुपालन में पर्यावरण प्रबंधन योजना वचनबद्धताओं को पूरा न करना, पर्याप्त हरी पट्टी न बनाना, उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत कार्यकलाप, अपेक्षित अनुमोदनों बिना परियोजनाओं के क्षेत्र में परिवर्तन और पर्यावरणीय अनापत्ति की अनुमति के पहले निर्माण/प्रचालन आरंभ करना था।

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय निर्बाधनों में निर्धारित 18 विशेष शर्तों के अनुपालन में कमियाँ थी। देखे गए गैर अनुपालन में आपातकाल तैयारी योजना तैयार और लागू न करना, वनस्पति तथा जंतुओं के संरक्षण कार्य योजना के लिए निधियों का आवंटन न करना, राज्य वन तथा वन्यजीव विभाग से परामर्श न करना, परियोजना परिसरों में बहिःस्त्राव संसाधन संयंत्र तथा सीवेज संसाधन संयंत्र प्रतिष्ठापित न करना, व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू न करना आदि थे। ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश के भंडारण की पर्यावरण रूप से सुरक्षित रूप से उसका का अनुपालन नहीं किया गया था, अनुमत राख मात्रा से अधिक के कोयला का उपयोग किया जा रहा था, फ्लाई ऐश का पलायक उत्सर्जन उचित प्रकार से नियंत्रित नहीं किया गया था और उत्पन्न फ्लाई ऐश का पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा रहा था। पर्यावरणीय निर्बाधनों में उल्लिखित शर्तों के बावजूद परियोजना प्रस्तावकों ने पर्यावरणीय मानकों की अल्प निगरानी की। मंत्रालय/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फर्मों को, आन्तिम रूप न देने न करने के कारण गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी आरंभ नहीं की थी। परियोजना प्रस्तावक अपनी वेबसाइट पर अर्द्धवार्षिक अनुपालना रिपोर्ट अपलोड नहीं कर रहे थे। सभी क्षेत्रिय कार्यालयों में वैज्ञानिकों की संस्वीकृत संख्या की तुलना में पदस्थ व्यक्तियों के बीच व्यापक अंतर था।

दोषी परियोजना प्रस्तावकों के खिलाफ कार्यवाही हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों को अधिकारों का प्रत्यायोजन नहीं किया गया था। विगत दो वर्षों में पर्यावरणीय निर्बाधनों का उल्लंघन के मामलों पर मंत्रालय द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के द्वारा स्पष्ट रूप से दायित्व न सौंपने के कारण उन्होंने पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात की जाने वाली निगरानी नहीं की।

### सिफारिशें

ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- i. एमओईएफएंडसीसी डाटाबेस के पुनर्वैधीकरण के लिए एनआईसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करे और उन परियोजनाओं की सही तस्वीर पर पहुँचे जिनको मंत्रालय द्वारा ईसी दिए गए हैं।
- ii. ईसी देने में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफएंडसीसी को ईआईए के अधिसूचना के अनुसार समय सीमा का पालन करने के साथ प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाए।
- iii. एमओईएफएंडसीसी को ईआईए रिपोर्टों की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे टीओआर के अनुसार हैं, सामान्य ढांचे का पालन करती हैं, बेसलाइन डाटा सही है और लोक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।
- iv. एमओईएफएंडसीसी कार्यालय जापनों का सहारा लेने के बजाय, सभी भागीदारों को शामिल करके, कानूनी प्रक्रियाएँ अपनाकर ईआईए की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करे और ईआईए अधिसूचना में उचित संशोधन करे।
- v. एमओईएफएंडसीसी केवल पिछले ईसी की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करने के बाद ही पीपी को नए सिरे से ईसी प्रदान करें।
- vi. एमओईएफएंडसीसी अपने कोयला लिंकड खान ताप तथा धातुकर्म परियोजनाओं के ईसी के लिए जारी परिपत्र 2010 का पालन करे ताकि निश्चित कोयला लिंकेज (संधि) उपलब्ध हो और कोयला स्रोतों यानि जुड़ी कोयला खान/कोयला ब्लॉक की पर्यावरण तथा वानिकी मंजूरी ज्ञात हो।
- vii. एमओईएफएंडसीसी समान प्रकार की परियोजनाओं में असमानता से बचने के उद्देश्य से ईसी की शर्तें परियोजना की प्रकृति तथा प्रकार के अनुरूप बनाने पर विचार करे।
- viii. ईआईए रिपोर्टों/ईसी पत्रों में उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा के साथ ईएमपी तथा ईएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों की लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

- ix. एमओईएफएण्डसीसी पश्च ईसी देने के बाद तीसरी पार्टी से मूल्यांकन के साथ वन/कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र और लगाई जाने वाली प्रजातियों पर ईएमपी/ईसी शर्त (तैं) अधिक विशिष्ट करने पर विचार करें।
- x. एमओईएफएण्डसीसी भूजल निकालने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड/राज्य एजेंसियों को प्रत्येक परियोजना पर जारी ईसी पत्र की एक प्रति भेजने पर विचार करें।
- xi. एमओईएफएण्डसीसी ईसी में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की सख्ती से समय-समय पर निगरानी के लिए आरओ, सीपीसीबी, एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के समन्वय से से रणनीतियाँ बनाएँ।
- xii. एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी परियोजना के ईसी में लगाई शर्तों की निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें तथा पर्यावरण विवरणों की कुछ प्रतिशत जांच के लिए अनुसूची विकसित करने पर विचार करें।
- xiii. एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरणीय प्राचलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावक द्वारा लगाए जाने वाले पद/पदों के नाम तथा संख्या उल्लिखित करने हेतु उचित शर्त लाने पर विचार करें।
- xiv. एमओईएफएण्डसीसी निगरानी केन्द्रों के प्रतिष्ठापन और वायु, सतही जल, भूजल, ध्वनि आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों की निगरानी की बारंबारता पर अनिवार्य ईसी शर्त लाने पर विचार करें।
- xv. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी के परामर्श से पर्यावरणीय प्राचलों की तीसरी पार्टी से परीक्षण को सत्यापित करने के लिए पीपी के परिसर में एसपीसीबी द्वारा आकस्मिक जांच की प्रणाली आरंभ करने पर विचार करे।
- xvi. एमओईएफएण्डसीसी नियमित अंतरालों पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र की कार्ययोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्शी जारी करें।

- xvii. एमओईएफएण्डसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि अनुपालना रिपोर्टें नियमित रूप से तथा समय से प्राप्त हो और पीपी तथा मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइटों पर अपलोड की जाएं।
- xviii. एमओईएफएण्डसीसी संबन्धित आरओ में वैज्ञानिकों की अपेक्षित संख्या रखने के लिए शीघ्र उपाय करें।
- xix. दोषी पीपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी को आरओ को अधिकार सौंपकर एक प्रणाली बनानी चाहिए।
- xx. एमओईएफएण्डसीसी में एक प्रणाली होनी चाहिए जहाँ आरओ से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्टों को आरओ के समन्वयन में संकलित किया जाएं और लगातार निगरानी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीपी ईसी की शर्तों का पालन करें और कानून के मुताबिक करवाई करें।
- xxi. एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र तथा ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी का उत्तरदायित्व स्पष्टतया सौंपने के तौर तरीके बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करें।
- xxii. एमओईएफएण्डसीसी परियोजना प्रस्तावों को सीटीई तथा सीटीओ देने के बाद आवधिक निगरानी के लिए एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को परामर्शी जारी करें।
- xxiii. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी की अवसंरचना तथा जनशक्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे ताकि क्षेत्राधिकारों में चल रही परियोजनाओं की ईसी शर्तों की उचित निगरानी कर सकें।





अध्याय

1



### 1.1 पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 48 ए तथा अनुच्छेद 51 ए(जी) के द्वारा राज्य तथा सभी नागरिकों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए हैं जो कहता है कि “राज्य पर्यावरण की रक्षा करने एवं सुधार करने तथा देश में जंगलों एवं वन्य जीवों की संरक्षा करने” और “जंगलों, झीलों व नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने तथा उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेगा”।

तेजी से आर्थिक वृद्धि एवं विकास प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों के प्रभाव, जो प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति पर गहरा प्रभाव डालते हैं, को भारत में पर्यावरण संबंधी समस्याओं में से एक माना गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) भारत के पर्यावरण एवं वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने, उन्नयन, समन्वयन तथा देखरेख हेतु एक नोडल एजेंसी है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता का स्वीकार करते हुए, एमओईएफएंडसीसी ने अनेक नियामक एवं उन्नति संबंधी उपाय किए हैं।

### 1.2 पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण अनापत्ति

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग इसकी अनापत्ति के पूर्व किसी परियोजना के पर्यावरण संबंधी प्रभाव की पहचान हेतु की जाती है। ईआईए प्रस्तावित परियोजना के लाभकारी एवं प्रतिकूल परिणामों दोनों की सुव्यवस्थित ढंग से जाँच करता है तथा सुनिश्चित करता है कि परियोजना रूपरेखा के दौरान पर्यावरण संबंधी प्रभाव एवं शमन के उपायों को ध्यान में रखा जाता है। परियोजना योजना चक्र में पर्यावरण संबंधी प्रभावों एवं शमन पर पहले से ही विचार करने के अनेक लाभ हैं जैसे पर्यावरण की रक्षा, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग तथा परियोजना के सम्पूर्ण समय और लागत को बचाना। समुचित ढंग से संचालित ईआईए समुदाय भागीदारी को बढ़ावा देकर संघर्ष को कम करता है, निर्णायकों को सूचित करता है तथा पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत परियोजनाओं के लिए आधार तैयार करने में सहायता भी करता है।

जब योजना आयोग ने तत्कालीन वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग को नदी-घाटी परियोजनाओं की पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण से जाँच करने के लिए कहा तब भारत में ईआईए की शुरुआत 1976-77 में की गई। बाद में उन परियोजनाओं, जिनमें सार्वजनिक निवेश बोर्ड की अनापत्ति आवश्यक थी, को पूरा करने के लिए इसमें विस्तार किया गया। ये प्रशासनिक निर्णय थे एवं इनमें न्यायिक समर्थन का अभाव था। भारत सरकार (जीओआई) ने 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। एमओईएफएंडसीसी ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जनवरी 1994 के अपने अधिसूचना के द्वारा कुछ विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति को अनिवार्य कर दिया। तद्पश्चात, एक दशक की अवधि में पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, एमओईएफएंडसीसी ने सितम्बर 2006 (ईआईए अधिसूचना 2006) में पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना अधिसूचित की।

किसी भी परियोजना शुरु करने से पहले ईआईए उपयोग किया जाएगा, परियोजनाओं की पर्यावरण अनापत्ति देने की प्रक्रिया ईआईए अधिसूचना 2006 में परिभाषित किया गया है। इन चार चरणों में अर्थात् जांच, कार्यक्षेत्र, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन शामिल है। इसका अनुबंध में संक्षिप्तीकरण कर दिया गया है।

### 1.3 परियोजनाओं तथा मूल्यांकन समितियों का वर्गीकरण

ईआईए अधिसूचना 2006 ने परियोजनाओं की प्रारंभिक क्षमता पर आधारित, जैसा कि ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में दिया गया है, परियोजनाओं को दो वर्गों - ए और बी में वर्गीकृत किया है।

ईआईए अधिसूचना 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं अथवा गतिविधियों तथा मौजूदा परियोजनाओं अथवा गतिविधियों का विस्तारण तथा आधुनिकीकरण में संबंधित प्राधिकारियों, जो कि सूची में वर्ग 'ए' के अंतर्गत आनेवाले परियोजनाओं के लिये एमओईएफएंडसीसी तथा राज्य स्तर पर उक्त सूची में वर्ग 'बी' के अंतर्गत आनेवाले परियोजनाओं हेतु राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) है, से पूर्व ईसी आवश्यक होती है।

एमओईएफएंडसीसी ने क्षेत्र विशिष्ट ईएसी की सिफारिशों पर पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की। एमओईएफएंडसीसी द्वारा स्थापित विभिन्न विशिष्ट ईएसी<sup>1</sup> है: (ए) कोयला खनन; (बी) औद्योगिक परियोजनाएं;(सी) मौलिक संरचना तथा विविध परियोजनाएं एवं तटीय नियामक क्षेत्र (सी आर जेड);(डी) खनन परियोजनाएं;(ई) नवीन निर्माण परियोजनाएं एवं

<sup>1</sup> रक्षा परियोजनाओं के लिए एक और ईएसी है। तथापि, रक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा, ईएसी के गठन तथा इस ईएसी की बैठक का कार्यवृत्त सार्वजनिक डोमेन में नहीं रखा जाता है।

औद्योगिक परिसम्पतियाँ;(एफ) परमाणु परियोजनाएं;(जी) नदी घाटी तथा जलविद्युतीय परियोजनाएं; और (एच) थर्मल परियोजनाएं।

एसईआईए ने राज्य अथवा केंद्र राज्य क्षेत्र स्तर के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों पर अपने निर्णय लेती है। राज्य अथवा केंद्र राज्य क्षेत्र स्तर पर एसईएसी का गठन समान संरचना सहित केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से परामर्श के बाद किया जाता है। विधिवत रूप से गठित एसईआईए अथवा एसईएसी की अनुपस्थिति में वर्ग 'बी' परियोजना को वर्ग 'बी' परियोजना के रूप में मूल्यांकन किया जाता है।

ये समितियाँ केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाती हैं और ईआईए अधिसूचना के परिशिष्ट VI में दिए गए पात्रता मापदंड को पूरा करने वाले पर्यावरण गुणवत्ता के क्षेत्र में केवल पेशेवर व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों, परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय विशेषज्ञों, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया विशेषज्ञों, जोखिम मूल्यांकन विशेषज्ञों, वनस्पति एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में जीव विज्ञान विशेषज्ञों, वानिकी तथा वन्य जीवन विशेषज्ञों तथा परियोजना मूल्यांकन में अनुभव प्राप्त पर्यावरण संबंधी आर्थिक विशेषज्ञ से मिलकर बनी होती है।

#### 1.4 एमओईएफएंडसीसी द्वारा प्रदत्त वर्गवार पर्यावरण अनापत्ति

वर्ग ए परियोजनाओं के लिए कैलेंडर वर्ष 2008 से 2015 (जुलाई 2015 तक) के दौरान एमओईएफएंडसीसी द्वारा प्रदत्त क्षेत्रवार पर्यावरण अनापत्ति तालिका 1.1 में दी गई है। इन विवरणों (अगस्त 2015<sup>2</sup>) को एमओईएफएंडसीसी के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) सेल द्वारा प्रदान किया गया। इस पर टिप्पणियों अध्याय 2 के पैरा 2.11 में बताया गया है।

तालिका 1.1: एमओईएफएंडसीसी द्वारा प्रदत्त क्षेत्रवार ईसी

क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 <sup>3</sup>	कुल
कोयला खनन परियोजनाएं	73	60	33	25	25	45	43	39	343
औद्योगिक परियोजनाएं	785	539	295	219	265	233	143	171	2,650
मौलिक संरचना तथा विविध परियोजनाएं एवं सीआरज़ेड	184	110	99	80	123	102	62	84	844
खनन परियोजनाएं (गैर-कोयला)	199	180	85	58	69	87	225	89	992

<sup>2</sup> परियोजनाओं के पर्यावरण अनापत्ति आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए एमओईएफएंडसीसी को बार-बार अनुरोध किया गया था। अक्टूबर 2016 में, एमओईएफएंडसीसी उल्लेख किया है कि क्षेत्रवार और वर्षवार विवरण के बिना 4534 ईसीओ को 2008 से जुलाई 2015 के दौरान दी गई थी।

<sup>3</sup> जुलाई 2015 तक।

क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 <sup>3</sup>	कुल
नव निर्माण तथा औद्योगिक परिसम्पत्ति परियोजना	580	252	139	63	81	209	108	70	1502
परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं	1	1	1	0	4	1	0	0	8
नदी घाटी एवं जलविद्युतीय परियोजनाएं	11	11	10	11	4	10	3	8	68
थर्मल ऊर्जा परियोजनाएं	83	69	75	48	46	15	17	13	366
<b>कुल</b>	<b>1,916</b>	<b>1,222</b>	<b>737</b>	<b>504</b>	<b>617</b>	<b>702</b>	<b>601</b>	<b>474</b>	<b>6,773</b>

क्षेत्रवार, राज्यवार और वर्षवार विवरण आगामी अध्याय में 6773 ईसीओं के शामिल की गयी संख्या पर आधारित है।

### 1.5 संगठनात्मक स्थापना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) की अगुवाई सचिव करता है जो एमओईएफएंडसीसी के प्रभारी मंत्री को रिपोर्ट करता है। एमओईएफएंडसीसी के प्रभाव मूल्यांकन प्रभाग को उद्योग, कोयला खनन तथा मौलिक संरचना/निर्माण, गैर कोयला खनन, नदी घाटी एवं ताप विद्युत क्षेत्रों के विविध परियोजनाओं के मूल्यांकन, का काम सौंपा जाता है। पर्यावरण अनापत्ति तथा स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी का काम सौंपा जाता है। क्षेत्र विशेष ईएसी की सिफारिशों के आधार पर एमओईएफएंडसीसी के मंत्री ईसीओ की अनुमोदित/अस्वीकृत करते हैं। एमओईएफएंडसीसी में निगरानी कक्ष तथा इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना की देखरेख करते हैं। एसपीसीबी/यूटीपीसीसी के साथ सीपीसीबी रोकथाम और पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

### 1.6 पश्च पर्यावरण अनापत्ति की निगरानी

किसी परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जांच के पश्चात, एमओईएफएंडसीसी अनुबंधित पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के अध्याधीन पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करता है। इन सुरक्षा उपायों की पर्याप्त सुनिश्चित करने तथा आवश्यक मध्य-क्रम सुधार करने के लिए, यदि कोई हो तो, एमओईएफएंडसीसी स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी का उत्तरदायित्व लेता है। परियोजना प्रबंधन के लिए अनुबंधित पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों तथा निबंधनों के संदर्भ में संबंधित नियामक अधिकारी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जून तथा 1 दिसम्बर को अर्द्ध-वार्षिक अनुपालना रिपोर्टों की हार्ड तथा सॉफ्ट प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस प्रकार का नवीनतम अनुपालना रिपोर्ट संबंधित नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट पर भी दर्शाई जानी चाहिए।

### 1.6.1 एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय

स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा की जाती है। शुरुआत में, भारत सरकार ने जारी वानिकी विकास परियोजनाओं तथा वन संरक्षण पर विशेष बल सहित योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन करने और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन्य भूमि के व्यपवर्तन से जुड़े प्रस्तावों की तैयारी में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को सलाह देने के लिए 1986 में नई दिल्ली में एक मुख्यालय इकाई सहित बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ तथा शिलोंग में पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की। प्रदूषण नियंत्रण तथा देश में परियोजनाओं एवं गतिविधियों के पर्यावरण प्रबंधन सहित पर्यावरण संबंधी प्रबंधन के सभी पहलुओं से संबंधित बढ़ते कार्य को देखते हुए तथा 2011 में आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखकर बाद में चंडीगढ़ (1988), रांची (2013) एवं देहरादून, नागपुर और चेन्नई (2014-15) में पाँच और क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई। इस प्रकार, कुल 10 क्षेत्रीय कार्यालय एमओईएफएंडसीसी के अधीन कार्य कर रहे हैं।

### 1.6.2 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), एक सांविधिक संगठन जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितम्बर, 1974 में गठित की गई। आगे, वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सीपीसीबी को अधिकार एवं कार्य सौंपे गए। यह क्षेत्र विन्यास के रूप में कार्य करता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के संबंध में मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। सीपीसीबी के प्रधान कार्य, जैसा कि जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974, तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में उच्चारित हैं, (i) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण के द्वारा राज्यों के विभिन्न स्थानों में नदियों तथा कुओं में स्वच्छता को बढ़ावा देना; तथा (ii) वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाना एवं देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रित करना और कम करना। वायु गुणवत्ता निगरानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीपीसीबी के अधिदेशों में से एक जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिकीय आकड़े एकत्र करना, मिलाना तथा प्रसारित करना है। अतः, जल गुणवत्ता निगरानी (डबल्यूक्यूएम) एवं निगरानी सीपीसीबी की परिधि के अंतर्गत आते हैं।

### 1.6.3 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियाँ

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) राज्य में मुख्य रूप से जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (उपकर) अधिनियम, 1977 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के



अंतर्गत कुछ प्रावधानों और उसमें इस प्रकार के जैव चिकित्सा अपशिष्ट (एमएंडएच) नियमावली, 1998, खतरनाक अपशिष्ट (एमएंडएच) नियमावली, 2000, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2000 इत्यादि के अंतर्गत बनाए गए नियमों को मिलाकर विभिन्न पर्यावरण संबंधी विधानों का कार्यान्वयन कर रही है।

सीपीसीबी ने जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अपने अधिकार और कार्य समय समय पर विविध संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों (यूटीपीसीसी) को प्रत्यायोजित की हैं।

## 1.7 हमने इस विषय का चयन क्यों किया

विकासशील प्रयासों का पर्यावरण तथा परिस्थिति विज्ञान के संरक्षण के साथ तालमेल बैठाने में ईआईए के महत्व पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से बल दिया गया है। जैव वैज्ञानिक विविधता पर करार (सीबीडी)<sup>4</sup> प्रभाव मूल्यांकन को यह सुनिश्चित करने, कि विकास मस्तिष्क में जैव विविधता के साथ नियोजित तथा कार्यान्वित की जाती है। में सहायक एक महत्वपूर्ण औज़ार है।

पिछले कुछ वर्षों में ईसीज प्रदान करने में विलम्ब, ईआईए रिपोर्टों की गुणवत्ता, पर्यावरण पर परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन, सार्वजनिक परामर्श की प्रभावशीलता, पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना की देखरेख से संबंधित विभिन्न मामलें थे। हम लोगों ने पाया कि पर्यावरण अनापत्ति प्रक्रिया तथा उत्तर स्वीकृति निगरानी के संबंध में ईआईए की अधिसूचना में बड़ी संख्या में अदालत के फैसले, संसदीय प्रश्न तथा संशोधन हुए।

उपरोक्त को देखते हुए हम निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए इस विषय को शुरू करने का फैसला किया है।

## 1.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य

पर्यावरण अनापत्ति तथा उत्तर स्वीकृति निगरानी पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करना चाहता है कि:

- पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप है पर्याप्त, न्याय संगत और पारदर्शी है।

<sup>4</sup> 1992 रियो अर्थ समिट में भारत सहित 150 देशों द्वारा हस्ताक्षरित जैव वैज्ञानिक विविधता पर करार सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु समर्पित है। इसकी कल्पना संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 21 के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए इसे एक व्यवहारिक उपकरण के रूप में की गई थी।

- ii. उत्तर पर्यावरण अनापत्ति निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण अनापत्ति पत्र में निर्धारित शर्तों तथा ईआईए रिपोर्ट में की गई प्रतिबद्धता का पालन करते हैं पर्याप्त है।

### 1.9 लेखापरीक्षाक्षेत्र, कार्यप्रणाली और नमूना

2006 में एमओईएफएंडसीसी द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना ने आठ सेक्टरों<sup>5</sup> में बंटे 39 अलग तरह के विकासशील परियोजनाओं तथा गतिविधियों की पहचान की। हमारे अध्ययन का क्षेत्र इस प्रकार है:

- i. लेखापरीक्षा उद्देश्य 1 के संदर्भ में, हम लोगों ने उन परियोजनाओं को समाविष्ट किया जिन्हें जनवरी 2011 - जुलाई 2015 के बीच परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर सभी सेक्टरों में एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति दी गई।
- ii. लेखापरीक्षा उद्देश्य 2 के संदर्भ में, हम लोगों ने उन परियोजनाओं<sup>6</sup> को समाविष्ट किया जिन्हें कैलेंडर वर्ष 2008-2012 के बीच परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर सभी सेक्टरों में एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई।

हम लोगों ने एमओईएफएंडसीसी में इसके क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज) सहित सीपीसीबी तथा एसपीसीबी के अभिलेखों की जांच की। हमलोगों ने एमओईएफएंडसीसी तथा एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों को परियोजना प्रस्तावकों (पीपीज) के द्वारा प्रस्तुत अनुपालना रिपोर्टों की भी जांच की। हम लोगों ने स्वयं एसपीसीबीज के कर्मियों सहित पीपीज के परिसर में ईआईए रिपोर्ट में किए गए प्रतिबद्धताओं तथा ईसी की शर्तों के अनुपालन की जांच की।

हम लोगों ने 17 सितम्बर 2015 को एमओईएफएंडसीसी के साथ प्रवेश सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, क्षेत्र, प्रणाली तथा नमूने पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद मंत्रालय और 33 चयनित राज्यो/संघ शासित<sup>7</sup> प्रदेशों में क्षेत्र आडिट शुरू हुए। निर्गम सम्मेलन का आयोजन 28 अक्टूबर 2016 को किया गया

<sup>5</sup> 1. नदी घाटी तथा जलविद्युतीय परियोजनाएं, 2. परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं, 3. थर्मल ऊर्जा परियोजनाएं 4. खनन-कोयला, 5. खनन-गैर कोयला, 6. मौलिक ढाँचा, 7. निर्माण और 8. उद्योग

<sup>6</sup> हम लोगों ने उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जिन्हें लेखापरीक्षा उद्देश्य 1 के लिए चुना गया था तथा जो पूर्ण हैं। इसमें 16 राज्यों में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की 22 परियोजनाएं भी शामिल हैं।

<sup>7</sup> आंध्र प्रदेश, असम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय का जवाब 31 अक्टूबर 2016 को प्राप्त हुआ। उत्तरों को उपयुक्त प्रासंगिक अध्यायों में शामिल किया गया है। आगे लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ साथ सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा दी गई टिप्पणी अनुबंध III के रूप में दी गई है।

### 1.10 लेखापरीक्षा मापदंड

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, 2006 के ईआईए अधिसूचना, इसके संशोधन और अन्य संबंधित परिपत्रों, कार्यालय ज्ञापन, निर्देश और एमओईएफएंडसीसी और अन्य नियामक अधिकारियों द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का लेखा परीक्षा का मापदंड हैं।

### 1.11 अभिस्वीकृति

हम लोग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा चयनित परियोजना प्रस्तावकों का सहयोग स्वीकार करते हैं कि उन्होंने निष्पादन लेखापरीक्षा के सफल पूर्ति को आगे बढ़ाया।

अध्याय


2



### 2.1 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) किसी परियोजना के शुरू करने से पहले किया जाने वाला कार्य है ताकि यह अल्प या दीर्घावधि में पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाए। 2006 के ईआईए अधिसूचना तथा इसके संशोधन पर्यावरण अनापत्ति की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं, जिसमें अधिकतम चार चरण हैं, जिसमें से सभी किसी विशेष मामले में लागू नहीं होंगे। ये चार चरण क्रमबद्ध हैं चरण 1: जांच (सिर्फ 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं तथा गतिविधियों हेतु); चरण 2: कार्य क्षेत्र निर्धारण; चरण 3: सार्वजनिक परामर्श और चरण 4: मूल्यांकन। पर्यावरण अनापत्ति देने तथा श्रेणी 'ए' परियोजनाओं हेतु पर्यावरण अनापत्ति उपरांत निगरानी की प्रक्रिया को **सारणी 2.1** में सोदाहरण दिया गया है।


सारणी 2.1: पर्यावरण अनापत्ति की प्रक्रिया



वर्तमान अध्याय में ईआईए प्रक्रियाओं के मूल्यांकन में पाई गई कमियों की चर्चा की गई है। हमें सात क्षेत्रों से संबंधित 216<sup>8</sup> परियोजनाओं की संवीक्षा किया है जिसे 2011-2015 के बीच पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी। **सारणी 2.2** विभिन्न ईआईए प्रक्रियाओं में विलंब की प्रतिशतता को दर्शाता है जिसका विवरण आगे के पैराग्राफ में दिया गया है।

<sup>8</sup> हमने 2,917 परियोजनाओं में से 249 परियोजनाओं का चयन किया जिन्हें 2011 से जुलाई 2015 में ईसी दिया गया। हमें सिर्फ 216 फाइले मिली।

## सारणी 2.2: ईआईए प्रक्रियाओं में विलंब (प्रतिशत में)



सारणी 2.2 दर्शाता है कि 89 प्रतिशत मामलों में आवेदक को पर्यावरण अनापत्ति देने में समग्र विलंब है। विभिन्न ईआईए प्रक्रियाओं के मामले में अधिकतम विलंब (93 प्रतिशत मामले) सक्षम प्राधिकार के समक्ष अनुशंसा देने में हुई है जबकि पर्यावरण अनापत्ति सदस्यों द्वारा मूल्यांकन देने में कम से कम देरी हुई है।

### 2.2 पर्यावरण अनापत्ति के डाटाबेस के संबंध में पाई गई विसंगतिया

जनवरी 2008 से जुलाई 2015 के दौरान सात सेक्टरों यथा कोयला खनन, उद्योग, गैर-कोयला खनन, निर्माण, मौलिक ढाँचा, थर्मल तथा नदी घाटी से संबंधित पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं (6,765) की जानकारी एमओईएफएंडसीसी के एनआईसी सेल (अगस्त 2015) के द्वारा दी गई थी। हमलोगों ने डाटाबेस में निम्नलिखित विसंगतियाँ पाई:

- क. वर्ग 'बी' परियोजनाओं को वर्ग 'ए' परियोजनाओं के डाटाबेस में शामिल किया गया था।
- ख. एसईआईएए द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं को भी डाटाबेस में शामिल किया गया था।
- ग. परियोजनाओं को एक अलग सेक्टर के अंतर्गत भूल वर्गीकृत किया गया था। उदाहरणार्थ, कोयला खनन सेक्टर की सूची में औद्योगिक सेक्टर, गैर कोयला खनन इत्यादि से कुछ परियोजनाओं को शामिल किया गया था।
- घ. परियोजनाओं का स्थान भी गलत दर्शाया गया था।



हम लोगों ने डाटाबेस में पाई गई विसंगतियों का एमओईएफएंडसीसी के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। मंत्रालय ने जनवरी 2008 से जुलाई 2015 की अवधि के दौरान पर्यावरण संबंधी प्रदत्त थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया डाटाबेस प्रस्तुत (जून 2016) किया जो एनआईसी सेल, एमओईएफएंडसीसी द्वारा दिए गए आकड़ों से काफी भिन्न था। मंत्रालय ने अन्य शेष सेक्टरों के संबंध में जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, डेटाबेस में ईआईए प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में लिया गया समय शामिल नहीं होता। आगे आने वाले पैराग्राफ में विलम्ब से संबंधित ऑडिट का विस्तृत निष्कर्ष शामिल है।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिए गए आकड़ें एनआईसी<sup>9</sup> द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा से मेल नहीं खाते, एमओईएफएंडसीसी के उत्तर के अनुसार, 2008 से जुलाई 2015 के दौरान 4534 पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई थीं।

लेखापरीक्षा क्रम के दौरान एमओईएफएंडसीसी के, ईआईए प्रभाग को बारंबार पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं के आकड़ों की पुष्टि करने तथा विसंगतियों, यदि कोई हो, को इंगित करने के लिए कहा गया था। तथापि मंत्रालय ने उत्तर<sup>10</sup> प्रस्तुत नहीं किया। एमओईएफएण्डसीसी ने परियोजना को प्रदान किए गए ईसी का केवल वर्षवार आँकड़ा दिया (अक्टूबर 2016) जो ऑडिट को एनआईसी द्वारा पहले दिए गए डेटाबेस से काफी अलग था। मंत्रालय ने पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त योजना के वर्षवार और क्षेत्रवार आकड़ें प्रस्तुत नहीं किए।

### 2.3 ईआईए प्रक्रिया की समय-सीमा का पालन

ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 7(i)॥ के अनुसार, संबंधित ईएसी आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में दी गई सूचना के आधार पर विचारार्थ विषय (टीओआर)<sup>11</sup> का निर्धारण करती है। विहित प्रपत्र की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर संबंधित ईएसी द्वारा आवेदक को टीओआर सूचित करने थे। टीओआर की वैधता क्षेत्र के अनुसार चार से पाँच वर्ष थी।

साथ ही, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के लिए, परियोजना प्रस्तावक (पीपी) अंतिम ईआईए प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही सहित सार्वजनिक परामर्श के परिणाम एमओईएफएंडसीसी को ईएसी द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करता है। संबंधित ईएसी को या तो निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने की या पूर्व

<sup>9</sup> मंत्रालय के पर्यावरण अनापत्ति हेतु आवेदनों के लिए ऑनलाइन पद्धति तथा वेबसाइट के प्रबंधन हेतु एनआईसी उत्तरदायी है

<sup>10</sup> ताप ऊर्जा परियोजनाओं को छोड़कर

<sup>11</sup> ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु सभी उचित व पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करने के लिए टीओआर विस्तृत एवं व्यापक शर्तें निर्धारित करता है।

पर्यावरण अनापत्ति हेतु आवेदन के निरस्तीकरण हेतु उसके कारणों के साथ संबंधित नियामक प्राधिकारी को सुस्पष्ट सिफ़ारिश करनी पड़ती है।

ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार, आवेदक द्वारा जमा किए गए अंतिम ईआईए रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की एमओईएफएंडसीसी द्वारा इसकी प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर जांच की जानी चाहिए। आवेदन का मूल्यांकन संबंधित ईएसी द्वारा अंतिम ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर पूरा करना था। ईएसी की सिफ़ारिशों को अंतिम निर्णय हेतु अगले पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना था। नियामक प्राधिकारी को संबंधित ईएसी की सिफ़ारिशों पर विचार करना था तथा संबंधित ईएसी की सिफ़ारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर आवेदक को निर्णय से अवगत करना था। आवेदक को अंतिम ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पाँच दिनों के भीतर पर्यावरण अनापत्ति से अवगत कराया जाना था।

यह जांच करने के लिए कि क्या पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में एमओईएफएंडसीसी द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन किया गया था अथवा नहीं, हमने 216<sup>12</sup> ऐसी परियोजनाओं की संवीक्षा की जिन्हें 2011-15 के बीच पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई थी।

चुनी गई परियोजनाओं के लिए ईसी देने में हुए वर्षवार विलम्ब तालिका 2.1 में नीचे दिए गए हैं।

**तालिका 2.1: ईसी प्रदान करने में हुए वर्षवार विलम्ब**

ईसी प्रदान करने का वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	विलम्ब वाली परियोजनाओं की संख्या	अधिकतम विलंब (दिन)	औसत विलम्ब (दिन)
2011	61	45	944	86
2012	56	54	588	184
2013	24	23	820	231
2014	25	25	761	316
2015 (जुलाई तक)	42	38	1,002	238
कुल	208	185		

नोट: अपर्याप्त जानकारी के कारण चुनी गई 216 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं (कोयला-1, गैर-कोयला-3, अवसंरचना-3, नदी घाटी-1) में विलम्ब का पता नहीं चल पाया।

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि 185 परियोजनाओं (89 प्रतिशत) में 105 दिन की निर्धारित समय सीमा में ईसी नहीं प्रदान किया गया। 2011 से 2014 के दौरान ईसी प्रदान करने में विलंब बढ़कर 86 से 316 दिन हो गया। 2015 में, औसत विलम्ब

<sup>12</sup> कोयला-39, उद्योग-34, गैर-कोयला-37, विनिर्माण-20, अवसंरचना-38, नदी घाटी-7, ताप-41

घटकर 238 हो गया। हमने देखा कि विलम्ब, विभिन्न चरणों पर ईसी आवेदन के प्रसंस्करण में देरी के फलस्वरूप था। जिन पर आगे आने वाले पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है।

क्षेत्रवार और चरणवार विलंब की टिप्पणियाँ संक्षेप में तालिका 2.2 एवं 2.3 में दी गई हैं।

**तालिका 2.2: पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में क्षेत्रवार विलंब**

ईसी	टीओआर प्रदान करना	अंतिम ईआईए रिपोर्ट की जाँच	ईसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन	अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईसी की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करना	आवेदक को ईसी की अनुशंसाओं और एमओईएफएंडसी सी के निर्णय से अवगत कराना	टीओआर को छोड़कर पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में लिया गया संपूर्ण समय
मामलों की संख्या	180	168	202	207	210	208
<b>क्षेत्रवार विलंब</b>						
1. कोयला खनन	22	13	32	34	28	34
2. उद्योग	30	18	22	34	29	30
3. गैर कोयला खनन	26	26	28	33	34	33
4. विनिर्माण	-	14	8	16	15	19
5. अवसंरचना	31	15	18	34	33	31
6. नदी घाटी तथा पन बिजली	5	5	4	6	6	6
7. ताप ऊर्जा	38	3	8	36	28	32
कुल	152	94	120	193	173	185
चयनित मामलों का प्रतिशत	84	56	59	93	82	89

विवरण परिशिष्ट 4 में दिये गये हैं। नीचे तालिका 2.3 में ईसी देने में हुए चरणवार विलंब दिए गए हैं।

**तालिका 2.3: ईसी प्रदान करने में चरणवार विलंब**

ईसी प्रक्रिया के चरण	दिनों में निर्धारित समय सीमा	परियोजनाएं जहाँ आवेदक को निर्धारित समय सीमा में ईसी से अवगत करा दिया गया	दिनों 30-0	90-31 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	180-91 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365-181 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	दिनों 365 से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
टीओआर प्रदान करना	60	28	47	60	33	12	0
अंतिम ईआईए रिपोर्ट की जाँच	30	74	37	46	9	1	1

ईएसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन	60	82	16	37	25	28	14
अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास ईएसी की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करना	15	14	54	88	38	11	2
आवेदक को ईएसी की अनुशंसाओं और एमओईएफएण्डसीसी के निर्णय से अवगत कराना	45	37	44	72	36	17	4
पर्यावरण अनापत्ति में लिया गया संपूर्ण समय	105	23	12	38	56	47	33

जैसा कि ऊपर दी गई तालिकाओं से देखा जा सकता है क्षेत्रवार देरी 55 से 91 प्रतिशत थी और केवल 23 मामलों में ही निर्धारित समय सीमा में ईसी प्रदान किया गया था।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि विलंब के कारण केन्द्रीय प्राप्ति अनुभाग से प्रभाव मूल्यांकन अनुभाग तक दस्तावेज़ को आगे बढ़ाने में हुई देरी, संबंधित सदस्य सचिव को प्रस्तुत करने हेतु विशिष्ट फ़ाइल खोलने में देरी, प्रभाव आंकलन प्रभाग में अपर्याप्त कुशल लोग, 2011-14 के दौरान पर्यावरण अनापत्ति हेतु परियोजनाओं की बाढ़, पीपी के तरफ से देरी जिससे अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण मांगी गई थी तथा पीपी और कंसलटेंट्स के बीच प्रभाव प्रक्रिया के बारे में जागरूकता में कमी है।

एमओईएफएण्डसीसी ने आगे कहा (अक्टूबर 2016) कि उसने पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पर्यावरण अनापत्ति ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत (जुलाई 2014) की गई जिसने बेहतर निगरानी के माध्यम से मामलों के निपटारे में पारदर्शिता और गति को बढ़ा दिया। इन कदमों से राज्यों को और अधिकार हस्तांतरित हो गए। टीओआर/पर्यावरण अनापत्ति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के बैकलॉग को कम करने हेतु मंत्रालय ने और समितियां गठित करने तथा बार-बार बैठक आयोजित करने के भी प्रयास किये थे। उसने ईआईए अधिसूचना (अप्रैल 2015) को भी संशोधित किया था तथा 30 दिनों के भीतर परियोजनाओं हेतु डीमंड टीओआर अनापत्ति का प्रावधान किया था जिसके न होने पर पीपी मानक टीओआर के अनुसार ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर सकता है।

किंतु ऑडिट ने देखा कि पिछले दो सालों में ऑफलाइन परियोजनाओं के मामले में ईसी को संसाधित करने में लिए गए औसत दिनों में बढ़ोतरी हुई थी।

### 2.3.अ टीओआर प्रदान करने में विलंब के उदाहरण

एक कोयला खनन परियोजना, यथा 'मैसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन लि. के छत्तीसगढ़ में कुचेना वाशरी 9.311 हे. क्षेत्र में वाशड कोल 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष' में टीओआर पत्र मंत्रालय में 14 अगस्त 2007 को प्राप्त हुए। पर्यावरण अनापत्ति द्वारा परियोजना पर दो बार यानी 28-29 नवंबर 2007 और 28-30 जुलाई 2008 को विचार किया गया। परियोजना के लिए टीओआर अंततः 25 अगस्त 2008 को जारी किया गया। मंत्रालय द्वारा 17 जनवरी 2008 को पीपी से कुछ सूचना मांगी गई। मंत्रालय द्वारा मांगी गया स्पष्टीकरण देने में पीपी ने 139 दिनों का समय लिया। एमओईएफएंडसीसी ने टीओआर देने के लिए 14 अगस्त 2007 से 25 अगस्त 2008 तक 377 दिन लिये। इस तरह, एमओईएफएंडसीसी द्वारा फ़ाइल को प्रक्रियागत करने में देरी के कारण 178 (377-139-60) दिनों का विलंब हुआ था। एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि टीओआर देने में वास्तव संसाधन समय 130 बना। किंतु मंत्रालय का उत्तर किसी दस्तावेज़ से समर्थित नहीं था।

एक अन्य औद्योगिक परियोजना, यथा, आंध्रप्रदेश में मैसर्स हिंदूपुर स्टील एंड एलॉय प्रा. लि. द्वारा 'एक्सपैन्शन ऑफ इंडक्शन फर्नेस एंड रोलिंग मिल, जिला अनंतपुर' को पर्यावरण अनापत्ति 22 जून 2015 को प्रदान की गई। एमओईएफएंडसीसी में टीओआर हेतु आवेदन 20 जून 2012 को प्राप्त हुआ था। तीसरे पुनर्गठित ईएसी में प्रस्ताव पर विचार करने के बारे में पीपी को सूचित करते हुए 22 नवंबर 2012 को मंत्रालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। उक्त ईएसी में प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत फ़ाइल पुनः 1 फरवरी 2013 को प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा परियोजना के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में होने के बारे में पीपी से एक अधिसूचना मांगी गई। उक्त पत्र को 14 फरवरी 2013 को जारी किया गया। पीपी से सूचना 11 मार्च 2013 को प्राप्त हुई। टीओआर 29 अप्रैल 2013 को प्रदान किया गया। कुल मिलाकर एमओईएफएंडसीसी ने फॉर्म 1<sup>13</sup> की जांच में 20 जून 2012 से 29 अप्रैल 2013 तक 313 दिन लिये। वांछित सूचना देने में पीपी ने 25 दिन लिया। ईएसी ने फॉर्म 1 की जांच के लिए 288 दिन (313-25) लिये। अतः एमओईएफएंडसीसी द्वारा फ़ाइल को संसाधित करने में देरी के कारण 228 दिनों (288-60) का विलंब हुआ था।

### 2.3.ब अंतिम ईआईए प्रतिवेदन की संवीक्षा में विलंब के उदाहरण

ओडिशा में एक कोयला खनन परियोजना, यथा मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लि. के 'भुबनेश्वरी ओपनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट' अंतिम ईआईए/ईएमपी के साथ पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने हेतु अनुरोध एमओईएफएंडसीसी में 18 अगस्त 2010 को प्राप्त हुआ। 02 नवंबर 2010 को, एमओईएफएंडसीसी ने अतिरिक्त सूचना मांगी और उसका

<sup>13</sup> पूर्व ईसी प्राप्त करने के लिए फॉर्म-1 क निर्धारित आवेदन फॉर्म है।

उत्तर 20 नवंबर 2010 यानी 18 दिनों बाद प्राप्त हुआ। 9 मार्च 2011 को एमओईएफएंडसीसी ने परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया कि 28-29 मार्च 2011 को आयोजित ईएसी की बैठक में परियोजना पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार, ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से लेकर ईएसी बैठक के बारे में प्रस्तावक को सूचित करने की तिथि तक कुल 222 दिन लिए गए तथा 174 (222-30-18) दिनों की देरी देखी गई और इस तरह के विलंब का कोई कारण नहीं मिला।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि प्रस्ताव को वास्तविक कारणों से इसकी प्राप्ति से लेकर 20 नवंबर 2010 तक रोक कर रखा गया था। हालांकि मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया।

इसी प्रकार, मध्य प्रदेश में एक नदी घाटी और पन बिजली परियोजना, यथा, 'जल संसाधन विभाग के कुंडलिया मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' में 20 मई 2013 को प्राप्त ईआईए रिपोर्ट को संबंधित प्रभाग द्वारा 25 जुलाई 2013 को प्रस्तुत किया गया। इस पर पहली बार विचार 10-11 दिसंबर 2013 को आयोजित 77 वीं ईएसी की बैठक में किया गया। मुख्यतः इसी कारण 175 दिनों की देरी हुई।

### 2.3.स ईएसी द्वारा आवेदन के मूल्यांकन में विलंब के उदाहरण

बिहार दरभंगा में, एक औद्योगिक परियोजना, यथा, मैसर्स तिरहुत इंडस्ट्रीज़ लि. के 'ग्रेन एंड मोलैसेज़ बेस्ड डिस्टिलरी यूनिट, को-जेनरेशन प्लांट,' को ईसी 16 मई 2015 को प्रदान किया गया।

एमओईएफएंडसीसी में अंतिम ईआईए रिपोर्ट 4 जून 2012 को प्राप्त हुई थी। परियोजना पर पहली बार 31 अक्टूबर 2012 को आयोजित द्वितीय पुनर्गठित ईएसी बैठक में विचार किया गया। परियोजना पर 17-19 फरवरी 2015 को आयोजित 34वीं पुनर्गठित ईएसी बैठक में अंतिम रूप से विचार किया गया। ईएसी ने 26 फरवरी 2015 को पर्यावरण अनापत्ति के लिए परियोजना की सिफारिश की। 13 मार्च 2013 को यानि ईएसी के 133 दिन बाद एमओईएफएंडसीसी ने बिहार एसपीसीबी को स्पष्टीकरण मांगते हुए एक पत्र जारी किया कि क्या मई 2012 में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई बैठक का पर्यवेक्षण/अध्यक्षता ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार किया गया था। वांछित सूचना 2 अप्रैल 2013 को प्राप्त हुई और बिहार एसपीसीबी से 11 अप्रैल 2013 को संबंधित परियोजना हेतु नए सिरे से सार्वजनिक सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। उसका आयोजन 11 जुलाई 2014 को किया गया तथा सार्वजनिक सुनवाई का कार्यवृत्त/फोटोग्राफ मंत्रालय में 27 जनवरी 2015 को प्राप्त हुआ। परियोजना के मूल्यांकन हेतु एमओईएफएंडसीसी द्वारा 4 जून 2012 से 26 फरवरी 2015 तक कुल 997 दिन का समय लिया गया। 937 दिनों का विलंब (997-60) हुआ था। एमओईएफएंडसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि सही और पूर्ण दस्तावेज़

जमा होने के बाद 113 दिन का कुल समय लिया गया था। उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय ने 31 अक्टूबर 2012 को आयोजित पहली ईएसी की बैठक में परियोजना पर विचार करने के लिए शुरु में पाँच महीने का समय लिया। इसके अलावा ईआईए अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक सुनवाई के पर्यवेक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण दूसरी ईएसी की बैठक समाप्त होने के 133 दिन बाद एसपीसीबी से मांगा गया। यह स्पष्टीकरण ईएसी की बैठक से पहले या ईएसी की बैठक में ही मांगा जाना चाहिए था। इसे ध्यान में रखने से 937 दिन का विलंब बनता है।

इसी तरह, मेघालय में **मैसर्स आधुनिक सीमेंट लि. की लाइमस्टोन माइन** में ईआईए रिपोर्ट एमओईएफएंडसीसी में 27 अप्रैल 2012 को प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट 29-31 अगस्त 2012 को आयोजित 30 वीं ईएसी बैठक में प्रस्तुत की गई। 7 सितंबर 2012 को समिति ने उद्धृत अनुसूचि-1 प्रजातियों हेतु समुचित संरक्षण योजना के विषयाधीन पर्यावरण अनापत्ति जारी करने के लिए परियोजना की अनुशंसा की। 7 सितंबर 2012 से 11 मार्च 2013 तक (यानी 166 दिनों तक) फ़ाइल नहीं चली। 11 मार्च 2013 को एमओईएफएंडसीसी ने प्रस्तावक को वांछित संरक्षण योजना प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया और 16 अप्रैल 2013 को प्रस्तावक ने संरक्षण योजना प्रस्तुत कर 26-28 जून 2013 में आयोजित ईएसी की 8वीं बैठक में प्रस्ताव को जाँचा गया जिसमें समिति ने पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा (5 जुलाई 2013) की तथा आगे यह भी कहा कि चूंकि संरक्षण योजना पहले ही राज्य स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर कर दी गई है, इसलिए इस संरक्षण योजना को ईएसी के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, कुल 434 दिन लिए गए। 434 दिन में से प्रस्तावक ने अतिरिक्त सूचना प्रदान करने ले लिए 35 दिन लिये। इसलिए, एमओईएफएंड सीसी में फ़ाइल को क्रियान्वित करने के कारण 339 दिनों का विलंब हुआ था। परियोजना में देरी के बारे में मंत्रालय का उत्तर (अक्टूबर 2016) मूक था।

### 2.3.द सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने में विलंब के उदाहरण

तमिलनाडु में **मैसर्स श्रीलनाड मैशन्स प्रा. लि. की कंस्ट्रक्शन ऑफ नोवोटेल होटल एंड कमर्शियल ब्लॉक** नामक एक परियोजना में ईएसी ने 16 दिसंबर 2011 को परियोजना की अनुशंसा की। किंतु, ईएसी की अनुशंसाओं को 201 दिन बीतने के बाद 4 जुलाई 2012 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी की अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने में 186 दिनों का विलंब हुआ था।

इसी तरह झारखण्ड में, **मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वाइडनिंग एंड इम्प्रूवमेंट फ़्राम-2-लेन टू 4/6 लेनिंग ऑफ बारही से हजारीबाग** नामक एक अवसंरचना परियोजना में ईएसी की अनुशंसाओं को अगले पंद्रह दिनों के भीतर अंतिम निर्णय हेतु

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। किन्तु, 137 दिनों (10 फरवरी 2012 से 10 जुलाई 2012 यानी 152-15) का विलंब हुआ। इस बारे में टिप्पण में कोई औचित्य नहीं बताया गया था।

### 2.3.ई आवेदक को पर्यावरण अनापत्ति से अवगत करने में विलंब के उदाहरण

केरल में मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लि. की कंस्ट्रक्शन ऑफ आईटी पार्क प्रोजेक्ट, नामक एक विनिर्माण परियोजना में 105 दिनों के अनिवार्य समय के विरुद्ध पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में कुल 1,049 दिन लिए गए। जिससे 944 दिन का विलंब देखा गया। प्रक्रियागत विलंबों के अतिरिक्त अवसंरचना, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरज़ेड) प्रयोज्यता का पता लगाने हेतु राज्य प्राधिकारियों से बार-बार पूछने व विधानसभा चुनाव को विलंब के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता था।

इस तरह ओडिशा में, मैसर्स वीजा पावर प्रा. लि. की 2x660 मेगावाट इंपोर्टेड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, नामक एक ताप विद्युत परियोजना में ईआईए रिपोर्ट प्रस्तावक से 21 जून 2010 को प्राप्त हुई थी और एमओईएफएंडसीसी द्वारा 17 जनवरी 2012 को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई। अतः प्रस्तावक को पर्यावरण अनापत्ति जारी करने के लिए निर्धारित 105 दिन के स्थान पर 575 दिन लिये गए। इस प्रकार, प्रस्तावक को पर्यावरण अनापत्ति जारी करने में 470 दिनों का विलंब था।

### 2.4 पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने में विलंब के सोदाहरण मामले

बॉक्स 2.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलंब के मामलों को दर्शाता है।

#### बॉक्स 2.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलंब के सोदाहरण मामले

##### गैर कोयला खनन क्षेत्र

1. मेसर्स अशोक सोमानी, हरियाणा द्वारा एक्सपेंशन ऑफ स्लेट माइनिंग प्रोजेक्ट: सचिव एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति की अनुशंसाओं से सक्षम प्राधिकारी को 19 जुलाई 2012 को अवगत कराया गया। तथापि, सक्षम प्राधिकारी ने 4 अक्टूबर 2012 (यानी 77 दिनों बाद) को अपनी अनापत्ति दी। 77 दिनों के इस विलंब को न्यायोचित ठहराने के लिए फ़ाइल में कोई कारण नहीं मिला।

##### औद्योगिक क्षेत्र

2. मेसर्स डीएनएच स्पाइनर्स प्रा. लि. द्वारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनमेड फाइबर, सुरंगी, दादर एवं नगर हवेली: ईएसी की अनुशंसाओं के अनुमोदन के लिए फ़ाइल को 18 अप्रैल 2012 को सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित किया गया। 12 जुलाई 2012 को परियोजना को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान कि गई। ईएसी की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने में सक्षम प्राधिकारी ने 80 दिन लिये। फ़ाइल में इस विलंब के लिए कोई वैध कारण नहीं मिला।



3. मेसर्स ऑइल एंड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लि. द्वारा एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग (ऑफशोर) ब्लॉक्स, अंडमान: ईएसी की अनुशंसाओं का अनुमोदन करने के लिए फ़ाइल को 9 जून 2014 को सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित किया गया। सक्षम प्राधिकारी ने अनुमोदन 20 जुलाई 2014 को दिया। सक्षम प्राधिकारी ने परियोजना का अनुमोदन करने के लिए 41 दिन लिये। इस देरी के लिए फ़ाइल में कोई वैध कारण नहीं मिला।

4. मेसर्स कैलाशपति सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेन्नीबारी इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट प्लांट, असम: ईएसी की अनुशंसाओं के अनुमोदन के लिए फ़ाइल को 7 फरवरी 2012 को सक्षम प्राधिकारी के पास अग्रेषित किया गया। पर्यावरण अनापत्ति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने 50 दिन लिये। फ़ाइल में इस विलंब का कोई वैध कारण नहीं मिला।

बॉक्स 2.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने के बाद पर्यावरण अनापत्ति पत्र जारी करने में विलंब के मामले को दर्शाता है।

**बॉक्स 2.2 पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने के बाद पर्यावरण अनापत्ति पत्र जारी करने में विलंब के दृष्टांत मामले**

**कोयला खनन क्षेत्र**

1. एक्सपेंशन ऑफ ककटिया खानी ओपनकास्ट सेक्टर, कॉल माइनिंग प्रोजेक्ट, तेलंगाना, मे. सिंगरेनी कोलिरीज़ कंपनी लि.: सक्षम प्राधिकारी द्वारा 17 मार्च 2015 को पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित कि गई। मंत्रालय द्वारा 19 मार्च 2015 को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान कि गई। तथापि, पर्यावरण अनापत्ति पत्र 11 मई 2015 को यानी 53 दिनों बाद जारी किया गया।

2. क्लस्टर 8 (ग्रुप ऑफ 7 माइन्स), मे. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., पश्चिम बंगाल: सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति 16 मार्च 2015 को प्रस्तुत कि गई। मंत्रालय ने 19 मार्च 2015 को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की परंतु पर्यावरण अनापत्ति पत्र 11 मई 2015 को यानी 53 दिनों बाद जारी किया गया।

3. पिट हैड कैप्टिव वेड वाशरी, छत्तीसगढ़, मे. जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लि.: यह देखा गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 18 मई 2013 को पर्यावरण अनापत्ति का अनुमोदन दिया गया। मंत्रालय द्वारा 10 जून 2013 को पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की परन्तु पर्यावरण अनापत्ति पत्र 8 जुलाई 2013 को यानी 28 दिनों बाद जारी किया गया।

## 2.5 ईआईए रिपोर्ट्स की उपयुक्तता

ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा 7 एवं परिशिष्ट III के अनुसार ईआईए रिपोर्ट की साधारण संरचना में प्राक्कथन, परियोजना वर्णन, पर्यावरण वर्णन, अनुमानित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण के उपाय, अनुकल्पियों के विश्लेषण<sup>14</sup>, पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम, अतिरिक्त अध्ययन, परियोजना लाभ, पर्यावरण लागत लाभ विश्लेषण<sup>15</sup>, ईएमपी, सारांश एवं निष्कर्ष, नियोजित परामर्शियों का निकटन से संबन्धित अध्याय शामिल होते हैं। ईआईए रिपोर्ट टीओआर के अनुरूप होनी चाहिए।

216 मामलों कि लेखापरीक्षा में छानबीन के दौरान टीओआर के साथ ईआईए रिपोर्ट का गैर अनुपालन पाया गया जिसे तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: टीओआर के साथ ईआईए रिपोर्ट का गैर अनुपालन

ईएसी	परियोजनाएं जहां ईआईए रिपोर्ट में टीओआर अनुपालन नहीं किया गया	ईआईए रिपोर्ट्स की संख्या जो सामान्य संरचना के अनुरूप नहीं थे
1 कोयला खनन	9 परियोजनाओं में आधारभूत डाटा टीओआर अनापत्ति से पहले ही संग्रह किया गया था। 2 परियोजनाओं यथा मनुगुरु ओपनकास्ट IV एक्स्टेंशन प्रोजेक्ट एंड अनंत ओसीपी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में ईआईए रिपोर्ट का टीओआर के साथ आंशिक रूप से अनुपालन किया गया था।	15 परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट साधारण संरचना के अनुरूप नहीं थी
2 उद्योग	21 परियोजना के मामले में, टीओआर के साथ ईआईए रिपोर्ट का अनुपालन नहीं किया गया	19 परियोजना के मामले में ईआईए रिपोर्ट साधारण संरचना के अनुरूप नहीं था
3 गैर कोयला खनन	1 परियोजना	4 परियोजना
4 निर्माण/विनिर्माण	लागू नहीं क्योंकि टीओआर एंड ईआईए निर्मित नहीं होते हैं	
5 आधारभूत संरचना विकास	8 परियोजना	6 परियोजना
7 नदी घाटी एवं पन बिजली	6 परियोजना	6 परियोजना
8 ताप ऊर्जा	8 परियोजना	-
कुल	55	50
मामलों का प्रतिशत	25	23

ईआईएरिपोर्ट तथा टीओआर के गैर-अनुपालन के मामलों का विवरण बॉक्स 2.3 में दिया गया है।

<sup>14</sup> यदि कार्य क्षेत्र निर्धारण कार्य में विकल्पों की जरूरत आ पड़ती है।

<sup>15</sup> अगर कार्य क्षेत्र निर्धारण स्तर पर अनुशंसा की गई हो।

### बॉक्स 2.3: ईआईए रिपोर्ट एंवम टीओआर के गैर-अनुपालन के

#### कोयला खनन क्षेत्र

टीओआरओकी अनापत्ति के पहले आधारभूत आँकड़ों का संग्रह/3 महीने के एक सीजन के विरुद्ध एक महीने के आँकड़ा संग्रह

क. 'शीतलधारा-कुर्जा एवं कपीलधारा गुप ऑफ अंडरग्राउंड माइन्स, मध्य प्रदेश' के मामले में टीओआर 20 मार्च 2009 को अनुदान कि गई। हालांकि आधारभूत आँकड़ों का संग्रह अक्टूबर 2008 से दिसंबर 2008 के बीच यानी टीओआर जारी करने की तिथि से पहले किया गया जो अनियमित था।

ख. टीओआर शर्तों के अनुसार पर्यावरणीय गुणवत्ता पर एक सीजन प्राथमिक आधारभूत आँकड़ा का संग्रह वायु, ध्वनी, जल एवं मिट्टी के लिए किया जाना चाहिए। तथापि झारखंड के क्लस्टर 1, कोयला खनन क्षेत्र के मामले में देखा गया कि जल, ध्वनी और मिट्टी से संबंधित सिर्फ एक माह का आँकड़ा एकत्रित किया गया था।

ग. जामुनिया यूजी प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश, में वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश के दिनांक 15 अप्रैल 2009 के टीओआर के अनुसार आधारभूत डाटा संग्रह मानसून छोड़कर किसी भी ऋतु के लिए करना था। अंतिम ईआईए रिपोर्ट के अनुसार आधारभूत डाटा 2005 के मानसून पूर्व ऋतु में यानी ईआईए की तारीख से चार वर्ष से अधिक पहले संग्रह किया गया था।

तथापि, एमओईएफएंडसीसी ने इन बिंदुओं पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अन्य परियोजना फाइलों में यह देखा गया कि एमओईएफएंडसीसी ने पीपी को ताजा आधारभूत आँकड़ा संग्रह करवाने को कहा था यानी टीओआर की अनापत्ति के बाद।

#### औद्योगिक क्षेत्र

टीओआर में अनिवार्य शर्त का गैर-समावेशन

क. मेसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा ड्रिलिंग ऑफ डेवलपमेंट वेल एंड एक्सप्लोरेटरी वेल, अरुणाचल प्रदेश: यह देखा गया कि आसपास के आरक्षित वन क्षेत्रों नामसी, चोंगरवाम, मानाभूम एवं टेंगापानी सुरक्षित वन जो परियोजना क्षेत्र के 10 कि. मी. के भीतर संरक्षित क्षेत्र में स्थित थे पर प्रस्तावित संयंत्र के असर से संबंधित राज्य वन विभाग की अनुमति ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय प्राप्त नहीं की गई थी।

ख. मेसर्स अम्बिका एलॉयज द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ एमएस इंगाट्स, सिरमौर हिमाचल प्रदेश:

- यह पाया गया कि आरक्षित/संरक्षित वन भबरवाला एवं शीस्मवाला (5 कि.मी.) परियोजना स्थल के 10 कि.मी. के भीतर थे। टीओआर में ये शर्त शामिल नहीं थी जिसमें परियोजना प्रस्तावक को आस-पास के आरक्षित वनों पर प्रस्तावित विस्तार के असर के संबंध में राज्य वन विभाग की अनुमति लेने की जरूरत थी।
- टीओआर में उस ऋतु का उल्लेख नहीं था जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभी पर्यावरणीय मानदंडों के लिए आँकड़ा लिया जाना था।

ग. मेसर्स हिंदुस्तान जीक लिमिटेड द्वारा जीक एवं लीड मेटल मेल्टिंग एंड कास्टिंग यूनिट, पंत नगर, उत्तराखण्ड: यह पाया गया कि आरक्षित/संरक्षित वन ढिमरी, गंगापुर, पटिया और टंडा परियोजना स्थल से 10 कि.मी. के भीतर थे। टीओआर में यह शर्त शामिल नहीं थी जिसमें परियोजना प्रस्तावक को आस-पास के आरक्षित वनों पर प्रस्तावित विस्तार के प्रभाव के संबंध में राज्य वन विभाग की अनुमति लेने की जरूरत थी।

घ. मेसर्स रश्मि सीमेंट लि. द्वारा बोदुंदकला औद्योगिक क्षेत्र बालाघाट, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट एवं संबंधित सविधाओं सहित: टीओआर में लोक सुनवाई की शर्त को शामिल नहीं किया गया था। लोक सुनवाई की सूचना फाइल के साथ-साथ ईआईए रिपोर्ट में भी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए लोक सुनवाई से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या परियोजना को लोक सुनवाई से छूट दी गई थी।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सलाहकार भी प्रमाणित करते हैं कि ईआईए रिपोर्ट टीओआर के अनुसार है और टीओआर में निर्धारित सभी विषयों को कवर किया गया है। परियोजना के मूल्यांकन के समय भी ईएसी द्वारा इसकी जांच की जाती है। सलाहकार द्वारा स्थल पर अध्ययन के दौरान आधारभूत डाटा एकत्रित किया जाता है।

लेखापरीक्षा की राय है कि मंत्रालय को केवल ईआईए रिपोर्ट की जांच की प्रक्रिया के बारे में बताया जाना चाहिए था। हालांकि तथ्य यही है कि टीओआर के अनुसार ईआईए रिपोर्ट बनाने में कमियां थी और इसके बावजूद परियोजनाओं को ईसी प्रदान की गई।

## 2.6 संचयी प्रभाव आकलन की कमी

ईआईए अधिसूचना 2006 के परिशिष्ट 1 (फार्म 1) के पैरा 9 के अनुसार, पीपी को उन कारकों के संबंध में सूचना मुहैया करानी है जिसे विचार किया जाना चाहिए (जैसे कि परिणामी विकास) जो उस स्थान में अन्य मौजूदा या सुनियोजित गतिविधियों के साथ संचयी प्रभाव के लिए पर्यावरणीय प्रभाव या संभावना का कारण बन सकता है। पैरा 9.4 के अनुसार, पीपी को सामान्य प्रभाव के साथ अन्य मौजूदा या सुनियोजित परियोजना की निकटता की वजह से होने वाले संचयी प्रभावों को बताना था।

हमने पाया कि पीपी द्वारा बिना किसी वास्तविक संचयी प्रभाव अध्ययन के, ईआईए रिपोर्ट में संचयी प्रभाव से संबंधित कोई सूचना नहीं दी गई या बहुत ही सामान्य जानकारी दी गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकांश ईआईए रिपोर्ट में पीपी ने संकेत दिया है कि उन्होंने संचयी अध्ययन नहीं किया है। इसके अलावा ईआईए रिपोर्ट तैयार करने से पहले संचयी प्रभाव अध्ययन की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी।

एमओईएफएंडसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि टीओआर में क्षेत्र या मानदंड निर्धारित किया जाता है जिस पर प्रस्तावक को ईआईए/ईएमपी तैयार करने हेतु अध्ययन करना

होता है। अध्ययन क्षेत्र परियोजना स्थल की सीमा से 10 कि.मी. है। नमूने के तौर पर आँकड़ा एक सीजन के लिए संग्रह किया गया था। इस प्रकार, प्रत्येक ईआईए रिपोर्ट मानदंड को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय मानदंडों पर संचयी प्रभाव को दर्शाती है।

तथापि, तथ्य यही है कि अधिकांश ईआईए रिपोर्ट में पीपी ने संकेत नहीं दिया है कि उन्होंने संचयी अध्ययन किया है।

## 2.7 कार्यालय जापनों को जारी कर ईआईए प्रक्रियाओं में परिवर्तन

ईआईए अधिसूचना 2006 एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी किया गया था। अधिसूचना में बदलाव एक विधित प्रक्रिया थी जिसके लिए भागीदारों की राय और राजपत्र अधिसूचना की भी आवश्यकता है।

मंत्रालय समय-समय पर कार्यालय जापन (ओएमस) मूद्धो कार्यालय प्रक्रिया समझाने के लिए या परिभाषित करने के लिए परिक्रियाओं में जहां कोई एक्सप्रेस प्रावधान या ईआईए अधिसूचना में सपष्टा नहीं थी

हमने पाया कि एमओईएफएंडसीसी ने ईआईए अधिसूचना से संबंधित 181 कार्यालय जापन अक्टूबर 2014 तक जारी किया था। इन ओएमस के कुछ के रूप बाक्स 2.4 में नीचे दिए गए मे विस्तृत मूल अधिसूचना के प्रावधानो का प्रभाव नहीं पडा।

### बॉक्स 2.4: ओएम द्वारा ईआईए अधिसूचना को हल्का करना

एमओईएफएंडसीसी ने अपने ओएम दिनांक 12 दिसंबर 2012 एवं 27 जून 2013 के माध्यम से उस परियोजना पर विचार करने का प्रावधान किया था जहां पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के बिना विनिर्माण पूरा कर लिया/शुरू कर दिया गया था। ईआईए का उद्देश्य पर्यावरण पर प्रस्तावित परियोजना के होने वाले तथा संभावित असर की पहचान करना, परीक्षा करना, आकंलन करना तथा मूल्यांकन करना और जिससे पर्यावरण पर इन बुरे प्रभावों को कम करने के लिए उपचारी कार्य योजना बनाना था। ये सब परियोजना के शुरू होने से पहले चरण में किया जाना आवश्यक है। आच्छादित परियोजना व गतिविधियों के संबंध में ईआईए अधिसूचना में परियोजना के शुरू होने के बाद तथा पूरा होने पर इस तरह की परीक्षा की कल्पना नहीं की गई है। एमओईएफएंडसीसी द्वारा जारी ओएम को चुनौती दी गई तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जुलाई 2015 में इस टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया गया कि ये ओएम 1986 के अधिनियम तथा 2006 की अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अधिकारातीत थे तथा स्वभाविक क्षेत्राधिकार व प्राधिकार की कमी की दुर्बलता से ग्रसित थे।

एमओईएफएंडसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि एनजीटी द्वारा ओएमस रद्द करने के बाद मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से पर्यावरण अनापत्ति के लिए उल्लंघन के ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रक्रियाओ/प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में था।

## 2.8 पूर्व पर्यावरण अनापत्ति की स्थिति की जांच किए बगैर विस्तार हेतु नई पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करना

एमओईएफएंडसीसी के परिपत्र ( मई 2012) के अनुसार ईआईए अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत सभी विस्तार परियोजनाओं पर पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने के लिए विचार करने हेतु आवेदन जमा करते समय पीपी को एमओईएफएंडसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों से परियोजना के चालू/मौजूदा प्रचालन हेतु इसी में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति की सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए।

फाइलों की जांच से कोयला खनन क्षेत्र के तीन मामलों का पता चला जहां पिछली पर्यावरण अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन की जांच किए बगैर नई पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई थी, जिसका विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है।

**तालिका 2.5: उन मामलों का विवरण जहां पिछली पर्यावरण अनापत्ति के अनुपालन की जांच किए बगैर पर्यावरण अनापत्ति प्रदान किया गया था**

क्षेत्र	परियोजना	विवरण
कोयला	समलेश्वरी ओसीपी का विस्तार (11 एमटीपीए से 15 एमटीपीए)	<p>क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफएंडसीसी ने 16 अप्रैल 2013 को परियोजना का अनुश्रवण किया और पूर्व पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के गैर-अनुपालन का रिपोर्ट दिया जो कि है,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009-10 के बाद परियोजना द्वारा कोई पौधरोपण कार्य नहीं लिया गया था;</li> <li>• “कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा अवैध कटाई किए गए थे और इन खुले स्थानों को भरने के लिए पौधरोपण करना था; राज्य सरकार द्वारा विधिवत प्रमाणित जियो-रेफेरेंस मैप प्रस्तुत नहीं किया गया था;</li> <li>• पुनर्वास कार्य अभी भी शुरू किया जाना था;</li> <li>• प्रयोगशाला को सुचारू बनाने के लिए इसे अपेक्षित उपकरण उपलब्ध करा के विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था;</li> <li>• निर्धारित पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन की स्थिति अभी अपलोड किया जाना था;</li> <li>• पर्यावरण गुणवत्ता मन्दंडों के निगरानी आँकड़े तथा अर्द्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन अभी भी प्रस्तुत किया जाना था।</li> </ul> <p>ईएसी ने इस तरह के गैर-अनुपालन के लिए परियोजना प्रस्तावक से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा तथा पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने हेतु परियोजना की अनुशंसा की गई।</p>
कोयला	पौंडरपौनी कोल वाशरी का विस्तार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• एमओईएफएंडसीसी के आरओ द्वारा पूर्ववर्ती पर्यावरण अनापत्ति में उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र निरीक्षण के बगैर परियोजना</li> </ul>

		के विस्तार के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की गई।
		<ul style="list-style-type: none"> <li>इस परियोजना के पर्यावरण अनापत्ति बैठक की कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया था कि “पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने से पहले परियोजना प्रस्तावक से वाशरी की क्षमता बढ़ाने के लिए तर्कसंगत ढंग से अपनाई जाने वाली उपकरण व प्रौद्योगिक का विवरण प्राप्त किया जाना चाहिए”। तथापि यह पाया गया कि मंत्रालय ने परियोजना प्रस्तावक से इस तरह की सूचना प्राप्त किए बगैर पर्यावरण अनापत्ति पत्र जारी कर दिया था।</li> </ul>

एमओईएफएंडसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि यह एक स्थापित प्रक्रिया थी कि वह परियोजना जो विस्तार के लिए आती है, पिछले मॉनीटरिंग रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत एवं जांच की जाती हैं और कहा कि पर्यावरण अनापत्ति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए टिप्पणी-पत्र में इस बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए सभी सदस्य सचिवों को हाल ही में आदेश जारी किए गए हैं।

तथापि, एमओईएफएंडसीसी ने तालिका 2.5 में किये गये उल्लेखित मामलों पर विशेष टिप्पणी नहीं की।

## 2.9 2008-12 के दौरान पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त परियोजनाओं का गैर-प्रचालन

सितम्बर 2006 के ईआईए नोटिफिकेशन का पैरा 9 पर्यावरण अनापत्ति की वैधता के लिए प्रावधानों का प्रतिपादन करता है। इस संबंध में, एमओईएफएंडसीसी को उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी<sup>16</sup> देने के लिए कहा गया था जिन्हें 2008-2012 के दौरान एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी, परन्तु उन्होंने उत्पादन प्रचालन शुरू नहीं किया था अथवा पर्यावरण अनापत्ति की वैधता की समाप्ति के पूर्व सभी निर्माण प्रचालनों (निर्माण परियोजनाओं के मामले में) को निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था या पूरा नहीं किया था। एमओईएफएंडसीसी ने इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2008-2012 के दौरान संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए एसपीसीबी/यूटीपीसीसी सहित 352 परियोजनाओं के नमूने का चयन किया। संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान अथवा एसपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह देखा गया कि 159 परियोजनाओं (44 प्रतिशत) में जिनके लिए एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी परियोजनाएं या तो प्रचालित नहीं थी अथवा वन अनापत्ति, वित्तीय बाधा, बाजार व्यावहारिकता, भूमि विवाद, तकनीकी कारण, इत्यादि कारणों से शुरू ही नहीं हुए थी।

<sup>16</sup> लेखापरीक्षा मेमो संख्या 137(पीए) दिनांक 27 अप्रैल 2016

उपरोक्त यह दर्शाता है कि एमओईएफएंडसीसी के पास कोई जानकारी नहीं थी कि क्या वे परियोजनाएं जिनके लिए उसने पर्यावरण अनापत्ति प्रदान की थी वे प्रचालित नहीं है अथवा बंद हो चुके हैं। बंद/गैर-प्रचालित परियोजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव एमओईएफएंडसीसी, एसपीसीबी तथा परियोजना प्रस्तावकों के बीच खराब समन्वय को दर्शाता है। एमओईएफएंडसीसी ने पर्यावरण अनापत्ति दी गई परियोजनाओं का वर्तमान स्थिति का ऑनलाईन डाटा बेस नहीं बनाया।

## 2.10 ताप एवं धातुकर्म परियोजनाओं के लिए संपर्क कोयला खदान की पर्यावरण अनापत्ति

ताप ऊर्जा एवं धातुकर्म परियोजनाओं के लिए एमओईएफएंडसीसी परिपत्र (नवम्बर 2010) के अनुसार, परियोजना की व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए कोयले की आपेक्षित मात्रा की उपलब्धता अनिवार्य है। इस प्रकार के परियोजनाओं के संभावित प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव तक पहुँच स्थापित करने के लिए परियोजना के लिए प्रयोग किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता, उसके स्रोतों तथा परियोजना की स्थिति के संबंध में दूरी के बारे में जानकारी रखना वांछनीय था। पर्यावरणीय भार के अतिरिक्त कोयले की गुणवत्ता का परियोजना के लिए आपेक्षित भूमि पर भी प्रभाव पड़ता है। कोयले की गुणवत्ता के सटीक आकड़े के अभाव में, क्षेत्र की वहन क्षमता की गणना हो सकती है जो पर्यावरणीय प्रयोजनों पर आधारित क्षेत्र के भावी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह, इसलिए, आवश्यक था कि संपर्क कोयला स्रोत की पर्यावरण तथा वन अनापत्ति सुनिश्चित की जाती। थर्मल ऊर्जा परियोजनाओं स्टील, स्पंज आयरन तथा इस प्रकार की अन्य परियोजना से संबंधित सभी प्रस्ताव, जो काफी हद तक कच्चे मालों की उपलब्धता पर निर्भर हैं, पर विचार केवल तभी किया जाएगा जब फर्म कोयला संपर्क उपलब्ध हो तथा कोयला स्रोतों अर्थात् संबद्ध कोयला खदान/कोयला प्रखण्ड के पर्यावरण व वानिकी अनापत्ति की स्थिति ज्ञात हो।

हमलोगों ने नवम्बर 2010 के बाद जारी नमूनाकृत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति पत्र का परीक्षण किया था संपर्क कोयला खदान के साथ उसकी जाँच की जो पर्यावरण अनापत्ति पत्र/ईआईए रिपोर्ट में निर्दिष्ट था और स्थल मुआयना के दौरान जाँच की कि क्या ताप ऊर्जा परियोजना कोयले का उपयोग कर रहा था जैसा कि पर्यावरण अनापत्ति पत्र में निर्दिष्ट था।

2008-11 के दौरान पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त कुल 43 परियोजनाओं तथा 2011-15 के दौरान पर्यावरण अनापत्ति प्रदत्त अन्य 41 परियोजनाओं की इस दृष्टिकोण से जाँच की गई थी। इन परियोजनाओं में से, दोनों अवधियों से प्रत्येक 9 परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति नवम्बर 2010 में निर्देश जारी किए जाने के बाद दी गई थी।

इन परियोजनाओं की संवीक्षा में हमलोगों ने निम्नलिखित बातें पाई:



- क. बिहार एवं छत्तीसगढ़ तक फैले तीन परियोजनाओं में पर्यावरण अनापत्ति ने उस कम्पनी का नाम निर्दिष्ट किया, जहाँ से प्रस्तावित कोयले की खरीद की जानी थी। तथापि, इसने उस प्रखण्ड अथवा खदान का नाम स्पष्ट नहीं किया, इसलिए स्रोत की स्थिति अथवा दूरी का अनुमान नहीं लगाया जा सका था, इन परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: ताप परियोजनाओं के अप्राप्य कोयला संबद्ध खदान

राज्य	परियोजना	पर्यावरण अनापत्ति की तिथि	कोयला संपर्क
1. बिहार	नवीनगर एसटीपीपी	27 दिसम्बर 2010	सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड
2. छत्तीसगढ़	कोयला आधारित ताप उर्जा सयंत्र का विस्तार	18 मार्च 2011	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
3. छत्तीसगढ़	कोयला आधारित ताप उर्जा सयंत्र	24 जनवरी 2012	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड

- ख. मध्य प्रदेश में एक परियोजना (विंध्याचल एसटीपीपी) में, पर्यावरण अनापत्ति (02 मई 2012 को दी गई) ने कोयला झारखंड में पाकरी बारवदिह कोयला प्रखण्ड से खरीदा जाना निर्दिष्ट किया गया था, जबकि कोयले के खनन में विलम्ब का हवाला देते हुए, एक अलग खदान से कोयले का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कोयले के स्रोत में परिवर्तन की सूचना एमओईएफएंडसीसी को नहीं दी गई है जो कि निर्देशों का घोर उल्लंघन है।
- ग. महाराष्ट्र में एक परियोजना (सुपर-क्रिटिकल टेकनोलॉजी कोल बेस्ड टीपीपी) में, पर्यावरण अनापत्ति 27 नवम्बर 2012 को दी गई थी, पर्यावरण अनापत्ति में कोयला की आपूर्ति हेतु कोयला प्रखण्ड अथवा खदान के साथ कोई सटीक संपर्क निर्दिष्ट नहीं था जो निर्देशों का उल्लंघन था।
- घ. राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तक फैले चार परियोजनाओं में, यद्यपि पर्यावरण अनापत्ति में उस कोयला प्रखण्ड को निर्दिष्ट किया जहाँ से कोयले की निकासी की जानी थी फिर भी यह तय नहीं किया जा सका कि क्या इन कोयला प्रखण्डों को क्रिया के लिए पर्यावरण अनापत्ति दी गई है। इन पाँच परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: कोयला संबद्ध खदान के पर्यावरण अनापत्ति कि गैर-पुष्टि

राज्य	परियोजना	पर्यावरण अनापत्ति की तिथि	कोयला संपर्क
1. राजस्थान	बरसिंगसर ताप ऊर्जा संयंत्र (नेवेली लिग्नाईट) आधारित 1x250 मेगावाट लिग्नाईट की वृद्धि द्वारा विस्तार	30 जुलाई 2012	हाडला कोयला प्रखण्ड को 21 जनवरी 2013 को पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी लेकिन पलाना कोयला प्रखण्ड को प्रदत्त पर्यावरण अनापत्ति के बारे में कोई ब्यौरा नहीं मिल सका।
2. तमिलनाडू	गुम्मीडीपोंडी तालुक में पेरिया ओबुलापुरम एवं पापनकुप्पम	18 मई 2011	महानदी कोल फील्ड्स संबद्ध कोयला खदान को प्रदत्त पर्यावरण अनापत्ति का कोई ब्यौरा नहीं।
3. उत्तर प्रदेश	फिरोज गांधी उंचाहार ताप ऊर्जा परियोजना	10 मई 2013	तलाईपली कोयला प्रखण्ड एवं पाकरी बारवदिह कोयला प्रखण्ड झारखंड में पाकरी बारवदिह कोयला प्रखण्ड को पर्यावरण अनापत्ति 19 मई 2009 को दी गई. तलाईपल्ली कोयला प्रखण्ड को दी गई पर्यावरण अनापत्ति का कोई ब्यौरा नहीं मिल सका।
4. पश्चिम बंगाल	सागरदिधि ताप ऊर्जा परियोजनाये	18 मई 2011	कोयला प्रखण्ड को दी गई पर्यावरण अनापत्ति का कोई ब्यौरा नहीं मिल सका।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि किसी कोयला खदान विशेष के साथ ऐसे सटीक संपर्क की आवश्यकता नहीं थी, यदि कोई कोयला पीएसयू क्षेत्र विशेष की खदान के किसी समूह से कोयला संबद्धता निर्धारित करता है। उस मामले में कोयला आयात किया गया था जिसमें परियोजना प्रस्तावक आयातकों के साथ हुए एमओयू की प्रति दाखिल करता है और कहा कि कोयला ई-नीलामी में खरीदा गया था तो किसी विशिष्ट संबद्धता की भी आवश्यकता नहीं थी।

तथापि, उपर्युक्त मामलों में नवम्बर 2010 के परिपत्र में उल्लेखित प्रावधानों को पर्यावरण अनापत्ति प्रखण्ड/ खदान को निर्दिष्ट किए बिना क्यों प्रदान की गई थी एवं क्या संबंधित कोयला प्रखण्ड को पर्यावरण अनापत्ति दी गई थी अथवा नहीं पर मंत्रालय का उत्तर मौन था।

## 2.11 राष्ट्रीय नियामक की नियुक्ति

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अनुसार, केंद्र सरकार, को परियोजनाओं का मूल्यांकन करने, मंजूरीयों के लिए पर्यावरण संबंधी शर्तों को लागू करने तथा प्रदूषण फैलानेवालों पर जुर्माना लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नियामक नियुक्त कर सकती हैं।

लाफ़ार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (6 जुलाई 2011) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर एक नियामक की आवश्यकता थी जिसके कार्यालय सभी राज्यों में हो, जो पर्यावरण स्वीकृतियों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी मूल्यांकन तथा परियोजनाओं का अनुमोदन कर सकता है और जो पर्यावरण स्वीकृतियों में विनिर्दिष्ट शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी भी कर सकता है।

हम लोगों ने पाया कि केंद्र सरकार ने वर्ग बी परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृतियाँ प्रदान करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईए) का गठन किया। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का कोई प्राधिकरण नहीं था और एमओईएफएंडसीसी स्वयं वर्ग ए परियोजनाओं को पर्यावरण स्वीकृतियाँ प्रदान कर रहा था।

एमओईएफएंडसीसी ने मंत्रालय द्वारा दिए गए विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट (नवम्बर 2014) में निर्णायक प्राधिकरणों के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एनईएमए) तथा राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण (एसईएमए) के सृजन का सुझाव संयुक्त पर्यावरणीय स्वीकृति (एक विंडो), एनईएमए द्वारा वर्ग ए मामलों तथा एसईएमए द्वारा वर्ग बी मामलों के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने हेतु दिया। ये पेशेवर व्यक्तियों से आबाद, उपयुक्त प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित स्थायी तकनीकी संस्थान होंगे, जिनके पास सख्ती से समयबद्ध तरीके से सभी पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदनों की कार्रवाई हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा। एनईएमए तथा एसईएमए 'सहमति' दिए जाने के पूर्व परियोजना घटकों सहित प्रमात्रा के मूल्यांकन/संभावित पर्यावरणीय क्षति की प्रकृति पर लागू की जाने वाली शर्तों को प्रतिपादित करने हेतु भी उत्तरदायी होंगे। ये लागू शर्तों की अनुपालना की निगरानी करने, यह सुनिश्चित करने कि उल्लंघनों की प्रभावी रूप से व्याख्या की जाती है तथा दंडात्मक उपायों की प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई हेतु उत्तरदायी एजेंसियाँ होगी।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि उसने समिति की सिफारिशों की जाँच करने, सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों को देखते हुए भारत के पर्यावरण संबंधी कानूनों तथा अन्य देशों में पर्यावरण संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन एवं प्रबंधन में

सर्वोत्तम प्रणालियों के बीच के अंतराल की पहचान करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार को नियुक्त किया है।

## 2.12 ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकारों की मान्यता

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उनके सलाहकारों की सहायता से तैयार किए गए ईआईए तथा ईएमपी रिपोर्टों के आधार पर ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार विकास परियोजनाओं का पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन किया जाता है। बेहतर निर्णय लेने के लिए अच्छी गुणवत्ता के ईआईए रिपोर्ट पूर्वापेक्षित होते हैं। यह अनुभव किया गया है कि ईआईए रिपोर्टों की गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता थी क्योंकि आमतौर पर सलाहकार, अनेक क्षेत्रों में तथा कुछ उदाहरणों में ईआईए/ईएमपी रिपोर्टों की तैयारी आवश्यक विशेषता तथा सहायक सुविधाओं जैसे नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाओं, योग्य कर्मचारियों, इत्यादि के बिना करते हैं। इसलिए, दिसंबर, 2009 में, एमओईएफएंडसीसी ने एक कार्यालय जापन<sup>17</sup> यह अधिदेश देते हुए जारी किया कि ऐसे सलाहकारों द्वारा बनाए गए ईआईए/ ईएमपी रिपोर्ट, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) अथवा शिक्षा तथा नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर एडुकेशन एंड ट्रेनिंग (एनएबीईटी) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, 30 जून 2010 के बाद मंत्रालय की और से उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, मार्च 2016 में एमओईएफएंडसीसी ने ईआईए अधिसूचना 2006 में संशोधन किया तथा यह प्रावधान शामिल किया कि वे पर्यावरण संबंधी सलाहकार संगठन, जिन्हें किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए मान्यता दी जाती है तथा क्यूसीआई अथवा एनएबीईटी या किसी अन्य एजेंसी जिसे एमओईएफएंडसीसी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, उन्हें उस क्षेत्र में परियोजनाओं के ईआईए रिपोर्ट तथा ईएमपी तैयार करने तथा संबंधित ईएसी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

यह देखा गया कि ईआईए रिपोर्ट तथा ईएमपी उन सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए थे जो क्यूसीआई अथवा एनएबीईटी के साथ किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थे जैसा कि तालिका 2.8 में विवरण दिया गया।

<sup>17</sup> एफ नं. जे-11013/77/2004-आईए II(I) दिनांक 2 दिसंबर 2009

**तालिका 2.8: एनएबीईटी के साथ पंजीकृत नहीं किए गए परियोजनाओं के सलाहकार**

ईएसी	हमारे पर्यवेक्षण
1. कोयला खनन (39 मामले)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 17 परियोजनाओं लागू नहीं/विस्तार योजनाएं थीं।</li> <li>➤ पाँच परियोजनाओं को अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त थीं मान्यता प्रक्रियाधीन थीं</li> <li>➤ एक परियोजना की ईआईए रिपोर्ट स्कैन की गई फाईल में नहीं मिली थीं।</li> <li>➤ शेष 10 परियोजनाओं के प्रत्यायन का पता नहीं लगाया जा सका।</li> </ul>
2. उद्योग (34 मामले)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सलाहकार को मान्यता प्राप्त बताया गया लेकिन 27 परियोजनाओं में मान्यता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया।</li> </ul>
3. गैर कोयला खनन (37 मामले)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पाँच परियोजनाओं में अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त थीं मान्यता प्रक्रियाधीन/प्रतीक्षा सूचीबद्ध थीं</li> <li>➤ सलाहकार को मान्यता प्राप्त बताया गया लेकिन तीन परियोजनाओं में मान्यता प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया।</li> <li>➤ 11 परियोजनाओं में सलाहकार की मान्यताओं के विषय में ईआईए रिपोर्ट मौन था।</li> </ul>
4. निर्माण (20 मामले)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ लागू नहीं क्योंकि टीओआर तथा ईआईए तैयार नहीं किया गया था।</li> </ul>
5. अवसंरचना (38 मामले)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 13 परियोजनाओं में, ईआईए रिपोर्ट तैयार करनेवाले सलाहकार उक्त परियोजना गतिविधि हेतु एनएबीईटी के साथ पंजीकृत नहीं थे,</li> <li>➤ 9 परियोजनाओं में, ईआईए रिपोर्ट तैयार करनेवाले सलाहकार ने बताया कि वह उक्त परियोजना गतिविधि के लिए एनएबीईटी के साथ पंजीकृत थे परन्तु सत्यापन हेतु प्रमाणपत्र संलग्न नहीं था।</li> </ul>
6. नदी घाटी तथा जलविद्युतीय (38 मामले)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 5 परियोजनाओं में, ईआईए रिपोर्ट तैयार करनेवाले सलाहकार उक्त परियोजना गतिविधि के लिए एनएबीईटी के साथ पंजीकृत नहीं थे।</li> </ul>
7. थर्मल ऊर्जा (41 मामले)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 10 परियोजनाओं में, ईआईए रिपोर्ट तैयार करनेवाले सलाहकार उक्त परियोजना गतिविधि के लिए एनएबीईटी के साथ पंजीकृत नहीं थे।</li> </ul>

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सलाहकारों को मान्यता क्यूसीआई द्वारा दी गई थी और योग्यता मानदंड विभिन्न सेक्टरों के लिए पात्रता तथा उनकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया व नवीनीकरण क्यूसीआई द्वारा संचालित होती है। मंत्रालय उन विषयों में मौन था जहाँ ईसी उन परियोजनाओं को दे दी थी जिनमें सलाहकार पंजीकृत नहीं था या प्रावधिक पंजीकृत था।

### 2.13 पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों में गैर एकरूपता

ईसी पत्र में सामान्य तथा विशिष्ट परिस्थितियां पीपी द्वारा पालन हेतु शामिल होती हैं। सामान्य स्थितियों से संबंधित है ईएमपी उद्यम सामाजिक जिम्मेदारी<sup>18</sup> (ईएसआर),

<sup>18</sup> एमओईएफएंडसीसी द्वारा ईसी में कोरपोरेट सोशल रिसपॉसिबिलिटी (सीएसआर) की जगह ईएसआर का भी उपयोग किया गया है।

निगरानी स्टेशनों के स्थान, आरओ/एसपीसीबी द्वारा पर्यावरणीय मानकों की निगरानी। विशिष्ट शर्त किसी एक परियोजना क्षेत्र और साइट से संबंधित होते हैं।

यह पाया गया कि विभिन्न पर्यावरण स्वीकृतियों में शर्तों एवं निबंधनों में एकरूपता नहीं है। यह भी पाया गया कि अलग-अलग परियोजना प्रस्तावकों पर तुलनीय/समान समय सीमाओं के दौरान समान परियोजनाओं के लिए दी गई अनापत्ति में अलग-अलग शर्तों एवं निबंधनों के मामलों को इंगित किया गया था।

पर्यावरण अनापत्ति में देखी गई भिन्नता इन संबंधों में थी जैसे कि, ईएमपी/सीएसआर लागत, सीटीओ/सीटीई प्राप्त करने की शर्त, कर्ण उत्सर्जन में भिन्नता, परियोजना प्रस्तावकों की वेबसाइट पर पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों की अनुपालना अपलोड करना, वर्षाजल संग्रहण, भूजल, वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग के साथ परामर्श, ऊपरी मिट्टी का निष्कासन। इनके विवरण अनुबंध V में दिए गये हैं।

एमओईएफएंडसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि यद्यपि पर्यावरण अनापत्ति शर्तों की एकरूपता वांछनीय थी तथापि इसे 100 प्रतिशत नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ शर्तें परियोजना तथा स्थल विशिष्ट हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सभी सेक्टरों पर लागू कुछ सामान्य शर्तें पर्यावरण स्वीकृतियों में मौजूद नहीं थीं और इसी प्रकार की परियोजनाओं के पर्यावरण स्वीकृतियों में भी भिन्नता देखी गई थी।

## 2.14 सार्वजनिक परामर्श

ईआईए अधिसूचना के अनुसार, सार्वजनिक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों व अन्य जिनकी परियोजना या गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव में संभाव्य भागीदारी है की चिंताओं का पता इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि परियोजना अथवा गतिविधि रूपरेखा में सभी महत्वपूर्ण चिंताओं का यथोचित ध्यान रखा जाए।

सार्वजनिक परामर्श में स्थानीय प्रभावित लोगों की चिंताओं का पता लगाने के लिए निर्धारित रीति में उस स्थल अथवा उसके अत्यंत निकट क्षेत्र में - जिलावार सार्वजनिक सुनवाई किया जाना शामिल था।

संबंधित एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी को सार्वजनिक सुनवाई के संचालन के लिए तिथि, समय तथा सटीक स्थल को अंतिम रूप देना था एवं उसे एक मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय स्थानीय भाषा दैनिक समाचार पत्र/आधिकारिक राज्य भाषा में विज्ञापित करना था। जनता को अपनी प्रतिक्रियाएँ देने के लिए 30 दिनों की न्यूनतम नोटिस अवधि दी जानी थी।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/उपायुक्त अथवा उनके या उनकी प्रतिनिधि; जो अवर जिला मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो, को एसपीसीबी या यूटीपीसीसी के प्रतिनिधि की सहायता से संपूर्ण सार्वजनिक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा अध्यक्षता करनी थी।

अभिव्यक्त सभी विचारों व शंकाओं को यथार्थ रूप से दर्शाने वाले सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही का सार एसपीसीबी तथा यूटीपीसीसी के प्रतिनिधि द्वारा अभिलेखित किया जाना चाहिए एवं कार्यवाही के अंत में स्थानीय भाषा में विषयों की व्याख्या करते हुए दर्शकों के लिए पढ़ा जाना चाहिए और सहमति प्राप्त कार्यवृत्त उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/ उपायुक्त अथवा उनके या उनकी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए तथा संबंधित एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को अग्रेषित की जानी चाहिए।

सार्वजनिक सुनवाई आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर सम्पन्न की जानी चाहिए। इसके बाद संबंधित एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को सार्वजनिक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित नियामक प्राधिकारी को सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही भेजनी चाहिए।

सार्वजनिक सुनवाई के मुद्दे, परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध योजना, प्रतिकूल सार्वजनिक सुनवाई के मामलों का विश्लेषण, सीपीसीबी/एसपीसीबी की सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप रहकर परियोजना प्रस्तावकों द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं, सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी ईआईए रिपोर्ट में शामिल की जानी थीं।

#### 2.14.1 ईआईए रिपोर्टों में सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की समीक्षा

हम लोगों ने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया जैसा कि ईआईए अधिसूचना 2006 में अनुबंधित था के आंकलन के लिए एमओईएफएंडसीसी में ऐसी 216 परियोजनाओं की जांच की जिन्हें 2011-जुलाई 2015 के बीच ईसी दिए गए थे। भवन निर्माण/ विनिर्माण सेक्टर में सार्वजनिक परामर्श लागू नहीं होता है क्योंकि उनमें टीओआर तथा ईआईए रिपोर्ट तैयार नहीं किए जाते। 196 परियोजनाओं, जिनमें सार्वजनिक परामर्श किया जाना था, में से 62 परियोजनाओं (32 प्रतिशत) में हम लोगों ने अनियमितताएं पाई जिसका सार तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: सार्वजनिक परामर्श में क्षेत्रवार अनियमितताओं का सार

ईएसी	जाँच की गई परियोजनाएं	अनियमितता वाली परियोजनाएं	गैर-अनुपालना का प्रतिशत
1. कोयला खनन	39	6	15.38
2. उद्योग	34	12 <sup>19</sup>	35.29
3. गैर-कोयला खनन	37	7	18.91
4. विनिर्माण	20	लागू नहीं है क्योंकि टीओआर एवं ईआईए रिपोर्ट नहीं बनते।	
5. अवसंरचना	38	21	55.26
6. नदी घाटी एवं जल विद्युतीय शक्ति	7	7	100
7. थर्मल ऊर्जा	41	9 <sup>20</sup>	21.95
	216	62	

तालिका 2.9 दर्शाती है कि ईआईए अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक परामर्श संचालन में यथोचित तत्परता का अनुगमन जांचे गए सात क्षेत्रों में से किसी में भी नहीं किया गया। नदी घाटी एवं जल विद्युतीय सेक्टर में अनियमितताएं सबसे अधिक थीं।

अनियमितताओं में, सार्वजनिक सुनवाई के संचालन में विलम्ब, गायब विज्ञापन, विज्ञापनों का स्थानीय भाषा में न होना, जनता के विचारों को ध्यान में न रखना इत्यादि शामिल था।

ईआईए अधिसूचना के प्रति गैर-अनुपालन से संबंधित कुछ रोचक मामले नीचे दिए गए हैं-

छत्तीसगढ़ में मैसर्स एसईसीएल के 'बिनकारा अंडरग्राउंड कोल माइन प्रोजेक्ट' के मामले में हम लोगों ने पाया कि परियोजना स्थापित करने के विरोध में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों के विरोध तथा उसके बाद में सरपंच, ग्राम पंचायत, अध्यक्ष, ग्राम सभा, अम्बिकापुर के विधायक आदि से प्राप्त शिकायत पत्रों का उल्लेख किए बिना ईसी प्रदान कर दी गई।

छत्तीसगढ़ में मैसर्स जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के कोल माइन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के अन्य मामले में हम लोगों ने पाया कि सार्वजनिक परामर्श की कार्यवाही को पूरा करने में 318 दिनों का विलंब हुआ था।

<sup>19</sup> सार्वजनिक सुनवाई से संबंधित विज्ञापन फाईल में नहीं थे।

<sup>20</sup> प्रेस क्लिपिंग से संबंधित अभिलेखों का अभाव।



हम लोगों ने सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया में अन्य कमियां पाईं जैसे कि संबंधित दस्तावेज व एसपीसीबी द्वारा विज्ञापन की तिथि, सार्वजनिक सुनवाई की तिथि, एसपीसीबी द्वारा कार्यवाही के अग्रेशन की तिथि इत्यादि फाइलों में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए यह जांच करना कठिन था कि सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया का पालन किया गया था।

### 2.14.2 सार्वजनिक परामर्श के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं का पूरा न होना

हम लोगों ने विभिन्न सेक्टरों से संबंधित 352 नमूनाकृत परियोजनाओं, जिन्हें 2008-2011 के दौरान ईसी दिया गया था, का स्थान पर निरीक्षण किया। 125 परियोजनाओं को सार्वजनिक सुनवाई से छूट दी गई थी, एमओईएफएंडसीसी द्वारा 11 परियोजनाओं में सार्वजनिक सुनवाई हेतु शर्त अनुबंधित नहीं थी। हम लोगों ने शेष 216 परियोजनाओं में से 92 परियोजनाओं के संबंध में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में अनुपालना को देखा। 44 परियोजनाओं के मामलों में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी और 20 परियोजनाओं में सार्वजनिक सुनवाई के संबंध में अनुबंध लागू नहीं था क्योंकि कोई मुख्य प्रतिबद्धताएं नहीं की गई थी अथवा परियोजनाएं अभी भी प्रारंभ होनी बाकी थी।

हम लोगों ने 60 परियोजनाओं के संबंध में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में कमी पाई। निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं के संबंध में कमी थी:

- प्रतिपूरक वनरोपण तथा ग्रीन बेल्ट वृक्षारोपण।
- वायु, जल, ध्वनी गुणवत्ता मानीटरिंग हेतु उपकरण नहीं लगाए गए।
- स्थानीय जनसमुदाय को रोजगार।
- स्थानीय जनसमुदाय हेतु अस्पताल की स्थापना एवं चिकित्सा की सुविधाएं।
- वर्षा जल संग्रहण व धूल प्रबंधन पद्धति की स्थापना।
- प्रवाह उपचार संयंत्र का निर्माण
- ईसीएसआर गतिविधियों का निष्पादन।
- स्थानीय जनसमुदाय के लिए शिक्षा सुविधा।

सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में कमी के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं -

**बिहार में मै. नबीनगर पॉवर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड का नबीनगर एसटीपीपी:** वायु, जल, ध्वनि व धूल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए यंत्र लगाना, हरित पट्टी का विकास और उपचारित गंदे पानी की रिसाइकलिंग प्रतिबद्धताओं में सम्मिलित थी। प्रतिबद्धताओं की पूर्ति में 100 प्रतिशत कमी थी क्योंकि वायु, जल व ध्वनि गुणवत्ता मानीटरिंग नहीं की

गई थी। धूल प्रबंधन नहीं किया गया था। हरित पट्टी नहीं बनाई गई थी। ईटीपी अभी निर्माणाधीन था।

**चंडीगढ़ में मैसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 'चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर नए यात्री टर्मिनल का निर्माण:** प्रतिबद्धताओं में परिधि में पौधे लगाना, स्थानीय निवासियों को रोजगार, गंदे पानी का उपचार, मुफ्त शिक्षा व चिकित्सा सुविधाएं शामिल था। हमने देखा कि वहां 100 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि पौधों का वृक्षारोपण नहीं किया गया था, रोजगार के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा कोई विवरण नहीं दिया गया था, 930 केएलडी के बजाए 600 केएलडी का एसटीपी लगाया गया था। और परियोजना प्रस्तावकों द्वारा कोई ईएसआर गतिविधि नहीं की गई थी।

**मैसर्स झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ओपन कास्ट कोल माइंस परियोजना (सिक्की) -** सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं ने सड़क विकास, वृक्षारोपण, पौधों का वितरण, जल भराव के विरुद्ध सुरक्षा, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं को मुहैया कराना और विस्थापित लोगों को रोजगार शामिल था। कम्पनी ने लातेहर में अस्पताल बनाने, मुफ्त पौध वितरण, पौधों की नर्सरी और शसंग स्कूल की देखभाल करने की प्रतिबद्धता की थी। हमने देखा कि केवल बाल समागम और बाल दिवस ही आयोजित किए गए थे। पीपी द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई कोई भी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की गई।

**मध्यप्रदेश में मैसर्स एसईसीएल की शीतलधारा कुर्जा और कपिलधारा खानों का समूह:** प्रतिबद्धताओं में सड़क निर्माण, स्कूल बनाना, वृक्षारोपण व पेयजल की व्यवस्था शामिल थे। पेयजल का प्रावधान टैंकर के माध्यम से किया गया। पीपी द्वारा सड़क निर्माण, स्कूल निर्माण व वृक्षारोपण की प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की गई थीं।

**मेघालय में मैसर्स माम्लूह चैरा सीमेंट लिमिटेड की 'माम्लूह लाइमस्टोन माइन:** सार्वजनिक सुनवाई में प्रभावशाली प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का संस्थापन और ग्रीन बेल्ट विकास की प्रतिबद्धताएं शामिल थीं। परियोजना प्रस्तावकों ने बताया कि प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी स्थितियों में सुधार हेतु पर्याप्त कोष अलग से रखे गए हैं। हम लोगों ने पाया कि वहां 100 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि ग्रीन बेल्ट का विकास नहीं किया गया था और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली भी नहीं लगाए गई थी। परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास तथा ईएसआर में कोई व्यय नहीं किया गया था।

**पंजाब में मैसर्स बीसीएल इंडस्ट्रीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का ग्रेन बेस्ड डिस्टलरी एंड कोजेन पावर प्लांट:** प्रतिबद्धताओं में क्षेत्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हेतु प्राथमिक

विद्यालय शामिल था। वहां 100 प्रतिशत की कमी थी क्योंकि पीपी द्वारा प्रतिबद्धता पूरी नहीं की गई थी।

**राजस्थान में मैसर्स ठेकेदार रविंदर भारद्वाज की सैंडस्टोन माईन:** प्रतिबद्धताओं में स्थानीय लोगों को रोजगार, खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण, कूड़े को व्यवस्थित रूप से फेंकना, श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपाय तथा स्थानीय गाँव वालों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए रु.0.25 लाख प्रतिवर्ष अलग से निश्चित किया जाना शामिल था। वहाँ कमी इसलिए पाई गई क्योंकि उत्थान के लिए कोई राशि अलग से निर्धारित नहीं की गई और कोई खर्चा नहीं किया गया।

**पश्चिम बंगाल में मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का शंकरपुर अंडरग्राउंड कोल माइन प्रोजेक्ट:** प्रतिबद्धताओं में सड़क पर पानी का छिड़काव, कंपनी की समस्या पर ध्यान देने के लिए समिति का गठन, खदान के चारों तरफ हरित घेरे का विकास, सघन वृक्षारोपण और ईएसआर की गतिविधियों का आरंभ शामिल थे। स्थान का दौरा करने पर पाया गया कि प्रगतिशील वनीकरण योजना नहीं बनाई गई थी, पहुँच - मार्ग का हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया, लदाई स्थान, कन्वेयर प्रणाली, स्थानांतरण बिंदुओं और रेलवे साईडिंग पर जल छिड़काव प्रणाली नहीं स्थापित की गई थी। परियोजना प्राधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों पर धूल दबाने के लिए चल जल टैंकों का इस्तेमाल किया गया था। किंतु, स्थान के संयुक्त दौरे के दौरान ये नहीं पाए गए।

### 2.14.3 2006 की ईआईए अधिसूचना में कमियां

सार्वजनिक परामर्श के संबंध में ईआईए अधिसूचना में हम लोगों ने निम्नलिखित कमियां देखीं:

- क. सार्वजनिक सुनवाई में की गई प्रतिबद्धताओं हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे परियोजना प्रस्तावक समयबद्ध तरीके से प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके।
- ख. यह सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं था कि अंतिम ईआईए रिपोर्ट/पर्यावरण संबंधी अनापत्ति पत्र में स्थानीय लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया था।
- ग. सार्वजनिक सुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धताओं को परियोजना प्रस्तावकों ने पूरा किया या नहीं इसकी कोई मानीटरिंग नहीं हुई थी।
- घ. 1994 की ईआईए अधिसूचना के अनुसार, प्रामाणिक निवासियों, पर्यावरणीय समूह तथा परियोजना स्थल/ विस्थापन के स्थलों/ प्रभावित होने की संभावना वाले स्थलों में स्थित अन्यो सहित सभी व्यक्ति सार्वजनिक सुनवाई में भाग ले सकते हैं। हालांकि 2006 की ईआईए अधिसूचना के अनुसार ऐसी कोई शर्त नहीं है, किन्तु यह उल्लिखित है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए उपस्थिति हेतु किसी कोरम की आवश्यकता नहीं थी। किंतु परियोजना से प्रभावित परिवारों की सहभागिता को

बढ़ावा देने के लिए ताकि उनके विचार और चिंताओं पर ध्यान दिया जा सके, उनकी सहभागिता के लिए एक कोरम की आवश्यकता हो सकती है।

## 2.15 उपसंहार

हम लोगों ने पाया कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रक्रिया के प्रत्येक चरण यथा टीओआर की स्वीकृति देने, अंतिम ईआईए रिपोर्ट की संवीक्षा, ईएसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन, अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी के सिफारिशें प्रस्तुत करना और आवेदक को पर्यावरण अनापत्ति की सिफारिशें तथा एमओईएफएंडसीसी के निर्णय से अवगत कराने में विलम्ब हुआ।

कुछ नमूनाकृत मामलों में ईआईए रिपोर्ट टीओआर के अनुरूप नहीं था एवं कुछ परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट सामान्य संरचना के अनुरूप नहीं थीं, फिर भी एमओईएफएंडसीसी द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रदान की गई थी। टीओआर की स्वीकृति के पूर्व आधारभूत आँकड़े का संग्रहण/3 महीने के एक मौसम के बदले एक महीने के लिए आँकड़े का संग्रहण तथा टीओआर में अनिवार्य शर्तों की गैर प्रविष्टि से संबंधित अन्य अपर्याप्तताएं देखी गईं।

पीपीज द्वारा यह नहीं कहा गया कि उनके द्वारा ईआईए रिपोर्ट पर गहन अध्ययन किया गया था। अतः पर्यावरण पर वर्तमान तथा नियोजित कार्यकलापों के संचयी प्रभाव के बारे में आश्वस्त नहीं किया जा सका। परियोजना प्रस्तावकों को पर्यावरण अनापत्ति पूर्व पर्यावरण अनापत्ति में उल्लेखित शर्तों की अनुपालना एवं क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिशों की जांच किए बिना दी गई थी। हमलोगों ने समान प्रकार के परियोजनाओं में पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की शर्तों में गैर-एकरूपता भी पाई।

एमओईएफएंडसीसी को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या उन परियोजनाओं जिनके लिए इसने पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रदान की थी वे प्रचालित नहीं थीं अथवा बंद हो चुके हैं। संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान अथवा एसपीसीबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हमलोगों ने पाया कि बहुत सी परियोजनाएं या तो प्रचालित नहीं थीं अथवा वन विभाग की अनापत्ति, वित्तीय बाधा, बाजार व्यवहार्यता, भूमि विवाद, तकनीकी कारण आदि कारणों से शुरू ही नहीं हुए थे।

हम लोगों ने पाया कि कुछ मामलों में ईआईए रिपोर्ट तैयार करने वाले सलाहकार अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त थे अथवा पूर्ण नहीं थे अथवा उनकी विश्वसनीयता सत्यापित नहीं थी। परियोजनाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मूल्यांकन तथा अनुमोदन और पर्यावरण मंजूरीयों में निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन की देखरेख करने, पर्यावरण संबंधी कानूनों के कार्यान्वयन करने हेतु राष्ट्रीय नियामक की नियुक्ति एमओईएफएण्डसीसी द्वारा अभी तक नहीं की गई।

यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई प्रक्रिया नहीं थी कि अंतिम ईआईए रिपोर्ट/पर्यावरण अनापत्ति पत्र में जनता की चिंताओं को ध्यान में रखा गया था और सार्वजनिक परामर्श के दौरान परियोजना प्रस्तावकों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक सुनवाई के आयोजन में भी कमियां पाई गई थीं।

## 2.16 सिफारिशें

हम सिफारिशें करते हैं कि,

- i. एमओईएफएंडसीसी डाटाबेस के पुनर्वैधीकरण के लिए एनआईसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करे और उन परियोजनाओं की सही तस्वीर पर पहुँचे जिनको मंत्रालय द्वारा ईसी दिए गए हैं।  
(पैराग्राफ 2.2)
- ii. ईसी देने में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफएंडसीसी को ईआईए के अधिसूचना के अनुसार समय सीमा का पालन करने के साथ प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाए।  
(पैराग्राफ 2.3)
- iii. एमओईएफएंडसीसी को ईआईए रिपोर्टों की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे टीओआर के अनुसार हैं, सामान्य ढांचे का पालन करती हैं, बेसलाइन डाटा सही है और लोक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।  
(पैराग्राफ 2.5)
- iv. एमओईएफएंडसीसी कार्यालय जापनों का सहारा लेने के बजाय सभी भागीदारों को, ईआईए की संपूर्ण प्रक्रिया का, कानूनी प्रक्रियाएँ अपनाकर, शामिल करके मूल्यांकन करे और ईआईए अधिसूचना में उचित संशोधन करे।  
(पैराग्राफ 2.7)
- v. एमओईएफएंडसीसी केवल पिछले ईसी की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करने के बाद ही पीपी को नए सिरे से ईसी प्रदान करें।  
(पैराग्राफ 2.8)
- vi. एमओईएफएंडसीसी अपने कोयला लिंकड खान ताप तथा धातुकर्म परियोजनाओं के ईसी के लिए जारी परिपत्र का पालन करे ताकि निश्चित कोयला लिंकेज 2010

कोयला ब्लॉक की/उपलब्ध हो और कोयला स्रोतों यानि जुड़ी कोयला खान (संधि) पर्यावरण तथा वानिकी अनापत्ति ज्ञात हो।

(पैराग्राफ 2.9)

- vii. एमओईएफएंडसीसी समान प्रकार की परियोजनाओं में असमानता से बचने के उद्देश्य से ईसी की शर्तें परियोजना की प्रकृति तथा प्रकार के अनुरूप बनाने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 2.13)



अध्याय

3





# सामान्य पर्यावरण अनापत्ति शर्तों का अनुपालन

## 3.1 प्रस्तावना


पर्यावरण अनापत्ति (ईसी), ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार नियत प्रक्रियाएं अपनाने के बाद एमओईएफएण्डसीसी द्वारा श्रेणी ए परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं। ईआईए रिपोर्ट में पीपी द्वारा की गई वचनबद्धताओं के अनुसार निर्धारित शर्तों पर परियोजना के पीपी को इसी जारी किया जाता है। इस अध्याय में ईसी की 13 सामान्य शर्तों के गैर अनुपालन से संबंधित टिप्पणियाँ दी गई हैं जो कि सभी राज्यों की परियोजनाओं से संबंधित हैं। 13 सामान्य शर्तें नीचे दी गई हैं:

- I. व्यय में कमी और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) कि कोई समयबद्ध योजना नहीं
- II. अलग लेखाशीर्ष और ईएमपी की निधियों का उद्दिष्टीकरण नहीं
- III. पर्यावरण अनापत्ति पत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना लागत का चित्रण नहीं/ कम चित्रण
- IV. ईएमपी कार्यकलापों हेतु वन विभाग से परामर्श न करना
- V. हरित पट्टी के विकास में कमी
- VI. सीएसआर कार्यकलापों में कमी
- VII. पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट और पर्यावरण क्लीयरेंस पत्र में उल्लेख ईएसआर के तहत गतिविधियों के लिए राशि में भिन्नता
- VIII. पेड़ काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त न करना
- IX. भूजल का अनियमित उपयोग
- X. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के बाद कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन
- XI. वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट/ पर्यावरण विवरण प्रस्तुत न करना
- XII. ईसी देने से पूर्व निर्माण/ प्रचालनों का आरम्भ
- XIII. परियोजना प्रसारक द्वारा समाचार पत्र में ईसी का विज्ञापन न करना

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या पर्यावरण प्रस्तावक ने ईसी शर्तों का अनुपालन किया है, हमने पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा दिए गए 352 परियोजनाओं के अभिलेखों/ सूचना, जिसके लिए एमओईएफएण्डसीसी ने कलेण्डर वर्ष 2008-12 में सात क्षेत्रों में प्रदान की गई ईसी का मुल्यांकन किया है। हमने अभिलेख तथा दस्तावेजों के

आधार पर ईसी रिपोर्ट की शर्तों का अनुपालन तथा प्रति बढ़ताओ का परीक्षण जांच किया। लेखा परीक्षा निष्कर्ष का परिणाम चार्ट 3.1 में संक्षेप है।

**चार्ट 3.1 सामान्य ईसी शर्तों के अनुपालन का मुल्यांकन**



चार्ट 3.1 दर्शाता है कि सामान्य शर्तों के नमूना परियोजनाओं द्वारा अनुपालन की प्रतिशतता चार से 56 प्रतिशत के बीच थी। परियोजनाओं में जो गैर अनुपालन में 25 प्रतिशत से अधिक है वे 13 में से पांच सामान्य ईसी शर्तों से सम्बन्धित हैं। वे निम्नवत हैं:

- (i) पेड़ काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त न करना
- (ii) अलग लेखाशीर्ष और ईएमपी की निधियों का उद्दिष्टीकरण नहीं
- (iii) हरित पट्टी के विकास में कमी
- (iv) ईएमपी कार्यकलापों हेतु वन विभाग से परामर्श न करना
- (v) व्यय में कमी और ईएमपी के लिए समयबद्ध योजना नहीं

352 परियोजनाओं जिसमें परीक्षण जाँच की गई, दस परियोजनाओं में सामान्य ईसी के गैर अनुपालन की अधिकतम संख्या प्रदर्शित हुई है जिसे नीचे दी गई तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.1 : 10 परियोजनाओं जिसमें अधिकतम संख्या के सामान्य ईसी शर्तों का गैर अनुपालन हुआ है।**

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
1. बिहार	उन्नयन पटना गया धोबी अनुभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग -83	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग	ई.एम.पी के वास्तविक व्यय में गिरावट, 100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी, ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी, ई.एस आर. की गतिविधियों में अन्तर, बिना अनुमति के भूजल का उपयोग, दो समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं देना।
2. बिहार	3x60 मेगावाट नबीनगर एसटीपीपी	मैं नबीनगर पावर जनरेशन कंपनी	100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी, ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी, ई.एस आर. की गतिविधियों की राशि में अन्तर, ईए की रिपोर्ट प्रस्तुत ना करना, ई.सी मिलने से पहले निर्माण कार्य की अनुमति देना, ईसी सी समाप्ति पर विस्तार नहीं मिलना, काम के दायरे में परिवर्तन
3. बिहार	पुनर्वास, उन्नयन और एसएच 87 का सुदृढीकरण	मैं बिहार राज्य सड़क विकास निगम	100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी ई.एस आर. की गतिविधियों में अन्तर पेड़ काटने

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
			की अनुमति नहीं मिलना, बिना अनुमति के भूजल का उपयोग
4. उत्तराखंड	शॉपिंग मॉल सह मल्टीप्लेक्स और होटल हरिद्वार में	में लोटस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	वन विभाग से परामर्श ना करना, ई.एस आर. की राशि में गतिविधियों में अन्तर, ईए की रिपोर्ट प्रस्तुत न करना
5. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कच्चल पर बंदरगाह सुविधाओं का विकास	में बंदरगाह प्रबंधन बोर्ड	100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी काम के दायरे में परिवर्तन दो समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं देना, इए की रिपोर्ट प्रस्तुत न करना।
6. उत्तराखंड	शॉपिंग मॉल सह मल्टीप्लेक्स और होटल हरिद्वार में	में लोटस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीन बैलट का विकास, इसी की समाप्ति पर विस्तार नहीं मिलना, काम के दायरे में परिवर्तन
7. तेलंगाना	अनाज आधारित डिस्टिलरीज।	अनाज आधारित डिस्टिलरीज।	वन विभाग में परामर्श न करना ग्रीन बैलट का विकास ईए रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, इसी मिलने से पहले निर्माण कार्य की अनुमति देना।
8. पंजाब	शंते माजरा पर बाग देश	में अंसल लोटस मिलावट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीन बैलट के विकास में कमी बिना अनुमति के भूजल का ईए की रिपोर्ट प्रस्तुत ना करना इसी सी समाप्ति पर विस्तार नहीं मिलना
9. मेघालय	में अंसल लोटस मिलावट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	में श्री शकामवरी फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	100 प्रतिशत ग्रीन बैलट के विकास में कमी, बिना अनुमति के भूजल का उपयोग उपयोग दो समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं देना। ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी
10. छत्तीसगढ़	राजनांदगांव में इस्पात संयंत्र का विस्तार	में क्रेस्ट स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	ग्रीन बैलट के विकास, ई.एस आर. की गतिविधियों में अन्तर, ई.एस.आर की गतिविधियों में कमी, ईएमपी की राशि में अन्तर

13 सामान्य इसी संबंधित विस्तृत लेखा परीक्षा निष्कर्षों उत्तरगामी पैराग्राफ में हैं

### 3.2 पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना से सम्बन्धित मामले

पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) की तैयारी परियोजनाओं को चालू करने के दौरान और बाद में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रतिपादन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए

अपेक्षित है। परियोजनाओं का ईएमपी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों/जोखिमों का परिहार करने, कम करने, अल्प करने अथवा प्रतिपूर्ति करने और वृद्धि उपाय प्रस्तावित करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है।

परियोजना के ब्योरे दर्शाएं कि कैसे विभिन्न साधन लागत संघटकों सहित प्रस्तावित किए गए हैं अथवा प्रस्तावित किए जाने हैं जैसी अपेक्षा की जाए। पर्यावरणीय सुरक्षाओं के साधनों की लागत परियोजना लागत के अभिन्न घटक के रूप में मानी जानी चाहिए और पर्यावरणीय पहलुओं का परियोजनाओं के विभिन्न चरणों पर ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात:

- क. संकल्पनीकरण: प्राथमिक पर्यावरणीय आकलन
- ख. योजना: पर्यावरणीय प्रभावों का विस्तृत अध्ययन और सुरक्षा उपायों के डीजाइन के विस्तृत अध्ययन
- ग. निर्माण: पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन
- घ. प्रचालन: निर्मित सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की निगरानी

ईएमपी आवश्यक रूप से संसाधन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के विचारों पर आधारित होना चाहिए जिनमें से कुछ हैं: द्रव्य वहिःसाव, वायु प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, ध्वनि तथा कंपन, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों का निवारण, अनुरक्षण तथा प्रचालन, देखरेख, मानव व्यवस्थापन, परिवहन प्रणालियां, पुनःप्राप्ति-अपशिष्ट उत्पादों का पुनः उपयोग, वनस्पति बचाव, आपदा योजना और पर्यावरण प्रबन्धन कक्षा।

### 3.2.1 व्यय में कमी और ईएमपी की कोई समयबद्ध योजना नहीं

परियोजनाओं की इसी हेतु आवेदन करते समय ईएसी को प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट में शामिल ईएमपी में पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने के ले अपेक्षित लागत (प्रारंभिक तथा आवर्ती लागतें) स्पष्टतया प्रदर्शित होनी चाहिए और ईएमपी के कार्यान्वयन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना के साथ ऐसी लागतें निकालने का आधार भी शामिल होना चाहिए। ईआईए रिपोर्ट में ऐसी स्पष्टता पीपी द्वारा कार्यकलाप वार और लागत वार अनुपालन की पर्याप्तता की निगरानी हेतु आवश्यक थी।

हमने पाया कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 352 नमूना परियोजनाओं में से 90 परियोजनाओं (26 प्रतिशत) में ईएमपी के प्रति व्यय में कमी हुई थी जैसा तालिका 3.2 में नीचे प्रदर्शित है।

तालिका 3.2 ईएमपी के प्रति व्यय में कमी

कमी का प्रतिशत	1 से 20%	20 से अधिक 40% तक	40 से अधिक 60% तक	60 से अधिक 80% तक	80 से अधिक 100% तक
परियोजनाओं की संख्या	12	17	14	20	27
परीक्षित परियोजनाओं का प्रतिशत	3	5	4	6	8

इस प्रकार प्रदूषण शमन, जल संरक्षण, हरित पट्टी के विकास, उचित अपशिष्ट प्रबन्धन, बहिः स्राव संसाधन, पर्यावरण प्राचल निगरानी, धूल उन्मूलन आदि का उद्देश्य पीपी द्वारा की गई वचनबद्धताओं के अनुसार प्राप्त नहीं किया गया था और एमओईएफएण्डसीसी ने उस की निगरानी नहीं की थी।

इसके अलावा 64 परियोजनाओं के संबंध में पीपी ने ईएमपी पर व्यय के ब्योरों नहीं भेजे थे और उस रूप में ईएमपी का उचित कार्यान्वयन निर्धारित नहीं किया जा सका। इसके अलावा 226 जांचित नमूना मामलों में ईएमपी वचन बद्धता पूरी करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना का ईआईए रिपोर्ट अथवा ईसी पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था।

उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिये गए हैं:

में. मंगलौर स्पेशल इकानामिक जोन लिमिटेड, कर्नाटक द्वारा 'विशेष आर्थिक क्षेत्र के चरण-1' परियोजना में हमने देखा कि ईएमपी के अधीन पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के लिए क्रमशः ₹ 660 करोड़ तथा ₹ 100 करोड़ प्रतिवर्ष का प्रावधान था। जैसे प्रदूषण नियंत्रण निगरानी प्रणाली, हरित पट्टी, समाज कल्याण पर खर्च किया जाना था। तथापि पीपी ने ₹ 186.71 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया था और ईएमपी पर राजस्व व्यय नहीं किया था। इस प्रकार, 72 प्रतिशत की कमी हुई थी।

एक अन्य मामले में मैं उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा 'जाकन-2 नदी से अल्प खनिजों के संग्रह' में, ईआईए रिपोर्ट में प्रतिवर्ष ₹ 11.45 लाख प्रावधान किया गया था, जो कि खनन संचालन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए और स्थानीय निवास स्थान के वैज्ञानिक विकास में प्रयोग करना था। धन का प्रावधान इन चिह्नित क्षेत्रों की निगरानी के लिए था: हवा, पानी, व्यापक ध्वनि, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पतियों की सूची, स्थानीय आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, भौतिक सर्वेक्षण और पर्यावरण सेल के लिए मानव श्रम की कीमत। ईएमपी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य योजना ईआईए रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था। हमने देखा की व्यय में 88

प्रतिशत की कमी थी और अधिकतम खर्चा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से हवा, पानी और ध्वनि की निगरानी की दिशा में किया गया था।

चूंकि ईएमपी कार्यकलाप पर्यावरण को हुए प्रतिकूल प्रभावों को रोकने और उन्हें कम करने के लिए परिकल्पित हैं, इसलिए ईएमपी व्यय में कमी दर्शाती है कि पीपी सतत विकास के प्रति वचनबद्ध नहीं थे। इसके अलावा एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी/यूटीपीसीसी से कोई प्रयास इस संबंध में प्रस्तावकों से सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध नहीं थे।

### 3.2.2 अलग लेखाशीर्ष और ईएमपी की निधियों का उद्दिष्टीकरण नहीं

पीपी द्वारा ईएमपी पर वास्तविक व्यय में कमी के अतिरिक्त हमने ईएमपी की निधियों के उद्दिष्टीकरण और उद्दिष्ट निधियों के अलग लेखा के अनुरक्षण की जांच करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी द्वारा जारी ईसी पत्रों का मूल्यांकन किया।

हमने देखा कि 352 परीक्षित परियोजनाओं में से केवल 95 (27 प्रतिशत) में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की निधियों के लिए अलग लेखे के अनुरक्षण की शर्त अनुबद्ध की गई थी। अलग लेखा की शर्त का 244 परियोजनाओं में उल्लेख नहीं किया गया था।

हमने पाया कि 48 परियोजनाओं में पीपी ने ऐसी निधियों के लिए लेखा नहीं बनाया था और इसलिए ईएमपी पर वास्तविक व्यय निर्धारित करना कठिन था।

### 3.2.3 ईसी पत्र में ईएमपी लागत का चित्रण नहीं/ कम चित्रण

पीपी ईआईए रिपोर्ट में ईएमपी से सम्बन्धित लागत अनुमानों का प्रावधान करता है। परियोजना का मूल्यांकन करते समय ईसी संख्याओं पर विचार करता है और सिफारिशें देता है जो एमओईएफएण्ड सीसी द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

हमने देखा कि एमओईएफएण्डसीसी ने ईसी पत्र में अनुमोदित राशि का उल्लेख करने की समान प्रथा का अनुपालन नहीं किया था, इसलिए यह सुनिश्चित करना कठिन था कि ईएमपी पर व्यय के अनुपालन की पीपी द्वारा प्रस्तुत छ माही प्रगति रिपोर्ट माध्यम से निगरानी की जा सके।

यह देखा गया था कि 352 नमूना परियोजनाओं में से 202 परियोजनाओं में ईसी पत्र में ईएमपी राशि अनुबंध नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप ईएमपी व्यय की उचित निगरानी नहीं की जा सकी। इसके अलावा 72 परियोजनाओं में ईएमपी लागत का ईआईए रिपोर्ट तथा ईसी पत्र दोनों में पीपी द्वारा अनुमानित लागत से कम, थी जिसके लिए अक्टूबर 2016 में लेखापरीक्षा को दिए गए अपने उत्तर में एमओईएफएण्डसीसी द्वारा कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया था।



उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में में. क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर प्राइ. लिमि. द्वारा 'राजनन्द गांव में इस्पात संयम का विस्तार' परियोजना में हमने देखा कि ईआईए रिपोर्ट में ईएमपी उपायों के लिए पीपी द्वारा ₹ 7.50 करोड़ की राशि का प्रस्ताव किया गया था। तथापि इसी पत्र में ईएमपी उपायों के लिए ₹ 1.50 करोड़ का उल्लेख किया गया। ऐसे अन्तर के लिए एमओईएफएण्डसीसी द्वारा कोई औचित्य नहीं दिया गया था।

इसी प्रकार महाराष्ट्र में में. किलोस्कर फेरस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 'शोलापुर में फाउंड्री इकाई का विस्तार तथा आधुनिक करण' परियोजना में हमने देखा कि क्रमशः पूंजीगत तथा आवर्ती व्यय के प्रति ₹ 2.65 करोड़ तथा ₹ 0.78 करोड़ प्रति वर्ष की राशि ईआईए रिपोर्ट में ईएमपी उपायों हेतु पीपी द्वारा प्रस्ताव किया गया था। तथापि इसी पत्र में अलग से पूंजीगत तथा आवर्ती व्यय का चित्रण किए बिना ईएमपी उपायों हेतु ₹ 5.00 करोड़ राशि का उल्लेख किया गया था।

### 3.2.4 ईएमपी कार्यकलापों हेतु वन विभाग से परामर्श न करना

ईएमपी में उल्लेखित वृक्षारोपण, वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण और अनेक अन्य कार्यकलापों के उचित कार्यान्वयन हेतु राज्य वन विभाग के साथ विचार विमर्श अपेक्षित हैं।

हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 352 नमूना परियोजनाओं में से 191 परियोजनाओं में इसी पत्र में वन विभाग से परामर्शों की शर्त अनुबंध नहीं की गई थी। 85 परियोजनाओं, जहाँ इसी शर्त अनुबंध की गई थी, 40 परियोजनाओं (47 प्रतिशत) में हमने पाया कि पीपी ने इसी शर्त का पालन नहीं किया था।

उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में में. गोगटे मिनरल्स लिमिटेड द्वारा तिरोडा लौह अयस्क खदान परियोजना में इसी शर्त में अपेक्षा की गई की खनन पट्टा (एमएल) क्षेत्र, दुलाई सड़कों, अति भारित (ओबी) डम्प स्थानों आदि में पर्याप्त वृक्षा रोपण किया जाना चाहिए। पेड़ प्रजातियों के चयन सहित सीपीसीबी मार्ग निर्देशों को ध्यान में रखकर और स्थानीय जिला वन अधिकारी/कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी विकास किया जाना चाहिए। क्षेत्र दौरे के दौरान ओबी डम्पस पर, स्कूल तथा एमएल क्षेत्र तथा दुलाई सड़कों के बीच घना रोपण देखा गया था। तथापि पीपी ने स्वीकार किया कि राज्य वन विभाग के परामर्श बिना रोपण योजना स्वयं उनके द्वारा तैयार की गई थी।

उत्तराखण्ड में में. गामा इन्फ्राप्रोप प्राइ. लिमि. द्वारा 'गैस आधारित संयुक्त विधुत संयंत्र' परियोजना में इसी शर्त में अपेक्षा की गई कि हरित पट्टी के विकास के अतिरिक्त, जिला वन विभाग के परामर्श से सामाजिक वानिकी उपाय किए जाने चाहिए। तथापि यह देखा गया था कि सामाजिक वानिकी उपायों अथवा निम्नीकृत वन के किसी ब्लॉक की पहचान नहीं की गई थी अथवा पीपी द्वारा इस संबंध में कार्य योजना आरम्भ नहीं की गई थी।

### 3.3 हरित पट्टी के विकास में कम

वायु प्रदूषकों के लिए हरित पट्टी एक महत्वपूर्ण कुण्ड है। पेड़ शोर का अवशोषण करते हैं और हरित क्षेत्र बढ़ाने के द्वारा पारिस्थितिकी तथा सुन्दरता का सुधार करते हैं और स्थानीय सूक्ष्म मौसम विज्ञान को प्रभावित करते हैं। पेड़ मट्टी गुणवत्ता तथा भू जल स्तर पर प्रमुख दीर्घावधि प्रभाव भी रखते हैं। उचित पेड़ प्रजातियों का उपयोग कर उत्सर्जित प्रदूषकों और शोर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामरिक क्षेत्रों में हरित पट्टियां विकसित की जा सकती हैं।

यह देखा गया कि 352 नमूना परियोजनाओं में से 330 परियोजनाओं के संबंध में हरित पट्टी के विकास से सम्बन्धित शर्त अनुबद्ध की गई थी। 133 परियोजनाओं में इस शर्त की अनुपालना की गई थी। हरित पट्टी विकास से सम्बन्धित शर्त 18 परियोजनाओं में लागू नहीं थी क्योंकि वे निर्माणधीन थे और 22 परियोजनाओं में पीपी द्वारा अभिलेख भेजे नहीं गए थे। दो परियोजनाओं में रोपण हेतु क्षेत्र/पेड़ों की संख्या के संबंध में इसी की विशिष्टता न होने के कारण कमी अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

हमने 155 (47 प्रतिशत) परियोजनाओं में हरित पट्टी के विकास में कमी देखी। 139 परियोजनाओं में कमी की प्रतिशत क्षेणी जहाँ परिमाणीय है तालिका 3.3 में दी गई है। 16 परियोजनाओं के मामलों में कमी की मात्रा निकाली नहीं जा सकी क्योंकि औसत दर्जे के मापदंड जैसे रोपण हेतु क्षेत्र और पेड़ों की संख्या का इसी पत्र में उल्लेख नहीं था।

तालिका 3.3 : हरित पट्टी के विकास में कमी

% में कमी की श्रेणी	परियोजनाएं	परियोजनाओं का प्रतिशत
1-20	16	12
21-40	17	12
41-60	27	19
61-80	30	22
81-100	49	35
	139	

हमने यह भी पाया कि 20 मामलों में पीपीज ने परियोजनाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए एक भी पेड़ नहीं लगाया था (100 प्रतिशत कमी)। 100 प्रतिशत कमी के पाँच मामले तालिका 3.4 में दिए गए हैं।

तालिका 3.4 : हरित पट्टी के विकास में 100 प्रतिशत कमी

राज्य	परियोजना
1. बिहार	में. बालाजी इनगॉट इण्डिया प्राइ. लिमिटेड (बाला जी एम एस इनगॉट उत्पादन का विस्तार)
2. मध्यप्रदेश	में. एनवीडीए बारवानी, एमपी द्वारा लोअर सिंचाई परियोजना

राज्य	परियोजना
3. महाराष्ट्र	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन एच 17(पनवेल से इन्दापुर खण्ड) दो लेन का चार/छः लेन चौड़ीकरण
4. मेघालय	मै. मामलुह चेरा सीमेंट लिमि. द्वारा मामलुह लाइमस्टोन खान
5. ओड़िशा	मै. महानदी कोलफील्डस लिमि. द्वारा भुवनेश्वरी ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिये गए हैं:

झारखण्ड में मै. हिन्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 'हिसरी बाकसाइट माइनिंग प्रोजेक्ट' नामक गैर कोयला खनन परियोजना के ईसी पत्र में 2.98 हैक्टेयर में रोपण आवश्यक किया गया। कुल 12,700 पेड़ रोपित किए जाने थे। तथापि केवल 85 पेड़ लगाए गए थे। 12615 पेड़ों अर्थात् 99 प्रतिशत की कमी हुई थी।

मिजोरम में मै. लोक निर्माण विभाग (राजमार्ग) मिजोरम द्वारा नए 2 लेन राजमार्ग का निर्माण नामक अवसंरचना परियोजना के ईसी पत्र में काटे गए पेड़ों की संख्या के कम से कम तीन गुने का रोपण आवश्यक किया गया। कुल 3084 पेड़ गिराए गए थे। इसलिए 9,252 पेड़ लगाने की आवश्यकता हुई थी। तथापि केवल 200 पेड़ लगाए गए थे, जिससे 9,052 पेड़ों अर्थात् 98 प्रतिशत की कमी हुई।

भूमि की पुनरुद्धार करने, रोपण के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिस्थिति का सन्तुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य पीपीज द्वारा रोपण के अभाव/ रोपण की कमी के कारण विफल हो गए।

### 3.4 उपक्रम सामाजिक उत्तरदायित्व मामले

एमओईएफएण्डसीसी ने ईआईए रिपोर्ट के व्यापक ढांचे में पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) के अतिरिक्त सार्वजनिक परामर्श, सामाजिक प्रभाव निर्धारण तथा राहत और पुनर्वास (आर एण्ड आर) कार्य योजना निर्धारित की थी। परियोजना प्रस्तावकों को ईआईए रिपोर्ट में इन कार्यकलापों में शामिल कार्यकलाप - वार लागतें (पूजीगत तथा आवर्ती लागतें दोनों), चरणबद्धता स्पष्टतया बतानी थी।

ईआईए रिपोर्टों में उपक्रम सामाजिक उत्तरदायित्व ईएसआर ईएसआर कार्यकलापों जैसे पेड़-पौधे व जीव-जन्तुओं का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषिवानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना, राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण, भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, स्वास्थ्य स्वच्छता और को शिक्षा बढ़ावा देना आदि को अंजाम देना परिकल्पित था।

### 3.4.1 ईएसआर से संबंधित कार्यकलापों में कमी

परियोजनाओं की ईसी के लिए आवेदन करते समय ईएसी को पीपी द्वारा प्रस्तुत ईआईए रिपोर्ट में कार्यकलाप वार लागतें (पूजीगत तथा आवर्ती लागतें दोनों) और ईएसआर के अन्तर्गत इन कार्यकलापों की चरणबद्धता का स्पष्टतया प्रदर्शन होना चाहिए। ईआईए रिपोर्ट में ऐसी स्पष्टता, परियोजना के परिचालन चरण के दौरान पीपी द्वारा लागत वार अनुपालन की निगरानी हेतु आवश्यक थी।

हमने देखा कि 352 परियोजनाओं में से 178 परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट/ ईसी में ईएसआर कार्यकलापों के लिए निधियां उद्दिष्ट नहीं की गई थीं। 103 मामलों में ईआईए/ईसी रिपोर्ट में या तो ईएस आर निधियाँ बताई नहीं गई या व्यय विवरण नहीं था। 57 परियोजनाओं में छः प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक आंशिक कमी हुई थी और 14 परियोजनाओं में 100 प्रतिशत कमी हुई थी।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

**ओडिशा में में. ईमामी पेपर मिल्स लिमिटेड की 'पेपर मिल एवं आन्तरिक विद्युत संयंत्र का विस्तार, बालासोर'** में हमने देखा कि ईएसआर कार्यकलापों (साक्षरता, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा राहत, समुदाय सेवा, प्राकृतिक विपत्तियाँ तथा आपदा राहत, अवसंरचना विकास तथा अनुरक्षण, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, ऐतिहासिक धरोहर एवं स्थान तथा संरचना का पुनरोद्धार तथा अनुरक्षण, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार पैदा करना, गायों तथा अन्य दुग्ध पशुओं की सुरक्षा तथा कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, अनुसंधान कार्यकलाप, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, नारी सशक्तिकरण, अन्य कार्यकलाप) के लिए ईआईए रिपोर्ट/ईसी में कोई समयबद्ध कार्ययोजना नहीं थी। इसके अलावा ईएसआर हेतु वचनबद्ध ₹ 95.00 करोड़ की कुल निधियों में से पीपी द्वारा 2012-13 से 2015-16 के दौरान ₹ 4.09 करोड़ का कुल व्यय किया गया था जिसके कारण 95 प्रतिशत की कुल कमी हुई।

इसी प्रकार **मैसर्स अडानी पावर महाराष्ट्र प्रा. लिमिटेड की गोंदिया में 'कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार'** एक अन्य परियोजना में हमने देखा कि ईआईए रिपोर्ट/ईसी में ईएसआर कार्यकलापों (चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, ग्रामीण विकास, धर्मार्थ कार्यों आदि) के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना नहीं थी। इसके अलावा ईएसआर के लिए वचनबद्ध ₹ 105.60 करोड़ की कुल निधियों में से पीपी द्वारा 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 11.97 करोड़ का कुल व्यय किया गया था जिसके कारण 89 प्रतिशत की कमी हुई थी।

### 3.4.2 ईआईए रिपोर्ट तथा ईसी पत्र में उल्लेखित ईएसआर कार्यकलापों की राशि में अन्तर

पीपी को ईआईए रिपोर्ट में ईएसआर कार्यकलापों से सम्बन्धित लागत अनुमानों का प्रावधान करना चाहिए। परियोजना का मूल्यांकन करते समय ईएसी इन अनुमानों पर विचार करती है और अपनी सिफारिशें देती है। आदर्शतः एमओईएफएण्डसीसी को ईसी पत्र में अनुमोदित राशि का उल्लेख करना चाहिए ताकि ईएसआर कार्यकलापों के अनुपालन की निगरानी पीपी द्वारा प्रस्तुत छः माही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से की जा सके।

हमने देखा कि 352 परियोजनाओं में से 77 परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट और ईसी पत्र में उल्लेखित ईएसआर की राशि में अन्तर था।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

**आंध्रप्रदेश में मैसर्स एनएचएआई की चिलाकालुरी पैट से नैल्लोर खण्ड की 6 लेन सड़क** के मामले में हमने पाया कि ईआईए रिपोर्ट में निर्दिष्ट ईएसआर की राशि ₹ 2.50 करोड़ थी परन्तु ईसी में उसका उल्लेख नहीं किया गया था।

**हरियाणा में मैसर्स आईओसीएल की पानीपत शोधन शाला में इमलशन स्टाइरीन रबड़ प्रतिष्ठापन** के अन्य मामले में हमने पाया कि ईआईए रिपोर्ट में ईएसआर की राशि ₹ 4.50 करोड़ निर्दिष्ट थी परन्तु ईसी में उसका उल्लेख नहीं किया गया था।

### 3.5 पेड़ काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त न करना

राजमार्गों के उन्नयन के संबंध में परियोजनाओं के ईसी अनुबद्ध करते हैं कि पीपी सक्षम प्राधिकरण से पेड़ काटने के लिए आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। एमओईएफएण्डसीसी तथा राज्य वन प्रभाग की अनुबद्ध शर्तों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण किया जाएगा।

हमने देखा कि 352 परीक्षित मामलों में से केवल नौ परियोजनाओं में यह अनुबद्ध किया गया था कि पेड़ काटने के लिए सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी थी। पेड़ काटने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान शामिल न करने से पीपीज द्वारा पेड़ों की अव्यवस्थित कटाई का जोखिम पैदा होता है। नौ परियोजनाओं में से दो में पीपी ने उतने ही पेड़ काटे थे जितने सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए और दो परियोजनाओं में पीपीज द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

हमने देखा कि नौ परियोजनाओं में से पाँच में काटे गए पेड़ सक्षम अधिकारी द्वारा काटने के लिए अनुमत पेड़ों की संख्या से अधिक थे। पाँच मामले तालिका 3.5 में दिए गये हैं।

तालिका 3.5 : पेड़ों की मंजूरी संख्या से अधिक में कटाई

राज्य	परियोजना का नाम	पेड़ काटने के लिए जो अनुमति प्राप्त की गई थी	पेड़ों की वास्तव में कटाई की संख्या
1. बिहार	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड द्वारा 'एसएच 87 का सुधार उन्नयन तथा सृद्धीकरण	482	15765
2. छत्तीसगढ़	मै. एनएचएआई द्वारा एनएच-6 का चार लेन तक उन्नयन औरांग से सराईपल्ली तक	18621	34679
3. कर्नाटक	मै. एनएचएआई द्वारा एनएच 17 की 4/6 लेन कुन्दापारा/ सूरतकाल	14956	18400
4. मध्यप्रदेश	एनएचएआई, छिंदवारा द्वारा अमरवारा की दो लेनों का सुधार एवं उन्नयन	2815	11031
5. मध्यप्रदेश	मै. एनएचएआई द्वारा छिंदवारा/चौरई/सियोनी सैक्शन का उन्नयन	1066	1455

### 3.6 भूजल का अनियमित उपयोग

कुछ परियोजनाओं के इसी पत्र में यह निर्धारित था कि पीपी परियोजनाओं के लिए भूजल की अपेक्षित मात्रा के आहरण के लिए सीजीडब्ल्यू से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।

यह देखा गया कि 352 परीक्षित मामलों में से 220 परियोजनाओं के संबंध में भूजल के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकरण की अनुमति से सम्बन्धित शर्त अनुबद्ध की गई थी। इस शर्त का अनुपालन 102 मामलों में पाया गया था। 16 परियोजनाओं के मामलों में लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए थे और 61 परियोजनाओं के मामले में यह शर्त लागू नहीं थी क्योंकि परियोजनाएं भूजल का उपयोग नहीं कर रही थीं।

हमने देखा कि 220 परियोजनाओं में से 41 परियोजनाओं में भूजल उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति के संबंध में इसी शर्तों का उल्लंघन हुआ था।

उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:-

मै. एनएचएआई द्वारा एनएच-83 पर पटना-गया- दोभी खण्ड का उन्नयन और मै. स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा 'एम्स का निर्माण, एपैक्स हैल्थ केयर इंस्टीट्यूट, फुलवारी शरीफ, पटना' का निर्माण' नामक दो परियोजनाओं में इसी में अनुबद्ध किया गया कि परियोजना के लिए या तो भूजल का उपयोग नहीं किया जाएगा या फिर संबंधित

प्राधिकरण की अनुमति भूजल के लिए ली जाएगी। हमने देखा कि भूजल सक्षम प्राधिकरण अर्थात् सीजीडब्ल्यू की अनुमति बिना उपयोग किया जा रहा था।

इस प्रकार 19 प्रतिशत मामलों में भूजल की अपेक्षित मात्रा निकालने के लिए सक्षम प्राधिकरणों से पूर्व अनुमति प्रस्तावकों द्वारा ली नहीं गई थी।

### 3.7 एमओईएफएण्डसीसी से ईसी प्राप्त करने के बाद कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन

एमओईएफएण्डसीसी के ईसी में अनुबद्ध शर्तों में से एक यह थी कि परियोजना के क्षेत्र में किसी परिवर्तन (नों) के मामले में परियोजना को एमओईएफएण्डसीसी द्वारा ताजा मूल्यांकन अपेक्षित होगा।

यह देखा गया था कि 352 नमूना परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं में यह शर्त सम्बन्धित ईसी पत्र में अनुबद्ध नहीं की गई थी। शेष 341 परियोजनाओं में से 33 मामलों में कोई नया मूल्यांकन/ एमओईएफएण्डसीसी द्वारा संशोधित ईसी जारी नहीं की गई हालांकि इन परियोजनाओं में पीपी द्वारा कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ था।

इन 33 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं में उत्पादन/भण्डारण क्षमता बढ़ाई गई, 14 परियोजनाओं में निर्माण के दौरान निर्मित क्षेत्र, तलों, पाकेट आदि जैसी सीमाओं की वृद्धि की गई, दो परियोजनाओं में भूमि/वन क्षेत्र को बढ़ाया अथवा विपथित किया गया और चार परियोजनाओं में जलयानों/गोदी के परियोजना की रूपरेखा को परिवर्तित किया गया। 4 परियोजनाओं में पीपी ने ईंधन/ परिवहन की स्रोत विधि बदल दिया और एक मामले में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित नहीं किया गया था।

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:

**ओमेक्स रिवेरिया, उत्तराखण्ड के आवासीय परिसर,** के निर्माण से संबंधित परियोजना में लेखापरिक्षा ने देखा कि पीपी को ईसी के अनुसार भूतल के साथ 4 तलों वाले 3 पाकेटों की संरचना का निर्माण करना था। पीपी ने ईसी शर्तों के उल्लंघन में 4 पाकेटों का निर्माण किया। 64 कमरों वाला एक अपार्टमेंट ब्लॉक रोज वुड सर्विस अपार्टमेंट होटल्स को पट्टा दिया पाया गया था। इसके अलावा परियोजना स्थान के अन्दर एक निर्माणधीन ढांचा भी खड़ा हो रहा था जिसमें बार, रेस्टोरेंट तथा होटल खोलने को दर्शाते साइन बोर्ड थे, जो ईसी पत्र के प्रावधानों के प्रतिकूल था। इस प्रकार एमओईएफएण्डसीसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ईसी के दायरे को बदला गया था।



ओमेक्स रिवेरिया अवसंरचना रुद्रपुर, उत्तराखंड में 64 कमरों वाला सेवा अपार्टमेंट

ओमेक्स रिवेरिया अवसंरचना रुद्रपुर, उत्तराखंड के अन्दर आने वाले प्रस्तावित होटल एवं बार रेस्टोरेंट

इसी तरह टाउनशिप परियोजना आशियाना अमरबाग, जोधपुर के एक अन्य मामले में इसी केवल 345 यूनिटों के निर्माण और 44,664.34 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र हेतु दिया गया था। तथापि लेखापरिक्षा ने देखा कि 413 यूनिटों का निर्माण किया गया और निर्माण का क्षेत्र भी 55,019 वर्ग मीटर तक बढ़ाया गया था। पीपी द्वारा एमओईएफएण्डसीसी से नया मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया गया था।

में. जीएमडीसी लिमिटेड द्वारा माता नौ मढ लिग्नाइट माइन, गुजरात परियोजना में 2.40 मिलियन टन प्रतिवर्ष लिग्नाइट के लिए इसी दिया गया था। तथापि यह देखा गया था कि 2012-15 के दौरान वास्तविक उत्पादन 3.19, 3.07 तथा 3.28 एमटीपीए था।

विभिन्न कारक जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, को ध्यान में रखकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसी जारी किया गया था उन शर्तों का पीपीज द्वारा अक्षरशः कडाई से अनुपालन किया जाना चाहिए था। तथापि उनका उल्लंघन पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है और स्थानीय आस-पड़ोस, स्थानीय जनसंख्या और उनके संसाधनों पर अतिरिक्त भार डालता है।

### 3.8 वार्षिक पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट/पर्यावरण विवरण प्रस्तुत न करना

एमओईएफएण्डसीसी परिपत्र दिनांक 30 जून 2009 के अनुसार फार्म-V में 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वित्त वर्ष का पर्यावरण विवरण पीपी द्वारा प्रस्तुत किया जाना था जैसा पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। इसे इसी शर्तों के अनुपालन की स्थिति के साथ-साथ कम्पनी की वेबसाइट पर भी डाला जाना था और क्षेत्रीय कार्यालय, एमओईएफएण्डसीसी को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाना था।

352 नमूना परियोजनाओं में से 145 परियोजनाओं (41.19 प्रतिशत) में यह शर्त इसी पत्र में अलग से विशिष्ट नहीं की गई थी। इस तरह 207 परियोजनाओं में से 150 परियोजनाओं ने फार्म-V में पर्यावरण विवरण प्रस्तुत किए थे और 39 परियोजनाओं



(18.89 प्रतिशत) में इस शर्त का अनुपालन देखा गया था। शेष 18 मामलों में या तो सूचना उपलब्ध नहीं थी अथवा लागू नहीं थी।

पर्यावरण विवरण के अभाव में एसपीसीबी/एमओईएफ एण्ड सीसी/आरओ द्वारा परियोजना के निर्माण /प्रचालन के विभिन्न पहलुओं जैसे पर्यावरणीय मानकों की गुणवत्ता में सम्भावित समझौता, प्रदूषकों का विसर्जन, खतरनाक तथा ठोस अपशिष्टों का प्रबन्धन, जल, कच्चे माल आदि की खपत, के ऊपर प्रभावी निगरानी नहीं रखी जा सकी।

### 3.9 ईसी देने से पूर्व निर्माण/ प्रचालनों का आरम्भ

ईआईए अधिसूचना 2006 का पैरा 9 प्रावधान करता है कि परियोजना अथवा कार्यकलाप के लिए दिया गया पूर्व ईसी नदी घाटी परियोजनाओं के मामले में 10 वर्ष, खनन परियोजनाओं के मामले में 30 वर्ष और अन्य सभी परियोजनाओं के मामले में पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वैधता की अवधि पाँच वर्षों की अधिकतम अवधि तक सम्बन्धित नियामक प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई जा सकती है बशर्ते वैधता अवधि के अन्दर आवेदन किया गया हो।

हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 352 परीक्षित परियोजनाओं जिन्हें वर्ष 2008 से 2012 के दौरान ईसी दिए गए थे, में से 18 परियोजनाओं में ईसी देने से पूर्व निर्माण/ प्रचालन आरम्भ हो गया। इसके अलावा आठ परियोजनाओं में ईसी की समाप्ति के बाद पीपी द्वारा ईसी की वैधता में समय-वृद्धि प्राप्त नहीं की गई थी। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

**मै. रीयल टेक कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड की 'सिटी इम्पोरिया माल, चण्डीगढ़ निर्माण'** के मामले में हमने देखा कि एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने पाया (अगस्त 2008) कि वाणिज्यिक परिसर का निर्मित क्षेत्र 200000 वर्ग फुट से अधिक था। इसलिए पीपी द्वारा ईसी प्राप्त किया जाना था चण्डीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया (अगस्त 2009)। पीपी ने उत्तर में बताया कि अतिरिक्त क्षेत्र केवल पार्किंग प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाना था और किसी वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं था और अतिरिक्त जल आवश्यकता/ अपशिष्ट जल उत्पादन आदि नहीं होगा। एमओईएफएण्डसीसी ने कोई जुर्माना लगाए बिना ईसी जारी कर दिया (नवम्बर 2009)।

इसी प्रकार एक अन्य निर्माण क्षेत्र परियोजना, **मै0 एमजीएफ डवलपमेन्टस लिमिटेड का मेट्रोपोलिटन माल, जालन्धर, पंजाब** में हमने देखा कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक को जारी ईसी फरवरी 2013 में समाप्त हो गया था और अपूर्ण कार्य नया ईसी प्राप्त किए बिना नए पीपी द्वारा अधिकार में ले लिया गया था (जनवरी 2015) उल्लंघन के लिए परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध दण्डनीय कार्रवाई नहीं की गई थी।



**मेट्रोपोलिटन माल, जालंधर, पंजाब**

ईसी देने से पूर्व निर्माण/ प्रचालनों का आरम्भ और ईसी को वैधता की समय वृद्धि बिना परियोजनाओं की विद्यमानता दर्शाती है कि एमओईएफएण्डसीसी द्वारा परियोजनाओं की निगरानी में गम्भीर कमियां थीं जिसके कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव हुए।

### 3.10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाचार पत्र में ईसी का विज्ञापन न करना

ईसी पत्र की सामान्य शर्त के अनुसार, पीपी क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन करेगा, जिनमें से एक यह सूचित करते हुए स्थानीय भाषा में होगा कि परियोजना को ईसी प्रदान किया गया है एवं ईसी की प्रतियां एसपीसीबी के पास हैं और एमओईएफएण्डसीसी की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती हैं।

यह देखा गया कि 352 नमूना परियोजनाओं में से, 211 परियोजनाओं के मामले में समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया गया था। 25 परियोजनाओं में सम्बन्धित ईसी पत्र में यह शर्त अनुबद्ध नहीं की गई थी। 92 मामलों में संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थीं।

शेष 24 मामलों में, हमने देखा कि 11 परियोजनाओं में विज्ञापन केवल एक समाचारपत्र में ही दिया गया था और 13 परियोजनाओं में पीपी ने किसी भी समाचार पत्र में ईसी का विज्ञापन नहीं दिया।

इस प्रकार एमओईएफएण्डसीसी द्वारा परियोजना को दिए गए ईसी के बारे में हितधारको/ आम जनता को बताने में पीपी विफल हुए। 25 परियोजनाओं में यह शर्त सम्बन्धित ईसी पत्र में अनुबद्ध नहीं की गई थी। अतः एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र में यह आवश्यक शर्त अनुबद्ध करने में एक समान नहीं था।

### 3.11 उपसंहार

पर्यावरणीय प्रबंधन योजना पीपी द्वारा दी गई प्रतिबद्धता जो प्रदूषण उपशमन, जल संरक्षण, ग्रीन बेल्ट के विकास, उचित अपशिष्ट प्रबंधन, प्रवाह उपचार, पर्यावरण पैरामीटर निगरानी, धूल दमन, आदि से संबंधित है। हमने देखा कि पीपी ने ईएमपी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया था एमओईएफएण्डसीसी ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि ईएमपी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना थी।

पीपी द्वारा ईआईए रिपोर्ट में प्रतिबद्ध पर्याप्त ग्रीन बेल्ट को बनाए रखने की आवश्यकता पूरी नहीं की थी। ईएसआर के तहत गतिविधियाँ या तो पूरी नहीं की गई या ईआईए रिपोर्ट प्रतिबद्धताओं से भिन्न थी।

एमओईएफएण्डसीसी और इसके क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं थे कि पीपी ने अपेक्षित मात्रा में भूजल लेने के लिए सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेते हैं।

पीपी ने अपेक्षित मंजूरी के बिना परियोजनाओं के दायरे में बदल किया था या इसी मिलने से पहले निर्माण/ प्रचालन शुरू किया था। इससे यह संकेत मिलता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और सीसी यह सुनिश्चित करने में असमर्थ था कि पीपी ने इसी शर्तों का पालन अक्षरशः किया है।

पीपी नियमित रूप से संबंधित एसपीसीबी को वार्षिक पर्यावरण लेखा परीक्षा रिपोर्ट/ पर्यावरण वक्तव्य प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। दो स्थानीय समाचार पत्र में इसी के प्रकाशन की आवश्यकता को भी पीपी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था, जिससे हितधारकों/ आम जनता को इसी के बारे में जागरूक करने में नाकाम रहे।

### 3.12 सिफारिशें

हम सिफारिशें करते हैं कि,

- i. ईआईए रिपोर्टों/ इसी पत्रों में उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा के साथ ईएमपी तथा ईएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों की लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.2 तथा 3.4)

- ii. एमओईएफएण्डसीसी पश्च इसी देने के बाद तीसरी पार्टी से मूल्यांकन के साथ वन/ कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र और लगाई जाने वाली प्रजातियों पर ईएमपी/ इसी शर्त (तें) अधिक विशिष्ट करने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 3.3)

- iii. एमओईएफएण्डसीसी भूजल निकालने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड/ राज्य एजेंसियों को प्रत्येक परियोजना पर जारी इसी पत्र की एक प्रति भेजने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 3.6)

अध्याय

4



# विशिष्ट पर्यावरण अनापत्ति शर्तों का अनुपालन


## 4.1 प्रस्तावना

पर्यावरण निर्बाधन(ईसी) ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार नियत प्रक्रियाएं अयनाने के बाद एमआईएफएण्डसीसी द्वारा श्रेणी ए परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं। पीपी को इसी जारी किया जाता है और ईआए रिपोर्ट में पीपी द्वारा की गई वचनबद्धताओं के अनुसार निर्धारित शर्तों का पालन किया जाता है। सामान्य शर्तों के अतिरिक्त पीपीज द्वारा पालन किए जाने के लिए या तो क्षेत्रों से अथवा परियोजना से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट शर्तें भी लगाता है। इस अध्याय में 18 विशिष्ट ईसी शर्तों के लिए गैर-अनुपालन पर अवलोकन किया है जो सभी राज्यों में फैली परियोजनाओं से संबंधित है। 18 शर्तों नीचे दी गई है।

- (i) आपात काल तैयारी योजनाओं का कार्यान्वयन
- (ii) ऊपरी मिट्टी का संरक्षण करना
- (iii) अतिभारित खत्तों का प्रबन्धन
- (iv) वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों का आवंटन करना हेतु कार्ययोजना तैयार करना
- (v) बहिःस्राव संसाधन संयंत्र जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां संस्थापित करना।
- (vi) व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू करना और जोखिम की पहचान करना
- (vii) वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना
- (viii) क्षमिकों के लिए आवसीय सुविधाओं का निर्माण करना
- (ix) राहत तथा पुनर्वास
- (x) खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के प्रहस्तन में उल्लंघन
- (xi) विस्फोटक सामग्री के प्रहस्तन हेतु निबन्धन प्राप्त करना
- (xii) ताप विधुत परियोजनाओं के मामले में फलाई एश का भण्डारण
- (xiii) ताप विधुत परियोजनाओं के मामले में अनुमत राख मात्रा की अपेक्षा अधिक के कोयला का उपयोग
- (xiv) ताप बिधुत परियोजनाओं के मामले में फलाई एश के पलायल उत्सर्जन का अनुचित नियंत्रण

- (xv) ताप बिधुत परियोजनाओं के मामले में फलाई एश राख का उपयोग करना
- (xvi) नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के मामले में अभिकल्पित कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में कूड़ा करकट का समेकन करना
- (xvii) मछली उधोग संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना लागू करना एक जल संसाधन परियोजना
- (xviii) जल ग्रहण क्षेत्र संसाधन योजनाएं लागू करना

यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या पर्यावरण प्रस्तावक ने ईसी शर्तों का अनुपालन किया है, हमने पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा दिए गए 352 परियोजनाओं के अभिलेखों/ सूचना, जिसके लिए एमओईएफएण्डसीसी ने कलेण्डर वर्ष 2008-12 में सात क्षेत्रों में प्रदान की गई ईसी का मुल्यांकन किया है। हमने अभिलेख तथा दस्तावेजों के आधार पर ईसी रिपोर्ट की शर्तों का अनुपालन तथा प्रति बद्धताओं का परीक्षण जांच किया। लेखा परीक्षा निष्कर्ष का परिणाम चार्ट 4.1 में संक्षेप है।





चार्ट 4.1 दर्शाता है कि शर्तों का परिक्षित परियोजनाओं द्वारा अनुपालन की प्रतिशतता पांच से 57 प्रतिशत के बीच थी। परियोजनाएं जिनमें अनुपालन 25 प्रतिशत से अधिक है, छह विशेष इसी शर्तों से संबंधित है और उनमें से अधिकांश नदी घाटी एवं जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं और ताप विद्युत परियोजनाओं से संबंधित हैं। वे निम्नवत हैं:

- (i) कार्ययोजना तैयार ने करना और कार्यान्वयन न करना/वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों का आवंटन करना
- (ii) जल ग्रहण क्षेत्र संसाधन योजनाएं लागू न करना
- (iii) नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के मामले में अभिकल्पित कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में कूड़ा करकट का समेकन में तथा संकलन न करना
- (iv) मछली उद्योग संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना लागू न करना एक जल संसाधन परियोजना
- (v) ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में फ्लाइ ऐश का अनुभित भण्डारण
- (vi) वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण न करना

352 परियोजनाओं जिसमें परीक्षण जाँच की गई, जिसमें से दस परियोजनाओं में विशिष्ट इसी के गैर-अनुपालन की अधिकतम संख्या प्रदर्शित हुई है जो नीचे दी गई तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.1: 10 परियोजनाओं जिसमें अधिकतम संख्या के विशिष्ट इसी शर्तों का गैर अनुपालन हुआ है।**

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
1. बिहार	2x195 मेगावाट (द्वितीय चरण) कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट	मैसर्स कांती बिजली उत्पादन वितरण लिमिटेड	फ्लाइ ऐश का भंडारण, फ्लाइ ऐश, उत्सर्जन का नियंत्रण अनुमति दी राख की मात्रा, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन संरचना, राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं होना।
2. मेघालय	मामलूह चूना पत्थर खदान	मैसर्स मामलूह चरा सीमेंट लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, टॉप सौइल, एवं ओवर बर्डन की गैर प्रबंधन, ईटीपी की गैर-स्थापना, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम, वर्षा

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
			जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण का कार्यान्वयन नहीं होना वनस्पति एवं जन्तुओं का गैर संरक्षण
3. जम्मू-कश्मीर	खृतू चूना	मैसर्स जम्मू-कश्मीर सीमेंट लिमिटेड	आपातकालीन का गैर संरक्षण तैयारियों की योजना, वनस्पति और जीव, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण का कार्यान्वयन नहीं होना
4. उत्तराखंड	ओमैक्स रिवीयरा रुद्रपुर के आवासीय परिसर।	मैसर्स ओमैक्स लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, वर्षा जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण, ईटीपी की गैर-स्थापना, विस्फोटक की हैंडलिंग, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की हैंडलिंग में कमी।
5. मेघालय	रिवियांग में 10 मेगावाट सीपीपी के साथ फेरो सिलिकॉन संयंत्र के निर्माण के चरण	मैसर्स श्री शाकम्बरी फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, ईटीपी, वर्षा जल संचयन संरचना, व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं की गैर-निर्माण की गैर-स्थापना में कमी, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की हैंडलिंग।
6. जम्मू-कश्मीर	प्रस्तावित एकीकृत सीमेंट संयंत्र	मैसर्स ट्रेम्बू सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, वर्षा जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों, मिट्टी की ऊपरी परत का गैर संरक्षण, वनस्पतियों और जीव का गैर संरक्षण
7. बिहार	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, फुलवारी शरीफ पटना का निर्माण	स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार	मिट्टी की ऊपरी परत का गैर संरक्षण, वर्षा जल संचयन संरचना, ईटीपी की गैर-स्थापना, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की हैंडलिंग, मजदूरों के लिए आश्रय की गैर-निर्माण।
8. मध्य प्रदेश	लोअर गोई सिंचाई परियोजना	मैसर्स एनवीडीए बड़वानी	आपातकालीन तैयारियों की योजना, जलग्रहण क्षेत्र उपचार,

राज्य	परियोजना	प्रस्तावक	गैर-अनुपालन
			व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं होना एवं गैर तैयारी में कमी। राहत और पुनर्वास की गैर कार्यान्वयन।
9. हिमाचल प्रदेश	सेंज एचईपी 100 में.वा	मैसर्स हिमाचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	ऊपर मिट्टी का गैर संरक्षण, मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन योजना, का गैर कार्यान्वयन, जलग्रहण क्षेत्र उपचार के गैर तैयारी, वनस्पति और जीव, का गौर संरक्षण गैर समेकन और गंदगी निपटान योजना का संकलन, राहत एवं पुनर्वास के गैर कार्यान्वयन की गैर संरक्षण के गैर कार्यान्वयन।
10 कर्नाटक	1.120 एलपीडी मोलैसस आसवनी बागलकोट	मैसर्स निरानी शुगर्स लिमिटेड	आपातकालीन तैयारियों की योजना, ईटीपी की गैर-स्थापना, वर्षा जल संचयन संरचना की गैर-निर्माण में कमी।

यह अध्याय सभी राज्यों में फैली परियोजनाओं से सम्बन्धित 18 विशेष ईसी शर्तों का अनुपालन शामिल करता है। 18 विशेष ईसी शर्तों से सम्बन्धित विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती पैराग्राफों में हैं।

#### 4.2 आपात काल तैयारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी

अधिकांश परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट और ईसी शर्त, पीपी से परियोजना स्थानों पर जोखिमों का निर्धारण करने के बाद आपात काल तैयारी योजना (ईपीपी) तैयार करने और लागू करने की अपेक्षा करते हैं। ईआईए अधिसूचना 2006, परिशिष्ट-III के अनुसार ईआईए दस्तावेज की सामान्य संरचना में भी आपातकाल प्रक्रियाओं को शामिल करने का प्रावधान-किया गया है।

हमने देखा कि सात क्षेत्रों से सम्बन्धित 352 नमूना परियोजनाओं में से 312 परियोजनाओं में ईआईए रिपोर्ट/ इसी शर्तों में ईपीपी अनुबन्ध किए गए थे। इन 312 परियोजनाओं में से 29<sup>21</sup> परियोजनाओं में पीपी ने इस शर्त का अनुपालन नहीं किया था। 206 परियोजनाओं में पीपी ने इस शर्त का पालन किया और 77 परियोजनाओं में संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

<sup>21</sup> 13 परियोजनाओं में ईसी की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया एवं 16 परियोजनाओं में आंशिक रूप से अनुपालन किया गया।

ईपीपी कि गैर-अनुपालन में एम्बुलेंस की अनुपलब्धता, अग्निशमन सुविधाएँ, विस्फोट के खतरे, चिकित्सा सुविधाएँ, चक्रवात के खिलाफ संरक्षण, बाढ़, भूकंप, बादल फटने, खनन सैलाब, पूर्व चेतावनी प्रणाली, मॉक ड्रिल आपदा तैयारी, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

कुछ उदाहरणार्थ मामले नीचे दिए गए हैं:

मै. मामलुह चैरा सीमेंट लिमिटेड द्वारा परियोजना मामलुह चूना पत्थर खान, मेघालय में ईआईए रिपोर्ट में इंगित आपातकाल की प्रकृति में खान अग्रभागों पर ढाल विफलता और विस्फोटक तथा भारी खनन उपकरण की तोड़फोड़ के कारण दुर्घटना आदि थे। पीपी को आपातकाल तैयारी और विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए प्रतिक्रियाओं के लिए दस्तावेजित प्रक्रिया तैयार करनी थी। तथापि यह देखा गया कि प्रस्तावक ने ईपीपी तैयार नहीं किया था।

इसी प्रकार अन्य परियोजना में जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट लिमिटेड द्वारा खरियु लाइमस्टोन जम्मू एवं कश्मीर में यह देखा गया कि आपदा प्रबंधन योजना पर ईआईए रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई थी परन्तु ऐसी कोई योजना मौजूद नहीं थी।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि जिला प्राधिकरण और कारखानों के निरक्षणालय तथा भट्टी ईपीपी अनुमोदन और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विधि के अन्तर्गत शक्ति सम्पन्न हैं।

तथापि एमओईएफएण्डसीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला प्राधिकारियों द्वारा ईपीपी की शर्तों की अनुपालना की गई ताकि आपातकाल के समय स्थिति के कुप्रबंधन और गलत ढंग से निपटने से बचा जा सके।

#### 4.3 ऊपरी मिट्टी का संरक्षण न करना

ऊपरी मिट्टी, मिट्टी का सबसे उपजाऊ भाग है। पौधे सामान्यतया इसमें अपनी जड़ें सकेन्द्रित करते हैं और इस परत से अपना अत्यावश्यक पोषक प्राप्त करते हैं। ऊपरी मिट्टी की वास्तविक गहराई मापी जा सकती है जो कि सतह से पहली घनी पैक मिट्टी की परत अवभूमि के रूप में जानी जाती है। इसी के अनुसार किसी प्रकार की खुदाई में लगे प्रत्येक प्रस्तावक को (i) खुदाई क्षेत्रों तथा ढेर को पुनः प्राप्त करने के लिए ऊपरी मिट्टी का संरक्षण करना है अथवा (ii) निर्माण कार्यकलापों के दौरान खोदी गई सभी ऊपरी मिट्टी परियोजना स्थान के अन्दर बागवानी/परिदृश्य विकास में उपयोग के लिए इकट्ठी की जानी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ऊपरी मिट्टी बाद में भूमि सुधार और वृक्षारोपण के उपयोग के लिए अच्छे से इकट्ठी की गई थी।

हमने देखा है कि विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 352 नमूना परियोजनाओं में से 140 परियोजनाओं में ऊपरी मिट्टी के संरक्षण की शर्त इसी पत्र में अनुबद्ध की गई थी। इन

140 परियोजनाओं में, हमने पाया कि सात परियोजनाओं ने इस शर्त का पालन नहीं किया गया और 50 परियोजनाओं में पीपी द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

एमओईएफएण्डसीसी (अक्टूबर 2016) ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा कि इस शर्त के अनुपालन में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

#### 4.4 अनुचित प्रबन्धन/अतिभारित डम्प का निपटान न करना

विशेष रूप से कोयला/ गैर कोयला खनन क्षेत्रों में विभिन्न पीपी को जारी किए गए इसी पत्र में खनन कार्य के दौरान बने अतिभारित डम्प (ओबी) के प्रबंधन के संबंध में शर्तें शामिल होती हैं। कटाव और सतह अपवाह को रोकने के लिए ओबी पर वैज्ञानिक रूप से उपयुक्त देशी प्रजातियों को उगाना था। महत्वपूर्ण क्षेत्रों, में जीओ टेक्स्टाइल का उपयोग डम्प को स्थिर करने के लिए किया जाना था। ओबी लंबी अवधि के लिए निरुपयोग नहीं छोड़ा जाना चाहिए था और खदान के जीवन के अंत में खनन क्षेत्र ओबी के साथ बैकफिल किया जाना था।

विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित 352 नमूना परियोजनाओं में से 61 खनन परियोजनाओं के इसी पत्र में यह शर्त लगाई थी। हमने 10 परियोजनाओं में इस इसी शर्त का उल्लंघन देखा।

उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिये गए हैं:

मैं. वी.एस. लाड एण्ड सन्स लोह अयस्क खदान, बेल्लारी कर्नाटक द्वारा 'लोह अयस्क उत्पादन बढ़ाना' परियोजना में इसी में एक शर्त शामिल थी कि कटाव के प्रति उदासीनता की सुरक्षा को बाहर किया जाना चाहिए। ओबी का संरक्षण किया जाना चाहिए। देशी पेड़ों का घना रोपण किया जाना था। तथापि ओबी शीर्षस्थ पाई गई और कोई स्थाई उपाय जैसे बेंचिंग, जिओ कोइर मैटिंग, टौ दीवार का निर्माण आदि नहीं किए गए थे। केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सर्वेक्षण के अनुसार ओबी कम हो चुकी है और निकटवर्ती वन क्षेत्रों तक फैल गई है परिणामस्वरूप अतिक्रमण हुआ जिसके कारण खनन पट्टा रद्द कर दिया गया।

मैं. अश्वथनारायण सिंह, कर्नाटक, द्वारा 'लोह अयस्क उत्पादन बढ़ाना' परियोजना में इसी शर्त में अपेक्षा की गई की ओबी का निर्धारित डंप स्थलों पर ढेर लगाया जाएगा और लंबी अवधि के लिए सक्रिय नहीं रखा जाएगा और ओबी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि संचालन की अवधि के दौरान ओबी डम्प ठीक से स्थिर नहीं किए गये थे, खानों की ढाल और ऊंचाई सीमा निर्धारित पर नहीं बनाए रखा गया, जिसके कारण ओबी के लगातार फिसलनें और नीचे रोलिंग से गहरी नाली बन गई थी। हालांकि ओबी में वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन बरसात के मौसम के दौरान कटाव

से वृक्षारोपण के जीवित रहने की दरों में कटौती हो गयी थी। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा भी ओबी पर अतिक्रमण की सूचना मिली थी।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखा परीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2016) कि अनुपालन में सुधार करने के लिए कदम लिए जा रहे थे।

इस प्रकार, परियोजना निष्पादन में खुदाई के दौरान अतिभारित डम्प का अनुचित प्रबंधन, मिट्टी के कटाव को जन्म दे सकता है और सतही अपवाह प्रभावित कर सकता है।

#### 4.5 कार्ययोजना तैयार न करना और कार्यान्वयन न करना/वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों का गैर आबंटन

कुछ परियोजनाओं के ईसी पत्रों में कार्ययोजना तैयार करने और लागू करने तथा वनस्पति और जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों के आवंटन की शर्त शामिल की गई। ऐसी योजनाओं में वनस्पतियों तथा जन्तुओं की प्रजातियों की सूची बनाकर परियोजना क्षेत्र में और चारों ओर क्षेपण के सर्वेक्षण के बाद संकलित डाटा और उनके संरक्षण हेतु की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई शामिल होनी चाहिए। आम तौर से इसके लिए राज्य वन विभाग की सहमति, एमओईएफएण्डसीसी को भेजने से पहले ली जायेगी। संरक्षण योजना के कार्यान्वयन के लिए धन का आबंटन आवश्यक था और आबंटित धन परियोजना की लागत में शामिल किया जाना था। विशेष रूप से परियोजना स्थान के लिए इस प्रकार तैयार वन्यजीव संरक्षण योजना में उल्लिखित सभी सुरक्षा उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाने थे। कार्ययोजना की एक प्रति एमओईएफएण्डसीसी तथा इसके आरओज को प्रस्तुत की जानी थी।

यह देखा गया कि 352 परीक्षित मामलों में से 54 परियोजनाओं के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने/लागू करने/ वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु निधियों के आवंटन के संबंध में शर्त लगाई गई थी। इस शर्त का अनुपालन 18 परियोजनाओं में देखा गया था। एक परियोजना के संबंध में वनस्पति तथा जन्तुओं के कार्ययोजना से सम्बन्धित शर्त लागू नहीं थी क्योंकि यह अभी आरम्भ हुई थी। 4 परियोजनाओं में वनस्पति तथा जन्तुओं की कार्य योजना के संबंध में पीपी द्वारा सूचना न भेजने के कारण कमी निर्धारित नहीं की जा सकी।

यह देखा गया कि 31 परियोजनाओं (57 प्रतिशत) के संबंध में कार्ययोजना तैयार करने और लागू करने/ वनस्पति तथा जन्तुओं के संरक्षण हेतु राज्य के वन और वन्यजीव विभाग के परामर्श से निधियों के आवंटन के संबंध में कमी हुई थी।

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिये गए हैं:

अण्डमान तथा निकोबार में मै. पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड (पीएमबी) द्वारा कच्छल में बंदरगाह सुविधाओं का विकास नामक परियोजना के ईसी में रीफ तथा कोरल पर प्रभावों की निगरानी की शर्त निर्धारित थी। क्योंकि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 श्रेणी के अन्तर्गत कोरल की सभी प्रजातियां शामिल थीं इसलिए पीएमबी ने कोरल रीफ पर सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण (जैडएसआई) से सम्पर्क किया।

जैडएसआई ने सिफारिश की कोरल रीफों के स्वास्थ्य की समय-समय पर निगरानी निर्माण के साथ पोस्ट निर्माण अवधि के दौरान किया जाना चाहिए।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह टृतीय क्षेत्र प्रबन्धन प्राधिकरण (एएनसीजैडएमए) ने यह निर्णय किया गया था कि पीपी निर्माण अवधि और उसके बाद दो वर्षों के दौरान कोरल, इसके सहयोगियों तथा समुद्री वनस्पति और जन्तुओं की निगरानी के लिए एएनसीजैडएमए के अधिकार में परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत रखेगा। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने अपनी 90 वीं बैठक में परियोजना की सिफारिश करते हुए यह निर्देश दिया कि रीफ तथा कोरल पर प्रभावों की जैडएसआई के सुझावों के अनुसार निगरानी की जाएगी।

यह देखा गया कि रीफ तथा कोरल पर प्रभावों की किंचित निगरानी नहीं की गई थी क्योंकि पीएमबी ने एएनसीजैडएमए को परियोजना की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत (₹ 127.28 करोड़) जमा नहीं किया था।

झारखण्ड में मै0 हिन्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पाखर बाक्साइट माइन नामक परियोजना के ईसी में शर्त थी कि अजगर, लोमड़ी तथा भालू के डेनों सहित क्षेत्र में महत्वपूर्ण आवास भी राज्य वन तथा वन्यजीव विभाग के परामर्श से उचित वन्यजीव संरक्षण उपाय अपनाने के द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु पीपी को पूंजीगत लागत के रूप में ₹ 48.24 लाख तथा आवर्ती लागत के रूप में ₹ 10 लाख खर्च करने का निर्देश दिया गया था।

तथापि यह देखा गया कि न तो लुप्त प्रायः जन्तुओं के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों की पीपी द्वारा योजना बनाई गई थी और न ही वन्यजीव संरक्षण उपाय पर उद्दिष्ट निधियां खर्च की गई थीं।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा के अवलोकन को स्वीकारते हुए यह बताया (अक्टूबर 2016) बताया कि मंत्रालय राज्य अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

#### 4.6 बहिःस्राव संसाधन संयंत्र जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां/संस्थापित न करना

262 परियोजनाओं में ईसी पत्रों में शर्त लगाई गई कि प्रक्रिया के बहिःस्रावों के संसाधन (ईटीपी) हेतु पर्याप्त क्षमता का एक बहिःस्राव संसाधन संयंत्र, खान निस्सरण के संसाधन

हेतु आवसादन टैंक अथवा घरेलू बहिःस्राव के संसाधन हेतु सीवेज संसाधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित किए जाने चाहिए। उस शर्त का प्रयोजन भू/सतही जल के साम्मिश्रण को बन्द करना था।

हमने देखा कि 262 मामलों, जहाँ शर्त लगाई गई थी, में से 161 परियोजनाओं में ईटीपीज तथा एसटीपीज जैसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां संस्थापित देखी गई थीं। तीन परियोजनाओं के मामले में पीपी द्वारा अभिलेख भेजे नहीं गए थे और 51 मामलों में यह शर्त लागू नहीं थी क्योंकि परियोजनाएं या तो निर्माण चरण में थीं अथवा यूनिटें अवशिष्ट उत्पन्न नहीं कर रही थीं।

हमने यह भी देखा कि 23 परियोजनाओं के संबंध में ईटीपी/एसटीपी का संस्थापन नहीं हुआ था और बाकी 24 मामलों में, या तो कार्यरत नहीं थे या कार्यक्षमता से कम काम कर रहे थे।

परियोजना स्थल पर ईटीपी/एसटीपी के स्थापित न होने के कारण अनुपचारित अपशिष्ट जल को छोड़ दिया गया था और इस तरह की सतह/भूजल को दूषित नालो को नीचे प्रवाह करने की अनुमति दी जा रही थी।

उदाहरण स्वरूप कुछ मामलें नीचे दिए जा रहे हैं।

मै0 ओमैक्स लिमिटेड द्वारा उत्तराखण्ड में ओमैक्स रिवेरिया रुद्रपुर में आवासीय परिसर' नामक निर्माण परियोजना के ईसी पत्र में परियोजना प्रचालन हेतु चालू करने से पूर्व एसटीपी के संस्थापन, स्वत-य विशेषण द्वारा प्रमाणित और एमओईएफएण्डसीसी को इससे सम्बन्धित रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की शर्त लगाई गई। हमने देखा कि एसटीपी संस्थापित परन्तु 1430 केएलडी की तुलना में कम क्षमता अर्थात 600 केएलडी का पाया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एसटीपी बन्द पाया गया था। हमने यह भी देखा कि एसटीपी महीनों से बन्द पडा था साथ ही अप्रैल 2014 के बाद एसटीपी लांगबुक नहीं बनाई गई थी और मई 2013 के बाद संसाधित जल की निगरानी नहीं की गई थी।



ओमैक्स रिवेरिया अवसंरचना, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड का अकार्यशील एसटीपी



मै. ईस्टर्न कोलफीन्डस लिमिटेड पश्चिम बंगाल में 'मोहनपुर ओपन कास्ट कोल माइन के ईसी पत्र में कार्यशाला के लिए पर्याप्त समता का ईटीपी का प्रबन्ध करने की शर्त लगाई गई। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट जल (कार्यशाला तथा खान से अपशिष्ट जल) उचित प्रकार संग्रहीत, संसाधित किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित मानकों के अनुरूप हो सके। तथापि दौरे के दौरान यह देखा गया था कि परियोजना क्षेत्र में ईटीपी संस्थापित नहीं किया गया था और अपशिष्ट जल और मात्र सेटलिंग टैंक के माध्यम से गुजारने के बाद खुले गहरे क्षेत्र में विसर्जित किया जा रहा था।



#### मोहनपुर ओसीपी पश्चिम बंगाल में खुले क्षेत्र में जल विसर्जन

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में ईटीपीज/ एसटीपीज के संस्थापित न करने के अनुपालन जुलाई 2015 में मंत्रालय तथा सीपीसीबी द्वारा उठाए गए थे ईटीपी प्रणाली में बहाव मीटर सहित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली रखना सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य बनाया गया है जिससे भौतिक निगरानी को कम किया जाय जो मंत्रालय तथा सीपीसीबी में स्टाफ की कमी के कारण सम्भव नहीं था।

#### 4.7 व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू न करना और जोखिम की पहचान न करना

कुछ परियोजनाओं में ईसी में आवश्यक किया गया कि स्वास्थ्य जोखिम से सम्बन्धित कार्य की पहचान, मलेरिया उन्मूलन पर प्रशिक्षण एचआईवी तथा खनिज धूल के प्रभावन पर स्वास्थ्य प्रभावों सहित कामगारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। किए गए विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा आवधिक रूप में पीपी द्वारा की जानी चाहिए।

हमने देखा कि 248 मामलों जहाँ शर्त लागू थी, में से 179 परियोजनाओं में व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम का कार्यान्वयन देखा गया था। 10 परियोजनाओं में यह शर्त लागू नहीं थी क्योंकि परियोजना अभी परिचालनीकृत नहीं हुई थी अथवा निश्रेष्ट पडी थी। 30 परियोजनाओं के मामले में पीपी द्वारा अभिलेख नहीं मेजे गए थे। हमने देखा कि व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम 29 परियोजनाओं (12 प्रतिशत)

में लागू नहीं किया गया था। हमने पाया कि आवधिक चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया, स्वास्थ्य अभिलेख नहीं बनाये गए, निजी सुरक्षा लोगो द्वारा धूल व जोखिम भरे क्षेत्र में नहीं लाये गए तथा प्राथमिक सुरक्षा कक्ष भी परियोजना स्थल पर उपलब्ध नहीं किया गया।

उदाहरणार्थ हिमाचल प्रदेश में मै0 सीमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश द्वारा 'मनाल लाइम स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट का विस्तार' नामक परियोजना के ईसी पत्र में शर्त लगाई गई कि कामगारों का व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम आवधिक रूप से किया जाना था और धूलभरे क्षेत्र में कार्मिक कार्यचालन सुरक्षात्मक श्वसन साधन पहनें। तथापि भौतिक सत्यापन के दौरान हमने देखा कि कामगार व्यक्तिगत उपकरण नहीं पहन रहे थे।



**मानल लाइम स्टोन खनन परियोजना हिमाचल प्रदेश में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बिना कार्यरत कामगार**

मै. एपेक मिनरल इण्डस्ट्री द्वारा 'कगमादर सोपस्टोन खनन परियोजना (राजसमंद) नामक परियोजना में शर्त लगाई गई कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण पहनने चाहिए और उन्हें सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण तथा सूचना भी दी जानी चाहिए। धूल के प्रकटन के कारण किसी संकुचन को देखने के लिए आवधिक रूप से कामगारों का व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम किया जाना चाहिए और सुधार उपाय, यदि आवश्यक हों, किए जाने चाहिए। तथापि भौतिक सत्यापन के समय पर हमने देखा कि व्यवस्थित अभिलेख नहीं बनाए जा रहे थे जैसा ईसी में चाहा गया।

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि अनुपालन में सुधार करने के लिए आपतियाँ सम्बन्धित राज्य सरकारों के सांविधिक अधिकारियों को भेजी जाएगी।

#### 4.8 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण न करना

289 परियोजनाओं के ईसी पत्र में शर्त लगाई गई कि पीपी क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल बोर्ड के परामर्श से क्षेत्र में भूजल संसाधन बढ़ाने के लिए उचित वर्षा जल संचयन

उपायों सहित उचित संरक्षण उपाय करेगा और उसकी एक प्रति एमओईएफएण्डसीसी तथा इसके आरओज को भेजेगा। 32 परियोजनाओं में शर्त लगाई गई कि उपरी बहाव से तल तथा ग्रीस हटाने के लिए तेल एवं ग्रीस जाल लगाया जाएगा और वर्षा जल संचयन के उपयोग से पूर्व आस्थगित पदार्थ सेटलिंग टंकी में अलग किया जाएगा।

हमने पाया कि 289 मामलों में जहाँ यह शर्त लगाई गई थी, में से 186 परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन संरचनाएं पाई गई थी। 6 परियोजनाओं के मामले में पीपी द्वारा अभिलेख भेजे नहीं गए थे और 14 परियोजनाओं में यह शर्त लागू नहीं थी क्योंकि परियोजनाएं निर्माणधीन थी। 83 परियोजनाओं के मामले में वर्षा जल संचयन संरचनाएं पाई नहीं गई थी। जो कि भूजल तालिका को समृद्ध करने के लिए जरूरी था और जो दूसरे उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने में मदद करता।

उदाहरण स्वरूप कुछ मामले नीचे दिए गए हैं,

बिहार में मै. ईको सीमेंट लिमिटेड द्वारा पोर्टलैण्ड पोजलोना सीमेंट यूनिट' नामक औद्योगिक परियोजना के इसी पत्र में शर्त लगाई गई कि वर्षा जल संचयन का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और यदि आवश्यकता हो, अधिकतम जल आवश्यकता पूरी करने के लिए जलाशय की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। केवल शेष जल आवश्यकता अन्य स्रोतों से पूरी की जानी चाहिए। हमने देखा कि एक गड्ढे को वर्षा जल संचयन संरचना के रूप में दर्शाया गया था जो शुष्क था और घास से भरा था। इसके अलावा गड्ढा संरचना ईएमपी में दी डिजाइन के अनुरूप नहीं थी।

मै. एन.आर. अग्रवाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा गुजरात में आयातित कोयला आधारित सहउत्पादन कैप्टिन पावर प्लांट' नामक औद्योगिक परियोजना के इसी पत्र में शर्त लगाई गई कि पीपी वर्षा जल संचयन उपायों का उत्तरदायित्व ले और संयंत्र के प्रचालन में उपयोग के लिए जल भण्डार विकसित करे। वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए जिसमें संयंत्र परिसरों में निर्मित तथा खुले क्षेत्र से वर्षा जल संग्रहण हो। कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना एमओईएफएण्डसीसी के आरओ को प्रस्तुत की जानी चाहिए। हमने देखा कि कम्पनी ने संयंत्र के प्रचालन में उपयोग करने के लिए वर्षा जल संचयन उपाय नहीं किए हैं और जल भण्डारण प्रणाली विकसित नहीं की है इसके अलावा कम्पनी ने एमओईएफएण्डसीसी को कार्ययोजना प्रस्तुत नहीं की है। एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि सीजीडब्ल्यू तथा एमओईएफएण्डसीसी के सम्बन्धित आरओ को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा।

#### 4.9 श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाओं का निर्माण न करना

श्रमिक कल्याण कारोबारी संगठनों का अनिवार्य भाग है और प्रबन्धनों को मानव दृष्टिकोण को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। आवासीय सुविधा मुहैया कराना

प्राथमिक कल्याण उपायों में से एक है जो श्रमिक को सम्पत्ति का बोध उत्पन्न करता है जिससे उत्पादकता और कामगारों की क्षमता बढ़ती है।

एमओईएफएण्डसीसी ने ओएम दिनांक 22 सितम्बर 2008 के द्वारा ईसी देते समय सभी परियोजनाओं में निर्माण श्रमिकों के लिए आवास के साथ सभी आवश्यक अवसंरचनाओं और सुविधाओं जैसे खाना पकाने के लिए ईंधन, चल शौचालय, चल एसटीपी, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच आदि मुहैया करने से सम्बन्धित शर्त लगाने को अनिवार्य किया था।

हमने देखा कि 352 परीक्षित परियोजनाओं में से 115 (33 प्रतिशत) परियोजनाओं में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी और केवल 166 (47 प्रतिशत) परियोजनाओं में उल्लेख पाया गया था। 71(20 प्रतिशत) परियोजनाओं में अनुपालन का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि या तो परियोजना का निर्माण चरण पहले ही समाप्त हो गया था /आरम्भ नहीं हुआ था अथवा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं थी।

166 परियोजनाओं में से 25 (15 प्रतिशत) परियोजनाओं में (17 परियोजनाओं सहित जहाँ पीपी ने बताया कि ऐसा किया नहीं गया था क्योंकि श्रमिक निकटवर्ती क्षेत्रों से थे) यद्यपि ईसी में इस प्रकार की शर्त थी।

कुछ दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं-

**उत्तराखण्ड के वन विकास निगम के 'कोसी नदी से गौण खनिजों का संग्रह, नेनिताल'** के मामले में ईसी ने निर्माण श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाओं के साथ सभी आवश्यक अवसंरचना और सुविधाएं जैसे खाना पकाने के लिए ईंधन, चल शौचालय, एसटीपी, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच आदि उपलब्ध करानी निर्धारित की थीं। हमने देखा कि पीपी ने कोई आवास या अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं प्रदान की थीं।

**आंध्रप्रदेश के मै. श्री जयाज्योती सीमेंट लिमिटेड की 'यानाकाण्डला लाईमस्टोन माइन'** के मामले में ईसी ने श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करना निर्धारित किया था। किंतु हमने देखा कि पीपी ने श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं नहीं दी थीं।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि उसने सभी ईसी में यह शर्त लगाना सितम्बर 2008 में अनिवार्य कर दिया था। तथापि तथ्य यह है कि यह शर्त अनिवार्य बनाने के बावजूद हमने 25 मामलों में आवासीय सुविधाएं देने में गैर-अनुपालन पाया।

#### 4.10 राहत तथा पुनर्वास में अनियमितताएं

परियोजना प्रभावित लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास (आरएण्डआर) का प्रमुख महत्व होता है क्योंकि विस्थापन प्रक्रिया प्रायः समस्याएं पैदा करती है जो पुनर्वास के बाद

अपने पूर्व आजीविका कार्यकलापों को जारी रखना प्रभावित व्यक्तियों के लिए कठिन बनाता है।

सामान्यतया इसी में लगाई गई शर्तें कहती हैं कि आरण्डआर योजना आदिवासियों सहित परियोजना प्रभावित जनता (पीएपी) के लिए राज्य सरकार की नीति के अनुसार लागू की जाएगी, आरण्डआर के लिए एक निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग और महिला लाभार्थी के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए, भूमि गवाने वाले को दिया जाने वाला मुआवजा राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनःस्थापन नियम 2007 की नीति के अनुसार प्रतिमानों से कम नहीं होगा।

हमने देखा कि 352 नमूना परियोजनाओं में से 294 परियोजनाओं में आरण्डआर योजना की शर्त इसी पत्र में निर्दिष्ट नहीं की गई थी अथवा आरण्डआर के लिए लागू नहीं थी। 23 परियोजनाओं में पीपी ने आरण्डआर के व्यौरें नहीं भेजे थे।

शेष 35 परियोजनाओं में से 22 परियोजनाओं ने आरण्डआर कार्यकलाप लागू किए थे। 7 परियोजनाओं में पीपी ने आरण्डआर लागू नहीं किया था और 6 परियोजनाओं में पीपी ने आंशिक रूप से आरण्डआर लागू किया था। पुनर्वास परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ), भूमि अधिग्रहण के लिए पैसे का हस्तांतरण, पीएएफ को मुआवजे का भुगतान आदि जैसी शर्तों को पीपी द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

उदाहरणार्थ, मै. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सोनपुर बजारी ओसीपी, पश्चिम बंगाल परियोजना में इसी शर्त के अनुसार 2284 पीएएफ से बने 12 गावों में आरण्डआर एक विशेष समय सीमा के अन्दर लागू किया जाना चाहिए था। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आरम्भ में 2284 पीएएफएस थे जो 3765 पीएएफ तक बढ़ गए। तथापि यह देखा गया था कि जून 2016 तक केवल 441 पीएएफ का पुनर्वास किया गया था और 3324 पीएएफ का पुनर्वास अभी किया जाना है।

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा मुद्दे पर कोई टिप्पणियां नहीं पेश की गईं।

#### 4.11 खतरनाक अपशिष्ट सामाग्री के प्रहस्तन में उल्लंघन

189 परियोजनाओं के इसी पत्रों में शर्त थी कि पीपी खतरनाक अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु समय-समय पर यथा संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, प्रहस्तन तथा सीमा पार गतिविधि) नियम 2008 के अन्तर्गत खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण, भण्डारण तथा निपटान हेतु प्राधिकरण प्राप्त करेगा और संसाधन, भण्डारण तथा निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) में ठोस। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान हेतु एसपीसीबी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

हमने पाया कि 189 मामलों जहाँ ऐसी शर्त थी, उनमें से 106 परियोजनाओं में शर्त की अनुपालना देखी गई। छः परियोजनाओं के मामले में पीपी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे और 38 परियोजनाओं में शर्त लागू नहीं थी क्योंकि खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं हुए थे।

हमने आगे देखा कि 39 परियोजनाओं के मामलों में खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के प्रहस्तन में उल्लंघन देखा गया जो पानी के पाठ्यक्रम और डंप साईटों के प्रदूषण को जन्म दे सकता है।

कुछ उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:

गुजरात में मै. जिदल साँ लिमिटेड द्वारा 'इस्पात संयंत्र का विस्तार' नामक परियोजना की ईसी में शर्त लगाई थी कि खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं प्रहस्तन) नियम 1989 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार मुक्त शेष/ प्रयुक्त तेल तथा स्नेहक पंजीकृत पुनःचक्रण कर्ताओं को बेचा जाएगा। तथापि हमने देखा कि अपशिष्ट/संदूषित तेल तथा स्नेहकों से पुराने बैरल भरकर स्टॉक किए गए थे और ऐसे अपशिष्ट तेल का खुले मैदान में रिसाव देखा गया था। ऐसा ही एक नमूना जीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया और उनकी प्रयोगशाला में उसका विश्लेषण किया गया। परीक्षण रिपोर्ट पाजीटिव पाया गया था।

पश्चिम बंगाल में मै. कास्मिक फेरो अलॉय लिमिटेड द्वारा ' बनकुरा में फेरो अलॉय संयंत्र का विस्तार नामक परियोजना के ईसी में शर्त थी कि भट्टी से उत्पन्न खतरनाक धातुमल खतरनाक अपशिष्ट (एम एण्ड एच) नियम 2003 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा धातुमल की प्रकृति अभिनिश्चित करने के लिए धातुमल का परीक्षण नहीं किया गया था। डब्ल्यूबीपीसीबी से खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया था। यह भी देखा गया था कि सुरक्षित निपटान हेतु किसी योजना बिना धातुमल की विशाल मात्राएं परिसरों के चारों ओर लापरवाह रीति से फेंकी गई थीं।

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण प्राप्त न करना गम्भीर उल्लंघन था जिसकी सम्बन्धित एसपीसीबी द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिसे ऐसा प्राधिकरण जारी करने की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। पीसीबीज को परियोजनाओं से आवेदन प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण जारी करने में विलम्ब न करने के निर्देश दिए जाएंगे।

#### 4.12 विस्फोटक सामग्री के संचालन हेतु मंजूरी प्राप्त न करना

ईसी की शर्तों के अनुसार विस्फोटक सामग्री के संचालन को सम्बन्धित अधिकारियों की सहमति से व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रीति में किए जाने की आवश्यकता है।

विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित, 352 नमूना परियोजनाओं में से 85 निर्माण/अवसंरचना परियोजनाओं में ईसी पत्र में ऐसी शर्त लगाई गई थी। हमने 12 परियोजनाओं (14 प्रतिशत) में ईसी शर्तों के पालन में उल्लंघन पाया।

उदाहरण के लिए कुछ मामले नीचे दिये गए हैं:

मै. प्राइड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र द्वारा 'प्राइड साफ्ट सिटी प्रोजेक्ट' परियोजना में ईसी में शर्त लगाई गई थी कि मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से डीज़ल के भण्डारण हेतु अनुमोदनों जैसे अन्य सभी कानूनी मंजूरियां ली जानी चाहिए। तथापि पीपी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से प्राप्त मंजूरी नहीं प्रस्तुत कर सका।

मै. लोटस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उत्तराखंड द्वारा 'शॉपिंग मॉल सह मल्टीप्लेक्स और होटल', हरिद्वार परियोजना में ईसी में शर्त लगाई गई थी कि डीजी सेट के संचालन के लिए आवश्यक डीज़ल भूमिगत टैंकों में संग्रहित किया जाना चाहिए और यदि जरूरी हुआ तो मंजूरी प्रमुख विस्फोटक नियंत्रक से लिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस शर्त का पीपी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि शर्त अधिकांशतः निर्माण परियोजनाओं से सम्बन्धित है। यदि विस्फोटक सामग्री का भण्डारण भूमिगत नहीं था और डीज़ल खुले बाजार से खरीदा गया था तो अनुमति अपेक्षित नहीं है। तथापि ऐसी परियोजनाओं को शर्तों के परिवर्तन के लिए आवेदन करना चाहिए था।

#### 4.13 ताप विद्युत परियोजनाओं में फ्लाइंग एश का अनुचित भण्डारण

ईआईए रिपोर्ट में की गई वचनबद्धताओं और ईसी में लगाई गई शर्तों के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को खत्रियों में शुष्क रूप में और विशेष रूप से निर्मित राख कुण्डों में घोल रूप में फ्लाइंग एश भण्डार करने की आवश्यकता है। राख कुण्ड की तली में भारी धातुओं की नियमित निगरानी भी सुनिश्चित की जानी थी।

कोयला आघारित संयंत्र से उत्पादित राख का निपटान पर्यावरण को गम्भीर संकट में डालता है इसलिए राख के उचित उपयोग के लिए सुरक्षित प्रथाएं लागू की जानी आवश्यक हैं। पर्यावरण रूप से सुरक्षित प्रथाएं परन्तु शुष्क रूप में राख के संग्रहण और खत्तों में भण्डारण तक सिमित नहीं है। घोल के रूप में राख कुण्डों में शेष राख का

निपटान और मैदान में भारी धातुओं के रिसाव को रोकने के लिए राख कुण्डों की लगातार निगरानी शामिल करती हैं।

हमने 43 परीक्षित टीपीपी में से 24 में फ्लाइ एश के भण्डारण का सत्यापन किया। शेष 19 परियोजनाओं के संयंभ अभी परिचालन किए जाने थे अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

इन 24 परियोजनाओं में 16 परियोजनाएं निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती पाई गई थीं। शेष 8 परियोजनाओं में से हमने पाया कि सात परियोजनाओं में अधिदेशित शर्तों का आंशिक अनुपालन था एवं पंजाब में एक<sup>22</sup> परियोजना में किसी भी इसी शर्त का अनुपालन नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 4.2 में वर्णित है।

#### तालिका 4.2 उडन राख के भंडारण से सम्बन्धित अनुपालन का विवरण

क्रम सं.	राज्य	परियोजना प्रस्तावक	इसी शर्त	हमारी आपत्तियां
1	छत्तीसगढ़	मै. जिन्दल पावर लिमिटेड	फ्लाइ एश को खत्रियों में शुष्क रूप में और विशेष रूप से निर्मित	राखकुंड के तल पर भारी धातुओं की जाँच नहीं की गई।
2	राजस्थान	मै. अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड	राख कुण्डों में घोल रूप में भंडार करने की आवश्यकता है। पारा एवं अन्य भारी धातुओं (आर्सेनिक, लीड, क्रोमियम) की	2014-15 के दौरान 14, 420 टन उडन राख का निचले इलाकों में निपटान किया गया।
3.	उत्तरप्रदेश	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	राख कुंड की तली पर जाँच की जाएगी। राख का निपटान निचले इलाकों में नहीं किया	राख कुंड के तल पर भारी धातुओं की जाँच नहीं की गई। निचले इलाकों में निपटान किया गया।
4	पश्चिम बंगाल	मै. वैस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्प लिमिटेड	जाएगा।	राखकुंड के तल पर भारी धातुओं की जाँच नहीं की गई
5	मध्यप्रदेश	मै. ससान पावर लिमिटेड सिंगरौली, म.प्र.		उडन राख का निपटान निचले इलाकों में किया गया।
6	बिहार	मै. कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड		20 प्रतिशत उडन राख शुष्क रूप में एकत्रित की गई एवं एजेंसी की वितरित की गई। 80

<sup>22</sup> मै. नैक्टर लाइफ साइन्स लिमिटेड का 6 मेगावाट कोजन पावर प्रोजेक्ट।



			प्रतिशत उडन राख (स्टोज-1) का निचले इलाको में लैगून में निपटान किया गया। राखकुंड का निर्माण भी नहीं किया गया।
7	गुजरात	में. एन आर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	भारी धातुओं की जाँच नहीं की गई

अननुपालन में, तली में भारी धातुओं की निगरानी न करना, फ्लाई एश का निचले इलाकों में निपटान एवं घोल रूप में फ्लाई एश के निपटान हेतु राख कुंडों का निर्माण न किया जाना था जिससे पर्यावरण को गंभीर जोखिम था।

यह दर्शाता है कि नमूना अंचित 42 प्रतिशत परियोजनाओं में पर्यावरण रूप से सुरक्षित प्रथाएं अपनाई नहीं जा रही थीं जिससे कि पर्यावरण को गंभीर जोखिम था।

#### 4.14 ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में अनुमत राख मात्रा की अपेक्षा अधिक के कोयला का उपयोग

ईआईए रिपोर्ट में की गई वचन बद्धताओं और इसी में लगाई शर्तों के अनुसार पीपीज को नामुत खानों से कोयला प्राप्त और उपयोग करना था। इसीज में खरीदे जाने वाले कोयला में अधिकतम स्वीकार्य राख मात्रा से सम्बन्धित शर्तें भी शामिल की जाती हैं।

कोयला में उच्च राख मात्रा निम्न कैलोरिफिक मात्रा अर्थात् ईंधन की खराब गुणवत्ता दर्शाती है। आगे यह पर्यावरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है क्योंकि सापेक्ष रूप से ईंधन की उच्च मात्रा ईंधन की निम्न दसता के कारण उसी उत्पादन के लिए अपेक्षित होती है।

हमने देखा कि चार परियोजनाओं में स्वीकार्य राख मात्रा के संबंध में कोई विशेष इसी शर्त नहीं थी। उसके अलावा अन्य चार परियोजनाओं में इसी शर्त के माध्यम से स्वीकृत स्तरों के प्रति कोयला में राख मात्रा की उच्च प्रतिशतता देखी गई थी।

हमने प्रयोग किए जा रहे कोयला में राख मात्रा के विषय की संवीक्षा की और पाया कि 43 प्रतिशत टीपीपी में से 4 (9 प्रतिशत) में स्वीकार्य स्तर की अपेक्षा राख मात्रा ज्यादा थी। इसलिए इसीज द्वारा पर्यावरण की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने का मूल उद्देश्य विफल हो रहा था।

शेष 35 परियोजनाओं के मामले में हमने पाया कि या तो वे लगाई गई शर्तों का पालन कर रहे थे अथवा संयंत्रों का अभी परिचालन किया जाना बाकी था।

उदाहरण के लिए कुछ मामले निम्नलिखित हैं:-

पंजाब में मैं. तलवंडी साबो पावर लिमिटेड द्वारा एक विद्युत परियोजना में उपयोग किए जा रहे, कोयला में राख मात्रा की प्रतिशतता इसी में अधिदेशित 34 प्रतिशत के प्रति 39.63 प्रतिशत थी। इसी प्रकार मैं जिन्दल पावर लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में एक परियोजना में यह देखा गया था कि प्रयुक्त कोयला में राख मात्रा इसी में अधिदेशित 34 प्रतिशत के प्रति 44.4 से 49 प्रतिशत थी।

#### 4.15 ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में फ्लाइंग एश के पलायन उत्सर्जन का अनुचित नियंत्रण

पलायन उत्सर्जन<sup>23</sup> आम स्वास्थ्य पर विनिकृत पदार्थों (पीएम) के प्रतिकूल प्रभाव के कारण स्वास्थ्य संकट में डालता है इसलिए पलायन उत्सर्जनों के नियंत्रण के लिए नियत उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

ईआईए रिपोर्ट तथा इसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार इसी को टीपीपी के मामले में उडन राख के पलायन उत्सर्जन के उचित नियंत्रण की व्यवस्था करनी थी। हमने 43 चयनित टीपीपी में उडन राख के पलायन उत्सर्जन के मामले की समीक्षा की एवं 13 परियोजनाओं के मामले में हमने अनुपालन पाया। 20 परियोजनाओं में हमने पाया कि या तो संयंत्र अभी परिचालित नहीं हुए थे या कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

शेष 10 परियोजनाओं में हमने देखा कि आठ परियोजनाओं में इसी में पीपीज द्वारा पलायक उत्सर्जनों के उचित नियंत्रण कि कोई विशेष शर्त शामिल नहीं की। दो परियोजनाओं, बिहार तथा महाराष्ट्र प्रत्येक में एक, में यद्यपि इसी में सुसंगत शर्त अधिदेशित की गई परन्तु अनुपालन शून्य था। महाराष्ट्र के मामले में मैं अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में एक किसान से औपचारिक शिकायत प्राप्त हुई थी जो परिसर के बाहर भूमि के निपटान से संबंधित थी।

#### 4.16 ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में उत्पन्न उडन राख का उपयोग न करना

ईआईए रिपोर्ट में की गई वचनबद्धताओं और इसी द्वारा लगाई शर्तों के अनुसार पीपी को प्रचालन के चौथे वर्ष से 100 प्रतिशत उडन राख का उपयोग करना था।

हमने 43 परिक्षित टीपीपी में फ्लाइंग एश के उपयोग की संवीक्षा की। 23 परियोजनाएं ऐसी थी जिन्हें आरम्भ के बाद चौथे वर्ष में अभी प्रवेश करना था अथवा सूचना प्राप्त नहीं हुई।

<sup>23</sup> पलायन उत्सर्जन, दबाव उपकरणों से गैसों या वाष्प के रिसाव, एवं औद्योगिक गतिविधियों की वजह से अनपेक्षित या अनियमित गैसों के रिसाव की वजह से उत्सर्जन है।

शेष 20 परियोजनाओं में हमने पाया कि 11 परियोजनाओं (55 प्रतिशत) में कथित शर्तों का अनुपालन किया गया था। नौ परियोजनाओं में इसी में वचनबद्ध मात्रा तक उडन राख का अनुपयोग होना देखा गया था जैसा तालिका 4.3 में विस्तृत है। यद्यपि दो मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे परन्तु इन मामलों में कोई शास्तिक कार्यवाई नहीं की गई थी। हरियाणा में एक मामले में इसी शर्तों में अन्तर देखा गया था, बदस्तूर रूप से इसी प्रचालन के चौथे वर्ष से उडन राख के 100 प्रतिशत उपयोग का अधिदेश करता है तथापि इस परियोजना में इसी में प्रचालन के नौवें वर्ष तक अनुपालन अधिदेशित किया गया। इससे यह पता लगा कि देखी गई परियोजनाओं में से 45 प्रतिशत में उडन राख का ईट बनाने में उपयोग असंतोषजनक था एवं ऐसे मामलों में कोई शास्तिक कार्यवाही भी नहीं की गई।

**तालिका 4.3 ताप बिधुत परियोजनाओं में उडन राख का उपयोग न करना**

राज्य	परियोजना प्रस्तावक	हमारी आपत्तियां
1. बिहार	कान्ती बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	चरण-1 में उत्पादित उडन राख का 80 प्रतिशत बूढी गण्डक नदी के लैगून में डाली गई थी। बिहार (एसपीसीबी) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
2. हरियाणा	हरियाणा पावर जेनरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	इस मामले में इसी ने उडन राख के उपोग को प्रचालन के नौवें वर्ष तक अनुमत किया जो सभी अन्य मामलों में दिए इसी अलग था।
3. झारखण्ड	ऊषा मार्टिन रांची	प्रचालन के चौथे वर्ष में केवल 81 प्रतिशत निपटान हुआ।
4. पंजाब	नैक्टर लाइफ साइंस, सैदपुरा	इसी शर्त के उल्लंघन में राख का उपयोग शून्य था। तथापि उपयोग न करने के लिए शास्तिक कार्यवाई नहीं की गई थी।
5. पंजाब	तलवंडी सावो पावर लिमिटेड बनावला	294808.32 एम टी (2014-15) और 817755.25 एम टी (2015-16) उडन राख उत्पन्न हुई थी जिसमें से 15457.88 एमटी तथा 208160.49 एमटी क्रमशः 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान उपयोग की गई थी। उपयोग ना करने के लिए शास्तिक कार्यवाई नहीं की गई थी।
6. पंजाब	बीसीएल इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भटिंडा	इसी शर्त के उल्लंघन में राख का उपयोग शून्य था। तथापि उपयोग ना करने के लिए शास्तिक कार्यवाई नहीं की गई थी।
7. उत्तर प्रदेश	एनटीपीसी रिहंद सुपर टीपीपी स्टेज III	इसी शर्त के उल्लंघन में राख का उपयोग शून्य था। तथापि उपयोग न करने के लिए शास्त्विक कार्यवाही नही की गई थी।
8. उत्तर प्रदेश	रोसा पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड शाहजहाँपुर	इसी शर्त के उल्लंघन में राख का उपयोग शून्य था। तथापि उपयोग न करने के लिए शास्त्विक कार्यवाही नही की गई थी।

राज्य	परियोजना प्रस्तावक	हमारी आपत्तियां
9. पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्प लिमिटेड, बकरेश्वर	निकटवर्ती नदी चन्द्रभागा को प्रदूषित करने के लिए एनजीटी द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस की प्रतिक्रिया में ताप विद्युत स्टेशन ने नदी की सफाई के लिए ₹ 4.64 करोड़ खर्च किया।

एमओईएफएण्डसीसी ने राख के प्रबंधन के सम्बंध में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र द्वारा असंतोषजनक अनुपालन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2016) और जनवरी 2016 की उनकी हाल की अधिसूचना, जिसमें अधिदेशित किया गया कि सभी निर्माण तथा खनन कार्यकलापो को टीपीपी से 300 कि.मी. की परिधि में उडन राख का प्रयोग करना है, के परिणामस्वरूप दिसम्बर 2017 के अंत तक बेहतर अनुपालन का आश्वासन दिया।

#### 4.17 नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के मामले में अभिकल्पित कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में कूड़ा करकट का समेकन तथा संकलन न करना

नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में विभिन्न स्थलों पर पत्थरों/कूड़ा करकट की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है जिसे यदि उचित प्रकार से निपटाया न जाए तो निरपवाद रूप से नदी में खिसक जाएगी और परियोजना के निष्पादन और वर्तमान जलीय जीवन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनेगा। इस प्रकार नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में कूड़ा करकट निपटान योजना की आवश्यकता थी। इस योजना में बाँध निर्माण तथा अन्य अनुषंगी कार्यकलापों के दौरान उत्पादित कूड़ा करकट की मात्रा अनुमानित की जाती है और कुछ पहचाने गए क्षेत्रों में इसके उचित निपटान हेतु उपाय सुझाए जाते हैं। खोदी गई सामग्री की कूड़ा करकट निपटान योजना के अनुसार पुनः स्थापित और ढेर करने की आवश्यकता है ताकि यह पार्थिक तथा जलीय पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव न डाल सके।

हमने देखा कि नौ नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में से तीन (33 प्रतिशत) परियोजनाओं में नामित डम्पिंग स्थानों पर कूड़ा करकट के समेकन तथा संकलन की कोई शर्त नहीं थी। दो परियोजनाओं में शर्त का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। **कर्नाटक नीरावारी निगम लिमिटेड की श्री रामेश्वर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम** की एक परियोजना में शर्त का पालन किया गया था चूंकि सम्पूर्ण कूड़ा करकट परियोजना में ही उपयोग किया गया था इसलिए कूड़ा करकट का डम्पिंग अपेक्षित नहीं था।

तीन परियोजनाओं में शर्त का पालन नहीं किया जा रहा था और उसे एमओईएफएण्डसीसी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं -

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सैन्ज एचईपी परियोजना में भौतिक सत्यापन के दौरान हमने देखा कि सात कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में से पाँच डम्पिंग स्थानों पर कूड़ा करकट डाला गया था। डम्पिंग स्थान संख्या 2 और 7 की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त पाई गई थीं और कूड़ा करकट सीधे नदी में बह रहा था। परिणामस्वरूप एसपीसीबी ने परियोजना के सीटीई का नवीरकण नहीं किया था।



कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की सैन्ज जल विद्युत शिक्त परियोजना में क्षतिग्रस्त कूड़ा करकट स्थान के कारण नदी में ऊपर बहता कूड़ा करकट

इसी प्रकार सिक्किम में मै. स्नेह काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की दिक्चू एचईपी (96 मेगावाट) परियोजना में हमने देखा कि ईसी में गलत कहा गया था कि कूड़ा करकट को उत्तर तथा दक्षिण जिलों में छः डम्पिंग स्थानों पर डाला जाना था परन्तु ईएमपी के अनुसार कूड़ा करकट उत्तर तथा पूर्व जिलों में चार स्थानों पर डाला जाना था। कूड़ा करकट विद्युत गृह, सर्ज शाफ्ट और बाँध स्थान के पास में तीन स्थानों पर डाला गया था। विद्युत गृह (पूर्वी जिला) के निकट वाले कूड़ा करकट डम्पिंग स्थानों में अभी भूदृश्य निर्माण/सुरक्षा की जानी थी। सर्ज शाफ्ट के निकट वाले डम्पिंग स्थान का भूदृश्य निर्माण कर दिया गया बताया गया था और रोपण किया जा रहा था।



लिंगडाक में डम्पिंग स्थान



दिक्चू में डम्पिंग स्थान

इस प्रकार नामित डम्पिंग स्थानों पर कूड़ा करकट के समेकन तथा संकलन के बारे में ईसी में शर्त शामिल न करने और कूड़ा करकट के अनुचित निपटान के कारण परियोजना क्षेत्र के चारों ओर पार्थिव तथा जलीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि कूड़ा करकट के स्थिरीकरण और सुधार में विलम्ब एक चिन्ता का विषय है जैसा मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की निगरानी रिपोर्टों के माध्यम से देखा गया।

#### 4.18 विसर्जन का निम्नतम पर्यावरणीय बहाव न बनाए रखना

पर्यावरणीय बहाव (ईएफ) नदियों में जल के वह बहाव हैं जो जलीय पारिस्थितिकी तन्त्र को कायम रखने के लिए आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में जलीय आवासों तथा पारिस्थितिकी तन्त्र के जटिल सेट को कायम रखने में सक्षम नदी में बहाव व्यवस्था ईएफ के रूप में जानी जाती हैं। ईएफ वांछित, सहमत अथवा पूर्व निर्धारित स्थितियों में बनाए रखने अथवा उन्नत करने के लिए बनाया जाता है।

हमने देखा कि नौ नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में से छः (67 प्रतिशत) परियोजनाओं में निम्नतम ईएफ के बारे में कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। दो परियोजनाओं में शर्त का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजनाएं अभी परिचालित की जानी थीं। केलो प्रमुख सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ के मामले में अनुपालन देखा गया था।

छः परियोजनाओं में कायम रखे जाने वाले निम्नतम पर्यावरणीय बहाव के बारे में शर्त शामिल न करने के कारण उन क्षेत्रों के चारों ओर, जहाँ ये परियोजनाएं स्थित हैं, जलीय पारिस्थितिकी तन्त्र पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि वे अतिरिक्त शर्त, यदि आवश्यक हो, लगाने के लिए प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा करेंगे।

#### 4.19 मछली उद्योग संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना लागू न करना

एक जल संसाधन परियोजना विशेष स्थिति और सम्बन्धित नदी में वास करने वाले मछली जाति के आधार पर, जलीय जन्तुओं पर प्रतिकूल अथवा लाभकारी प्रभाव डाल सकती है। इसी प्रकार यह उन लोगों पर अनेक प्रभाव डालती है, जिनकी जीविका मछली पर निर्भर है। बाँध का निर्माण आवास के विखण्डन, जलीय व्यवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है और घरेलू तथा प्रवासी मछलियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के मामले में मछली उद्योग संरक्षण एवं प्रबन्धन योजना (एफसीएमपी) आवश्यक है।

हमने देखा कि नौ नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में से पाँच (56 प्रतिशत) परियोजना में एफसीएमपी के कार्यान्वयन की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी।

शेष चार परियोजनाओं, जहाँ इसी में ऐसी शर्त का उल्लेख किया गया था, में से एक परियोजना केलो प्रमुख सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़ में शर्त का पालन किया जा रहा था। कृष्णा डेल्टा आधुनिकीकरण परियोजना, आंध्रप्रदेश, सैन्ज एचईपी परियोजना (100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश और दिक्चू एचईपी (96 मेगावाट), सिक्किम में एफसीएमपी लागू नहीं पाया गया था।

पाँच परियोजनाओं में एफसीएमपी लागू करने के बारे में शर्त शामिल न करना और तीन परियोजनाओं में योजना लागू न करना मछलीय जन्तुओं और उन पर निर्भर मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि ज्यादातर मामलों में परियोजनाओं ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग में पैसा जमा करा दिया था किंतु कार्यान्वयन में देरी हो गई। संतोषजनक अनुपालन प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य प्राधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाएंगे।

#### 4.20 जल ग्रहण क्षेत्र उपचार योजनाएं लागू न करना

जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव और जल निकासी नेटवर्क के माध्यम से अलग हुई सामग्री का परिवहन कई समस्याओं को बढ़ावा देता है जैसे गाद, बहाव क्षमता की क्षीणता, भण्डारण क्षमता की नियमित हानि, जल विद्युत शक्ति उत्पादन में लगातार गिरावट और बारम्बार बाढ़। एक सुअभिकल्पित जल ग्रहण क्षेत्र संसाधन योजना (सीएटी) जलग्रहण क्षेत्र में मिट्टी क्षरण की प्रतिकूल प्रक्रिया को सुधारने के लिए अनिवार्य है।

हमने देखा कि नौ नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं में से चार (44 प्रतिशत) परियोजनाओं में सीएटी योजना से सम्बन्धित शर्त नहीं लगाई गई थी। अन्य पांच परियोजनाओं (केलो प्रमुख सिंचाई परियोजना, छत्तीसगढ़, सैन्ज एचईपी परियोजना (100 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश, श्री रामेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना, बेलगाँव, कर्नाटक, लोअर गोई सिंचाई परियोजना, बरवानी, मध्यप्रदेश और दिक्चू एचईपी (96 मेगावाट), सिक्किम) में सीएटी योजना पीपी द्वारा कार्यान्वित नहीं पाई गई थीं।



जलग्रहण क्षेत्र का संसाधन न करने के कारण सैन्ज जल विद्युत परियोजना क्षेत्र कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिकीय क्षति

चार परियोजनाओं में सीएटी योजना को लागू करने से सम्बन्धित किसी शर्त के न होने और पाँच परियोजनाओं में ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के अनुसार सीएटी योजना लागू न करने के अभाव में इन परियोजनाओं के चारों ओर जलग्रहण क्षेत्र में क्षरण का प्रभावी नियंत्रण प्रभावित हो सकता है। क्षरण के कारण उपरी मिट्टी हट सकती है जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जलाशय की जीवन अवधि पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि जलाशय का जीवन काल जल ग्रहण की प्रकृति, नीचे पडी चट्टान/मिट्टी प्रकार, वनस्पति प्रकार, जल निकास ढाँचे आदि पर निर्भर करता है।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि अधिकांश मामलों में परियोजनाओं ने राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को धन जमा कर दिया था परन्तु कार्यान्वयन में विलम्ब हो गया। सन्तोषजनक अनुपालन प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित राज्य प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

#### 4.21 उपसंहार

एमओईएफएण्डसीसी ने संबंधित क्षेत्रों अथवा परियोजनाओं के संबंध में कुछ विशिष्ट शर्तें लगाई थीं जिनका पीपी द्वारा अनुपालन किया जाना था। परन्तु यह देखा गया था कि निगरानी एजेंसियां इसी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं थीं। अनेक मामलों में पीपी ने परियोजना स्थानों पर जोखिमों का आंकलन करने आपातकालीन तैयारी के योजना नहीं बनाई।

निर्माण कार्यकलापों के दौरान खोदी गई ऊपरी मिट्टी इसी की अवथाओं के अनुसार परियोजना स्थानों के अन्दर बागवानी/ दृश्य भूमि में उपयोग हेतु इकट्ठी नहीं हुई थी। कोयला/गैर कोयला खनन क्षेत्र के मामले में ऐसी खनन प्रचालनों के दौरान सृजित अतिभारित उम्प क्षरण और सतह बहना रोकने के लिए उचित स्वाभाविक प्रजातियों से वैज्ञानिक रूप से वनस्पति से आवृत्र नहीं किए गए थे और नाजुक क्षेत्रों में डम्प स्थित करने के लिए जिओ रेक्टाइल उपयोग नहीं किए गए थे।

अनेक मामलों में पीपी ने वनस्पति तथा जन्तुओं में संरक्षण हेतु कार्ययोजना तैयार नहीं की थी और निधियों का आवंटन नहीं किया था तथा राज्य वन एवं वन्यजीव विभाग के परामर्श से लागू नहीं की गई थी। परियोजना परिसरों में ईटीपी तथा एसटीपी का संस्थापन न करने के कारण असंसाधित अपशिष्ट जल नालियाँ के माध्यम से विसर्जित किया जा रहा था जिससे सतही/ भूजल संदूषित हो रहा था। वयावसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू न करने और सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपयोग न करने के कारण परियोजना स्थान में और आस पास कार्यरत कार्मिकों के बीच श्वसन समस्याएं/श्वास बीमारियां हो रही थीं।



हमने देखा कि अनेक मामलों में वर्षा जल संचयन नहीं किया गया था। आवासीय सुविधाएं निर्माण चरण के दौरान श्रमिकों को मुहैया नहीं की गई थीं। पीपी द्वारा खतरनाक अपशिष्ट सामग्री के प्रहस्तन में उल्लंघन के मामले हुए थे जिस के कारण जलाशयों तथा डम्प स्थानों पर संदूषण हुआ था और अनेक मामलों में विस्फोटक सामग्री के प्रहस्तन के लिए सम्बन्धित प्रधिकरण से पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। हमने देखा कि राहत तथा पुनर्वास योजना या तो लागू की गई थी अथवा आंशिक रूप से लागू की गई थी।

ताप विद्युत संयंत्रों के कुछ मामलों में यह देखा गया था कि फ्लाई ऐश के भण्डारण की पर्यावरण रूप से सुरक्षित प्रभाओं का पालन नहीं किया जा रहा था, स्वीकृत राख मात्रा से अधिक के कोयले का उपयोग किया जा रहा था, फ्लाई ऐश के पलायक उत्सर्जन का अनुचित नियंत्रण हुआ था और उत्पादित उडन राख का ईसी शर्तों के अनुसार पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा रहा था।

नदी घाटी तथा जल विद्युत शक्ति परियोजनाओं के कुछ मामलों में यह देखा गया था कि नाभित डम्पिंग स्थानों पर कूड़ा करकट का समेकन तथा संकलन और कूड़ा करकट का उचित निपटान नहीं किया जा रहा था, विसर्जन का निम्नतम पर्यावरणीय बहाव कायम नहीं रखा जा रहा था, मछली पालन संरक्षण तथा प्रबन्धन योजना और जलग्रहण क्षेत्र संसाधन योजनाएं लागू नहीं की जा रही थीं।

#### 4.22 सिफारिशें

हम सिफारिशें करते हैं कि,

- i. एमओईएफएण्डसीसी ईसी में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की सख्ती से समय-समय पर निगरानी के लिए आरओ, सीपीसीबी, एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के समन्वय से रणनीतियाँ बनाएँ।

(पैराग्राफ 4.2 से 4.20)

- ii. एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी परियोजना के ईसी में लगाई शर्तों की निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टों तथा पर्यावरण विवरणों की कुछ प्रतिशत जांच के लिए अनुसूची विकसित करने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 4.2 से 4.20)

अध्याय

5



# परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी

## 5.1 प्रस्तावना

पर्यावरण अनापत्ति (ईसी) ईआईए अधिसूचना 2006 के अनुसार सामान्य तथा विशेष शर्तों के अध्यक्षीन परियोग प्रस्तावों (पीपीज) को जारी किया जाता है। एमओईएफएण्डसीसी ने ईसी शर्तों को अनुपालन की निगरानी के लिए सम्पूर्ण देश में क्षेत्रीय कार्यालय (आरओज) स्थापित किए हैं। ईसी जारी किए जाने के बाद परियोजना कार्यान्वित करना और ईसी शर्तों का अनुपालन अपनाना पीपी का कर्तव्य है। पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए)/ पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) रिपोर्ट तथा ईसी शर्तें स्वयं पीपीज द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने के यन्त्र प्रदान करते हैं। पीपीज द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

## 5.2 पर्याप्त जनशक्ति के साथ अलग निगरानी कक्ष की स्थापना न करना

ईआईए/ ईएमपी रिपोर्ट पर्यावरणीय निष्पादन तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रत्येक पीपी द्वारा प्रस्तावित परियोजना पर विकसित किए जाने के लिए अनुभवी तथा अर्धक कार्मिकों वाले आवश्यक अव संरचना के साथ पूर्णकालिक पर्यावरणीय निगरानी कक्ष का प्रवधान करती हैं। इस आशय की शर्तें या तो ईसी में शामिल होती हैं अथवा ईआई रिपोर्ट में वचन दिया जाता है।

चयनित 352 परियोजनाओं में केवल 274 परियोजनाओं के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी और शेष 88 परियोजनाओं में अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकी।

इनमें से 274 परियोजनाओं में हमने पाया कि 176 परियोजनाओं में अलग निगरानी कक्ष की स्थापना के बारे में ईसी/ईआईए रिपोर्ट में निर्धारित शर्तों का व्यापक रूप से अनुपालन किया गया था। शेष 98 (36 प्रतिशत) परियोजनाओं से सम्बन्धित आपत्तियां निम्नवत हैं:

- क. निगरानी कक्ष की स्थापना करने की विशेष शर्तों का अभाव: कुल 47 परियोजनाओं में आवश्यक संरचना के साथ अलग निगरानी कक्ष स्थापित करने के बारे में उनके संबंधित ईसी अथवा ईआईए रिपोर्टों में कोई विशेष शर्त नहीं थी।

निगरानी कक्ष की स्थापना करने के लिए परियोजना प्रस्तावक पर ईसी अथवा ईआईए रिपोर्ट में अनुबद्ध किसी अधिदेश के अभाव में पीपी द्वारा वचनबद्ध पर्यावरण प्राचलों के अनुपालन की सम्भावक रूप से निगरानी नहीं की जा सकी। असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और दमन एवं दीव के मामलों में किसी भी परीक्षित परियोजना में निगरानी कक्ष बनाने की शर्त नहीं थी।

**ख. निगरानी कक्ष स्थापित न करना:** 40 परियोजनाओं में यह देखा गया था कि यद्यपि ईसी/ईआईए रिपोर्ट में पर्याप्त अवसंरचना के साथ अलग निगरानी कक्ष स्थापित करने का अधिदेश किया गया परन्तु पीपी इन शर्तों का पालन करने में विफल हो गए क्योंकि ऐसा कोई कक्ष स्थापित किया गया नहीं पाया गया था। ये 40 परियोजनाएं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखण्ड, बिहार, गुजरात तथा उत्तराखण्ड राज्यों में प्राथमिक रूप से पाई गई थीं।

**ग. ईसी की शर्तों का अपूर्ण अनपालन:** 11 परियोजनाओं में यद्यपि अलग निगरानी कक्ष बनाया गया था परन्तु वचनबद्धता के प्रति जनशक्ति के नियोजन के अनुसार केवल आंशिक प्राप्ति की गई थी।

पीपीज द्वारा निगरानी कक्ष, प्रयोगशाला सुविधा स्थापित न करना और जनशक्ति का अपर्याप्त नियोजन दर्शाता है कि पीपी पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी के बारे में गम्भीर नहीं था जैसा ईसी की शर्त में निर्धारित था। निगरानी के लिए आवश्यक जनशक्ति के अभाव में वायु गुणवत्ता, सतही तथा भूजल गुणवत्ता, शोर तथा मिट्टी गुणवत्ता जैसे विभिन्न पर्यावरणीय प्राचलों पर परियोजना के प्रभाव की निरन्तर निगरानी करना सम्भव नहीं हो सकता था।

एमओईएफएण्डसीसी ने प्रस्ताव किया (अक्टूबर 2016) कि परियोजनाओं में पर्यावरण अधिकारी का पद पर्यावरण निगरानी से संबंधित अनुपालन सुधारने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन सांविधिक आवश्यकता के रूप में शामिल किया जाएगा।

### 5.3 निगरानी प्रणालियों के संस्थापन में कमी तथा अकार्यात्मकता

ईसी की शर्तों और ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के भी अनुसार प्रत्येक प्रस्तावक को वायु, सतही तथा भूजल की गुणवत्ता, शोर, बहिः स्राव संसाधन तथा कुछ अन्य वचनबद्ध अवसंरचना की निगरानी करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना प्रतिष्ठापित करनी थी।

352 परीक्षित परियोजनाओं में से हमने उपकरणों और उनकी परिचालन स्थिति की 277 परियोजनाओं पर सूचना की समीक्षा की थी। हमने देखा कि केवल 50 परियोजनाओं (18 प्रतिशत) अधिदेशित शर्तों के व्यापक अनुपालन में थीं। 176 परियोजनाओं में आवश्यक

निगरानी उपकरण प्रतिष्ठापित करने के लिए इसी में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। निगरानी केन्द्र स्थापित करने के लिए इसी में प्रावधान के अभाव ने ही पर्यावरणीय वचनबद्धताओं में प्रति उनके दायित्व को हल्का कर दिया।

शेष 51 परियोजनाओं में इसी प्रावधानों के प्रति आवश्यक अवसंरचना के प्रतिष्ठापन में 20 से 100 प्रतिशत के बीच कमी देखी गई थी। 39 परियोजनाएं (76 प्रतिशत) ऐसी थीं जहाँ प्रतिष्ठापन में कमी 100 प्रतिशत थी। इनमें अधिकांश परियोजनाएँ जहाँ कमी 100 प्रतिशत थी, गुजरात (12), पश्चिमबंगाल (7), राजस्थान (4), तथा ओडिशा (5), में पाई गई थीं।

निगरानी प्रणालियों के प्रतिष्ठापन न करने ने दर्शाया कि पीपीज स्वचालित निगरानी और निगरानी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं आज्ञाकारी नहीं थे और जिससे पर्यावरण शर्तों के अपने अनुपालन में पारदर्शिता लाने में गम्भीर नहीं थे।

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में यह मामला स्वीकार किया और बताया कि उद्योग की उच्च प्रदूषक श्रेणियों के लिए निरन्तर निगरानी अनिवार्य बनाई गई थी और कि बायु गुणवत्ता तथा चिमनी उत्सर्जन डाटा भी मुख्यद्वार के पास स्थाई स्थान पर और सही समय पर सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रदर्शित किया जाएगा।

#### 5.4 पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी में कमी

प्रत्येक पीपी से ईआईए रिपोर्ट में की गई वचनबद्धता के अनुसार नियमित अन्तरालों पर कोर जोन (कार्यकलाप का मुख्य केन्द्र) और बफर जोन (निकटवर्ती गाँव जो प्रभावित होने की सम्भावना रखते हैं) में वायु, सतही जल, भूजल, शोर आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों के कोर जोन में (गतिविधी का मुख्य केन्द्र), और बफर जोन (जिसमें आस-पास के गाँव को प्रभावित करने की क्षमता हो) में नियमित अंतराल पर निगरानी करने की अपेक्षा की गई थी।

352 परीक्षित परियोजनाओं में से 217 परियोजनाओं के संबंध में वायु, सतही तथा भूजल, मिट्टी, शोर तथा ढेर उत्सर्जन से संबंधित पर्यावरणीय प्राचालकों के परीक्षण तथा सूचित करने की सामा पर सूचना प्राप्त हुई थी। हमने पाया कि 134 परियोजनाएं (42 प्रतिशत) अधिदेशित शर्तों के व्यापक अनुपालन में थीं।

शेष 71 परियोजनाओं में हमने निम्नलिखित देखा:

- क. 21 परियोजनाओं में वायु गुणवत्ता परिक्षण के संबंध में 100 प्रतिशत कमी देखी गई थी और 37 परियोजनाओं के मामले में आंशित अनुपालन देखा गया था।

- ख. जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए कुल 28 परियोजनाओं ने 100 प्रतिशत कमी दर्शाई जबकि 21 परियोजनाओं ने आंशिक अनुपालन दर्शाए।
- ग. ध्वनि परीक्षण तथा सूचना के लिए परियोजनाओं ने 100 प्रतिशत कमी दर्शाई जबकि 18 परियोजनाओं का अनुपालन दर्शाया।
- घ. चिमनी उत्सर्जन परीक्षण के लिए 14 परियोजनाओं के 100 प्रतिशत कमी दर्शाई और 5 ने आंशिक अनुपालन दर्शाए।
- ङ. मिट्टी परीक्षण तथा सूचना में 16 परियोजनाओं ने 100 प्रतिशत कमी दर्शाई।

वायु जल तथा ध्वनि पर्यावरण संकेतक है. इन पर्यावणीय प्राचलों कि निगरानी में कमी अथवा आयाम ने दर्शाया कि पीपी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए अल्प ध्यान दिया था।

एसओईएफएण्डसीसी ने उत्तर (अक्तुबर 2016) में बताया कि उन्होंने इन मामलो की गम्भीर उल्लंघन के रूप में लिया था और एसपीसीबी तथा सीपीसीबी को वास्तविक समय डाटा हस्तान्तरण करने के साथ आनलाइन निगरानी प्रणालियों के प्रतिष्ठापन के माध्यम से आनलाइन निगरानी हेतु इसे अनिवार्य बना दिया था।

## 5.5 प्राइवेट एजेंसी/ तीसरी पार्टी द्वारा निगरानी

ईआइए रिपोर्ट अथवा ईसी शर्तो में की गई वचनबद्धताओं के अनुसार विभिन्न पर्यावणीय प्राचलों और वचनबद्ध अवसीमाओं के प्रति स्वतन्त्र निगरानी के लिए पीपीज को तीसरी पार्टी को शामिल करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा गुणवत्ता निगरानी के लिए ये तीसरी पार्टियों, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) से प्राधिकृत होने की आवश्यकता थी।

352 परीक्षित परियोजनाओं में से हमने प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से पर्यावणीय प्राचलों की निगरानी और ऐसी रिपोर्टों के नियमित प्रस्तुतीकरण की स्थिति पर 270 परियोजनाओं की सूचना प्राप्त की इनमें से 69 परियोजनाएं व्यापक अनुपालन में पाई गई थी। शेष 201 परियोजनाओं पर आपत्तियां निम्नवत है:

- क. प्राइवेट एजेंसियों द्वारा पर्यावणीय प्राचलों की निगरानी न करना: हमने देखा कि 12 राज्यों/ यूटी (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक तमिलनाडु, मेघालय, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, केरल तथा सिक्किम) में फैली 31 परियोजनाओं में पीपीज ने निगरानी के लिए किसी तीसरी पार्टी तन्त्र को नहीं लगाया था।

- ख. नियमित अंतरालो पर निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत न करना:** हमने देखा कि छः राज्यों/यूटी हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, गोवा, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली तथा महाराष्ट्र) में फैली आठ परियोजनाओं में यद्यपि प्राइवेट एजेंसियों पर्यावरणीय प्राचलो की निगरानी कर रही थीं परन्तु उनकी रिपोर्टें नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। इस प्रकार पीपीज ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि प्राइवेट एजेंसियों द्वारा निगरानी ईसी शर्तों / ईआईए रिपोर्टों में निर्धारित बारम्बारता में की गई थी।
- ग. प्राइवेट एजेंसी तथा सरकारी एजेंसी के निगरानी डाटा में अन्तर:** हमने देखा कि चार राज्यों/ यूटी (पंजाब, गोवा, मिजोरम तथा दादर एवं नगर हवेली) में फैली नौ परियोजनाओं में प्राइवेट एजेंसी तथा सरकारी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निगरानी डाटा में अन्तर थे यद्यपि डाटा सेट एक ही समय अवधि से सम्बन्धित थे इनमें से अधिकांश मामले गोवा (5) में देखे गए थे। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में और प्राप्त शिकायत के आधार पर नमूनों की पुनः जाँच की गई थी और सुनिश्चित डाटा में विशाल अन्तर देखा गया था जबकि प्राइवेट एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। डाटा के अन्तर के परिपेक्ष में पीपीज द्वारा लगाई गई प्राइवेट एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी की सुदृढ़ता संदेहास्पद रही।
- घ. प्राइवेट/सरकारी एजेंसियों से तुलनीय रिपोर्टों की कमी:** हमने देखा कि 158 परियोजनाओं में सरकारी तथा प्राइवेट एजेंसियों भी भिन्न रिपोर्टों में डाटा की तुलना इस तथ्य के कारण सम्भव नहीं थी कि प्राइवेट एजेंसियों तथा सरकारी एजेंसियों से रिपोर्टें एक ही समय अवधि से सम्बाधित नहीं, थी/ इससे तुलनात्मक निगरानी का प्रयोजन विफल हो गया।
- ङ. गैर मान्यता प्राप्त एजेंसिया:** हमने पाया कि बिहार और गुजरात में चार परियोजनाओं में गैर मान्यता प्राप्त एजेंसियों या प्रयोगशालाओं को पर्यावरण निगरानी का कार्य सौंपा गया, जो कि सामान्य ईसी शर्तों के विरुद्ध था। इन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत डाटा की विश्वसनीयता लेखापरीक्षा में निर्धारित नहीं हो सकी।

दादरा एवं नगर हवेली में में यूनिस्टार एनवायरनमेंट एण्ड रिसर्च लेबोरेटरी, वापी पर्यावरणीय प्राचलों के परीक्षण हेतु प्राइवेट एजेंसियों भी और इसने 16 फरवरी 2015 को लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जो स्वीकार्य स्तरों के अन्दर थी। तथापि यह देखा गया था कि एक शिकायत के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 20 फरवरी 2015 को जल नमूनों की आकस्मिक जांच की, जिसमें यूनिस्टार द्वारा जांच दोबारा भी की गई और 20 फरवरी 2015 को उसी



एजेंसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ने पर्यावरण प्राचलो के कभी उच्च स्तर दर्शाए/ पाँच दिनों की अल्पावधि के अन्दर परीक्षित परिणामों में विशाल अन्तर के लिए मैं. यूविस्टार के ऊपर कोई कार्यवाई नहीं की गई थी।

इसके अलावा गोवा में एक परियोजना में प्राचलों तथा निम्नलिखित ठोस नैट्रिक आक्साइड<sup>24</sup>, पीएम 10 पीएम 2.5<sup>25</sup> में पीपी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एवं गोवा एसपीसीवी के स्वतंत्र नमूना जाँच परिणामों में व्यापक अन्तर देखे गए थे।

पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों को लगाने और यह सुनिश्चित करने कि वह दायरित बारम्बारता पर आयोजित किया गया था और रिपोर्टें समय पर प्रस्तुत की गई थी, मैं पीपीज की विफलता इसी शर्तों का उल्लंघन था। प्राइवेट एजेंसियों तथा सरकारी एजेंसी के निगरानी डाटा में अन्तर और तुलनीय रिपोर्टों का अभाव पीपीज द्वारा एकमत निगरानी डाटा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। इसके अलावा अप्रधिकृत एजेंसियों द्वारा निगरानी ईसी शर्तों का गम्भीर उल्लंघन था।

एमओईएफएण्डसीसी ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में बताया कि उन्होंने नियमक निगरानी को स्वनिगरानी में बदलने में महत्व को मान लिया था और उसके लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया था।

## 5.6 पर्यावरणीय प्राचलों का प्रदर्शन न करना

ईसी में लगाई शर्तों के अनुसार प्रभाव जोन के अन्दर और बफर जोन के अन्दर परिवेशी वायु के सम्पूर्ण प्राचलों की आवधिक रूप से निगरानी की जानी थी उसके अलावा विसर्जित जल की गुणवत्ता की भी निगरानी की जानी अपेक्षित थी। जल की भी निगरानी किया गया डाटा सार्वजनिक क्षेत्र में उचित स्थान पर परियोजना स्थान में प्रदर्शन बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना था।

352 परीक्षित परियोजनाओं में मौसम निगरानी डाटा पर 265 परियोजनाओं से सम्बंधी हमें प्राप्त सूचना सार्वजनिक स्थान में प्रदर्शित की गई थी। 135 मामलों में शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। 130 परियोजनाओं में जिसमें शर्तों का अनुपालन किया गया। 13 राज्यों/ यूटी (असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु तथा उत्तराखण्ड) में फैले 28 मामलों में हमने अनुपालन नहीं देखा, तथा सार्वजनिक स्थान में सूचना प्रदर्शित नहीं की गई थी।

<sup>24</sup> एनओएक्स, नैट्रिक आक्साइड (एनओ) एवं नाईट्रोजन डाईआक्साइड (एनओ 2) के मिश्रण को वर्णित करने के लिए एक शब्द है।

<sup>25</sup> पीएम 10 एवं पीएम 2.5 हवा में धूल के 10 माइक्रोमीटर एवं 2.5 माइक्रोमीटर क्रमशः के आकार के कण हैं।

एसओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) की ईसी में शर्त शामिल न करने की यह कमी अब सुधार की गई है उसके अलावा डाटा का प्रदर्शन आनलाइन निगरानी प्रणाली में एकीकृत किया जाना कहा गया था।

## 5.7 उपसंहार

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)/ पर्यावरण प्रबन्धन योजना (ईएमपी) रिपोर्टें तथा ईसी शर्तों पीपीज द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी के यंत्र प्रदान करते हैं तथा ईसी में निगरानी प्रणाली के प्रावधान के बावजूद पीपीज ने पर्यावरणीय प्राचलों की निगरानी करने में अल्प प्रतिक्रिया दर्शाई। यद्यपि जनशक्ति की एजेंसी न करने आवश्यक निगरानी सेरचना का प्रतिष्ठापन न करने और स्वतन्त्र निगरानी हेतु तीसरी पार्टी एजेंसियों लगाने की सण के सारण समग्र निगरानी में कमियां हुई थी। पर्यावरण डाटा से सम्बन्धित सूचना भी परियोजना स्थानों पर प्रदर्शित नहीं की गई थी।

## 5.8 सिफारिशें

हम सिफारिशें करते हैं कि,

- i. एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरणीय प्राचलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावक द्वारा लगाए जाने वाले पद/पदों के नाम तथा संख्या उल्लिखित करने हेतु उचित शर्त लाने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 5.2)

- ii. एमओईएफएण्डसीसी निगरानी केन्द्रों के प्रतिष्ठापन और वायु, सतही जल, भूजल, ध्वनि आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों की निगरानी की बारंबारता पर अनिवार्य ईसी शर्त लाने पर विचार करें।

(पैराग्राफ 5.3 तथा 5.4)

- iii. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी के परामर्श से पर्यावरणीय प्राचलों की तीसरी पार्टी से परीक्षण को सत्यापित करने के लिए पीपी के परिसर में एसपीसीबी द्वारा आकस्मिक जांच की प्रणाली आरंभ करने पर विचार करे।

(पैराग्राफ 5.5)



अध्याय

6



# गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में परियोजनाओं की निगरानी

## 6.1 प्रस्तावना

सीपीसीबी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के सहयोग से वर्ष 2009-10 के दौरान 88 मुख्य औद्योगिक समूहों का व्यापक पर्यावरण आंकलन, व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई)<sup>26</sup> के आधार पर किया। इन 88 औद्योगिक समूहों में से 43 औद्योगिक समूहों ने सीईपीआई के 0 से 100 के पैमाने पर 70 तथा इससे अधिक अंक प्राप्त किए, जिन्हें गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों (सीपीए) के रूप में चिह्नित किया गया। हमने 352 परियोजनाओं को चयनित किया जिन्हें 2008-12 के दौरान ईसी प्राप्त हुआ था।

## 6.2 प्रतिबन्ध का अधिरोपण

एमओईएफएंडसीसी ने 2010-2014 की अवधि के दौरान 43 सीपीए की पर्यावरण गुणवत्ता को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये:-

1. एमओईएफएंडसीसी ने जनवरी 2010 में 43 सीपीए के ईसी की मजूरी पर प्रतिबन्ध लगाया। हालाँकि, सितम्बर 2013 में एमओईएफएंडसीसी ने उन मौजूदा परियोजनाओं/गतिविधियों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं / गतिविधियों की अनुमति दी, जो प्रदूषण को नहीं बढ़ा रही थी तथा सीपीए में भौतिक ढाँचा जैसे राजमार्ग, हवाई रोपवे, सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र तथा सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा जिन पर प्रतिबन्ध था।

एमओईएफएंडसीसी ने प्रतिबन्ध लगाते समय औद्योगिक क्षेत्रों में संभावित प्रभाव क्षेत्रों को परिभाषित किया।

2. वर्ष 2011 से 2013 के दौरान सीपीसीबी द्वारा पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी को अंजाम दिया तथा सीईपीआई का मूल्यांकन 43 सीपीए में दर्ज निगरानी आँकड़ों के आधार पर किया। अक्टूबर 2010 से सितंबर 2013 के दौरान एमओईएफएंडसीसी ने एसपीसीबी द्वारा विवरण के आधार पर यह कहते हुए प्रतिबन्ध को हटाया कि कार्य योजना के प्रस्तुतीकरण में पहले से ही कुछ मूल कार्य किया गया था। तदनुसार प्रतिबन्ध को 26 सीपीए से हटा लिया गया जैसा कि तालिका 6.1 में उल्लिखित हैं।

<sup>26</sup> सीईपीआई स्रोत, मार्ग और रिसेप्टर के एल्गोरिथ्म के बाद दिए गए स्थान पर पर्यावरण की गुणवत्ता को चिह्नित करने के लिए एक तर्कसंगत संख्या है।

तालिका 6.1 हटाये गए प्रतिबन्ध का विवरण

प्रतिबंध हटाने की तिथि	सीपीए
26 अक्टूबर 2010	पाटनचेरू- बोल्लाराम- आंध्रप्रदेश- मंडीगोबिंदगढ़- पंजाब, वापी-गुजरात, कोयम्बटूर- तमिलनाडु तथा तारापुर-महाराष्ट्र
15 फरवरी 2011	नवी मुंबई, डोम्बिवली तथा औरंगाबाद - महाराष्ट्र, लुधियाना - पंजाब, आगरा तथा वाराणसी-मिर्जापुर-उत्तरप्रदेश, कुड्डालोर-तमिलनाडु तथा भावनगर-गुजरात
31 मार्च 2011	इंदौर-मध्यप्रदेश, अंगुल-तालचेर-उडीशा, फरीदाबाद तथा पानीपत-हरियाणा गाजियाबाद तथा नॉएडा -उत्तर प्रदेश, जूनागढ़-गुजरात
23 मई 2011	भद्रावती तथा मंगलौर - कर्नाटक, ग्रेटर कोच्चिं -केरला
05 जुलाई 2011	आइ बी घाटी,झारसुगुदा -उडीशा, सिंगरोली - उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का हिस्सा
17 सितम्बर 2013	कानपूर - उत्तर प्रदेश, आसनसोल, हल्दिया तथा हावड़ा - पश्चिमी बंगाल, धनबाद - झारखण्ड, कोरबा - छत्तीसगढ़, अहमदाबाद - गुजरात, विशाखापत्तनम-आन्ध्रप्रदेश, मनाली - तमिलनाडू तथा भिवाडी-राजस्थान

तत्पश्चात, सितम्बर 2013 में एमओईएफएंडसीसी ने 10 अतिरिक्त सीपीए से प्रतिबन्ध हटा दिया तथा आठ सीपीए पर पुनः प्रतिबन्ध लगा दिया गाजियाबाद (यूपी), इंदौर (एमपी), झारसुगुदा (उडीशा), लुधियाना (पंजाब), पानीपत (हरियाणा), पाटनचेरू-बोल्लाराम (एपी), सिंगरोली (एमपी और यूपी) तथा वापी (गुजरात), हालाँकि जून 2014 में इन आठ सीपीए पर लगाये गए प्रतिबन्ध को निलम्बन में रखा गया।

3. एमओईएफएंडसीसी ने (सितम्बर 2013) सीपीसीबी को सीईपीआई की गणना हेतु द्विवार्षिक आधार पर तीसरी पार्टी के द्वारा सीपीए में पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी का दायित्व लेने के निर्देश दिए।

सीपीसीबी ने उन फर्मों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जिसके द्वारा मई 2016 तक पर्यावरण गुणवत्ता निगरानी की जानी थी यद्यपि कार्य को वर्ष 2015 में पूरा किया जाना था। इस प्रकार, सीपीए में सीईपीआई स्कोर में वृद्धि या कमी दो साल की समय सीमा के भीतर भी मूल्यांकित नहीं हुई। इसके अलावा, 70 या उससे अधिक के सीईपीआई स्कोर के सीपीए पर प्रतिबंध का अधिरोपण, और 70 से कम सीईपीआई स्कोर के सीपीए पर प्रतिबंध को उठाने का मूल्यांकन नहीं किया। सीपीसीबी ने मई 2016 में कथित किया कि 43 सीपीए में पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी का उत्तरदायित्व सीपीसीबी द्वारा 2016-17 में लिया जायेगा।

एमओईएफएंडसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए यह कथित किया (अक्टूबर 2016) कि धन की कमी तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की वजह से सीपीसीबी द्वारा 2015 में तीसरे पक्ष की निगरानी नहीं की जा सकी। क्षेत्रवार निगरानी

एजेंसी को अंतिम रूप देना प्रक्रिया में था तथा सीईपीआई स्कोर का मूल्यांकन 2016-17 में किए जाने की आशा थी।

### 6.3 कार्य योजनाओं की तैयारी:

हमारी जाँच से यह पता चला कि 16 राज्यों में से जहाँ सीपीए आते हैं एसपीसीबी के 12 राज्यों राजस्थान, आँध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ने कार्य योजना तैयार की। तीन राज्यों में (गुजरात, झारखण्ड, और महाराष्ट्र) कार्य योजना की तैयारी की स्थिति निश्चित नहीं की जा सकी। दिल्ली के मामले में इसे 'लागू नहीं' के रूप में कथित किया गया, यद्यपि नजफगढ़ ड्रेन बेसिन के साथ आनंद पर्वत, नारायणा, ओखला तथा वजीरपुर को सीपीसीबी द्वारा सीपीए के रूप में चिह्नित किया गया।

एमओईएफएंडसीसी ने (अक्टूबर 2016) में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकृत करते हुए कथित किया कि नजफगढ़ ड्रेन बेसिन, दिल्ली की कार्ययोजना ड्राफ्ट चरण पर थी।

### 6.4 एसपीसीबी/यूटीपीसीसी की वेबसाइटों पर अनुमोदित कार्य योजना का प्रदर्शन :-

रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि कुल 16 राज्यों में से केवल 6 राज्यों (आँध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान) की कार्ययोजनाओं को ही एसपीसीबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया जबकि 4 राज्यों (झारखण्ड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल) की कार्ययोजनाओं को एसपीसीबी की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया। एसपीसीबी द्वारा 4 राज्यों (दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र) से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

एमओईएफएंडसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए यह कथित (अक्टूबर 2016) किया कि 16 एसपीसीबी को उनकी वेबसाइट पर कार्ययोजना अपलोड करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

### 6.5 कार्य योजना के कार्यान्वयन कि गैर निगरानी :-

नौ राज्यों (आँध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडू, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल) की कार्ययोजना के कार्यान्वयन एसपीसीबी द्वारा जांच किया गया है जबकि छः राज्यों (गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश) में यह एसपीसीबी द्वारा जांच नहीं किया गया तथा दिल्ली के विषय में यह कथित है कि यह लागू नहीं था।

पंजाब और छत्तीसगढ़ में कार्य योजना के कार्यान्वयन की कमी के उदाहरण मामले नीचे दिए गए हैं:



लुधियाना सीपीए के मामले में यह देखा गया कि सिवर लाइन का काम पूरा नहीं हुआ था। लुधियाना में फैली हुई डेयरियो को दिसम्बर 2010 तक स्थानांतरित किया जाना था तथा बायो-गैस संयंत्र का भी निर्माण किया जाना था। हमने नोटिस किया कि न तो डेयरियो को स्थानांतरित किया गया और न ही अपेक्षित संयंत्र का निर्माण किया गया। नगर निगम लुधियाना ने 31 मार्च 2014 तक एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा को प्रतिस्थापित करना था, हालाँकि ठोस अपशिष्ट को शहर के केवल 40% में ही एकत्रित किया गया। रँगाई उद्योगों के लिए सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र (सीईटीपी) को प्रतिस्थापित किया जाना था जो कि पूरा नहीं किया गया। जब फरवरी 2011 में प्रतिबन्ध लगाया गया तब सीईपीआई 81.66 था और वर्ष 2013 व 2014 के दौरान सीईपीआई 75.72 तथा 63.35 था जो कि घटती हुई प्रवृत्ति थी। वर्तमान वर्ष के लिए सीईपीआई उपलब्ध नहीं था।

### **बुढानाला में डेयरी अपशिष्ट का बहाव**

इसी तरह मंडी, गोबिंदगढ़ में ईटीपी को स्थापित नहीं किया गया। अनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, हालाँकि ऐसा नहीं किया गया। 2010 में मंडी, गोबिंदगढ़ का सीईपीआई 75.08 था, सीईपीआई का मौजूदा स्तर उपलब्ध नहीं था।

एमओईएफएंडसीसी ने कथित (अक्टूबर 2016) किया कि कार्ययोजना का कार्यान्वयन प्रक्रिया में था, सीवर का बिछाव इत्यादि सीपीसीबी/एसपीसीबी के अधिदेश के अनुसार नहीं था। नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के स्थापना तथा रँगाई उद्योगों हेतु सीईटीपी की स्थापना पर कोई उत्तर नहीं दिया गया। मंडी, गोबिंदगढ़ के विषय में यह कथित किया गया कि कार्य योजना का कार्यान्वयन प्रगति में था तथा सभी उद्योग ईटीपी की स्थापना कर चुके हैं। हालाँकि, यह तथ्य है कि अनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को स्थानांतरित नहीं किया गया।

कोरबा सीपीए के मामलों में, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने सीपीसीबी के साथ एक उपचारात्मक कार्ययोजना तैयार की जिसे कोरबा कार्य योजना कहा जाता है। सुझाई गई उपचारात्मक कार्ययोजना की स्थिति तथा जनवरी 2015 को इसकी उपलब्धियां तालिका 6.2 में दी गयी हैं।

**तालिका 6.2 बिजली संयंत्रों द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रसिपिटेटर (ईएसपी) के गैर -  
प्रतिस्थापन की स्थिति :**

उद्योग का नाम	लक्ष्य तिथि	जनवरी 2015 की स्थिति
1. कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, जामनीपाली, कोरबा (2600 मे.वा)	अक्टूबर 2009, फ़रवरी 2016 तक संशोधित	दिसम्बर 2012 में कार्य आदेश जारी किए गए , कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
2. हसदेव थर्मल पावर स्टेशन मैसर्स सीएसईबी, (पश्चिमी) कोरबा, कोरबा, (840 मे.वा)	अक्टूबर 2009, दिसम्बर 2015 तक संशोधित	विस्तृत प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किया जाना है।
3. कोरबा थर्मल पावर स्टेशन मैसर्स सीएसईबी, (पूर्व)कोरबा, कोरबा (440 मे.वा)	अक्टूबर 2009 दिसम्बर 2011 तक संशोधित किया गया	उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।
4. भारत एलुमिनियम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स बाल्को कैप्टिव पावर प्लांट, जामनी पाली (270 मे.वा)	अक्टूबर 2009, अगस्त 2015 तक संशोधित किया गया	उन्नयन कार्य प्रगति पर हैं, ऐसा कहा गया।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि यद्यपि उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के कदम उठाये गए, परन्तु किसी भी उद्योग द्वारा वायु प्रदूषण के कारण के विशिष्ट तत्त्व की मात्रा को घटने के लिए आवश्यक ईएसपीज की स्थापना नहीं की गयी।

हमने यह भी देखा कि पावर संयंत्रों द्वारा संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक था हालाँकि किसी उद्योग ने लक्ष्य प्राप्ति नहीं की जैसा कि 2014 में उनकी फ्लाई ऐश का उपयोग 9 तथा 56 प्रतिशत था। मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कॉ लिमिटेड, कोरबा (एल्यूमिनियम स्मेल्टर संयंत्र) दिसम्बर 2011 तक स्पेन्ट पोट लाइनर<sup>27</sup> उपयोग को सुनिश्चित करने, एल्यूमिनियम फ्लोराइड के उपचार तथा सुधार व सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का प्रतिस्थापन अपेक्षित था, हालाँकि उद्योगों ने इसका पालन नहीं किया।

आगे नगर निगम तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी, कोरबा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के प्रतिस्थापन में विफल रही, जिस कारण पूरा अनुपचारित अपशिष्ट हसदेव नदी में प्रवाहित करने से जल प्रदूषण हो रहा था। साउथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), कोरबा दिसम्बर 2012 तक कोयला वाशरिज स्थापित करने की अपेक्षा थी, परन्तु तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी उद्योग द्वारा यह

<sup>27</sup> ऐसी तकनीक जो अपशिष्ट का उपचार करके उसे स्थिरता प्रदान करे (अपशिष्ट हानिरहित प्रतिपादन) स्थिर अपशिष्ट के लैंडफिल्लिंग को सक्षम बनाए तथा अपशिष्ट से उत्पादों को बनाए।

नहीं किया गया। उद्योगों ने कोरबा शहर में वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए वांछित मात्रा में सीएएक्यूएमएस स्टेशनों की स्थापना भी नहीं की।

एमओईएफएण्डसीसी ने कहा (अक्टूबर 2016) कि सभी टीपीपीज में ईएसपीज की स्थापना उनके आरम्भ से की गयी थी। ईएसपीज का नवीकरण सतत प्रक्रिया हैं तथा समय समय पर निधि की उपलब्धता पर निर्भर हैं। इसने आगे कहा कि सीएसईबी (पूर्व) के अतिरिक्त ईएसपीज के नवीकरण का कार्य या तो पूरा हो गया था या प्रगति पर था। फ्लाइं ऐश के उपयोग पर यह कहा कि कोरबा में यह 60 प्रतिशत के आस पास था तथा मंत्रालय द्वारा इसके 100 प्रतिशत उपयोग के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

### 6.6 सीपीसीबी को निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

एसपीसीबीज द्वारा सीपीएज की वार्षिक निगरानी रिपोर्ट सीपीसीबी के लिए प्रस्तुत करना था। हमारी जाँच ने यह पाया कि वर्ष 2011 से 2015 के दौरान आठ राज्यों (आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीशा, राजस्थान, तमिलनाडू, तथा पश्चिम बंगाल) ने सीपीसीबी की नियमित रूप से निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि सात राज्यों (छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र) ने सीपीसीबी को निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। उत्तर प्रदेश के मामले में, रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं की गयी।

केवल 6 राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिल नाडू तथा उत्तर प्रदेश) ने बड़े हुए प्रदूषण को सीपीसीबी के साथ साथ एमओईएफएण्डसीसी के संज्ञान में लाया गया जबकि अन्य राज्यों ने पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी नहीं की।

### 6.7 तीसरी पार्टी द्वारा कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी

अप्रैल 2016 में सीपीसीबी द्वारा संबंधित एसपीसीबीज को तीसरी पार्टी द्वारा वर्ष में दो बार निगरानी के निर्देश दिए गए। तीसरी पार्टी निगरानी 5 राज्यों (आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीशा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल) द्वारा की गयी तथा कर्नाटक के मामले में दो परियोजनाओं में से केवल एक परियोजना (जो एमआरपीएल है) की निगरानी की गयी। बाकि दस राज्यों में तीसरी पार्टी द्वारा कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की गयी।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2016) कि सभी एसपीसीबीज को नियमित रूप से सीपीएज में तीसरी पार्टी निगरानी के दायित्व के निर्देश दे दिए गए हैं।

## 6.8 उपसंहार

एमओईएफएण्डसीसी/ सीपीसीबी ने सभी 43 सीपीएज में फर्म के अंतिम रूप न देने के कारण पर्यावरण गुणवत्ता की निगरानी आरम्भ नहीं हो सकी। एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज ने सीपीसीबी से अनुमोदित कार्य योजनाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया। एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज ने कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी नहीं की। एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज ने कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी तीसरी पार्टी द्वारा भी नहीं करवाई।

## 6.9 सिफारिशें

हम सिफारिशें करते हैं कि,

- i. एमओईएफएण्डसीसी नियमित अंतरालों पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र की कार्ययोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्शी जारी करें।

(पैराग्राफ 6.3)



अध्याय

7



# क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पश्च पर्यावरण अनापत्ति की निगरानी

## 7.1 प्रस्तावना

पर्यावरण अनापत्ति (ईसी), पीपीज द्वारा निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन के कार्यपालन की सहमति पर प्रदान की जाती है। एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा ईसी की शर्तों की निगरानी तथा सुझाव के रूप में दिए गए सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है तथा मध्य प्रक्रिया के दौरान सुधार का दायित्व लेना है।

एमओईएफएण्डसीसी ने वानिकी विकास परियोजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन हेतु 1986 में बेंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ तथा शिलोंग के साथ नई दिल्ली में मुख्यालय ईकाई की स्थापना की। पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें देश में पर्यावरण प्रबंधन परियोजनाओं तथा गतिविधियों के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण भी शामिल है, 1988 में आरओ को, चंडीगढ़ में छः क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर, अधिक मजबूत किया गया।

लफार्ज उमियाम खनन प्राइवेट के मामले में (अगस्त 2011), भारत के उच्चतम न्यायलय ने केन्द्रीय सरकार को लगातार निरीक्षण तथा प्रस्तावों की गहरायी से जाँच व मूल्यांकन हेतु आरओज की संख्या छः से 10 करने के निर्देश दिए जिसके अनुपालन में चार नए क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, देहरादून, नागपुर और रांची (मार्च 2013) में खोले गए।

एमओईएफएण्डसीसी का नई दिल्ली स्थित निगरानी कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों के संबंध में सभी गतिविधियों के पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

## 7.2 आरओज के क्षेत्राधिकार

एमओईएफएण्डसीसी के दिनांक (जनवरी 2014) के संकल्प के अनुसार आरओज के अधिकार में पर्यावरण प्रबंधन तथा प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ निम्नलिखित हैं:-

- (क) परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अनापत्ति देते समय निर्धारित सुरक्षा उपायों तथा शर्तों के कार्यान्वयन का अनुसरण करना;
- (ख) पीपीज से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्ट के मूल्यांकन तथा आंकलन करना;
- (ग) परियोजनाओं की पर्यावरण अनापत्ति शर्तों की साईट मुआयना द्वारा विभिन्न आकस्मिक तथा यादृच्छिक जाँच करना;



(घ) परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की प्रदूषण नियंत्रण उपायों, कार्य प्रणाली तथा स्थिति, वैध तथा प्रवर्तन उपाय, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष संरक्षण क्षेत्रों जैसे झीलों, मंग्रोव तथा जैवमंडल भंडार हेतु जानकारी का संकलन तथा प्रस्तुतीकरण;

(ङ) राज्य सरकारों के और अन्य स्टैक होल्डरों के साथ संबंध कायम रखना और संयोजन प्रदान करना।

### 7.3 पीपीज द्वारा अर्द्ध वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट का प्रस्तुत न करना

ईआइए अधिसूचना 2006, के अनुसार पीपीज को लिये यह अनिवार्य होना चाहिए कि वे प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून तथा 1 दिसम्बर को संबंधित आरओज/एसपीसीबीज को ईसी की पूर्व निर्धारित नियम व शर्तों की अर्द्ध-वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करे। पीपीज द्वारा छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने की स्थिति में, एमओईएफएण्डसीसी को बिना किसी संदर्भ के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 352 परियोजनाओं में से, क्षेत्रीय कार्यालय वार देय एवं प्रस्तुत अर्द्ध वार्षिकी रिपोर्टों का विवरण तालिका 7.1 में दिया गया है।

तालिका 7.1: अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत करना (सीआर)

क्षेत्रीय कार्यालय	1 जून 2011		1 दिसम्बर 2011		1 जून 2012		1 दिसम्बर 2012		1 जून 2013		1 दिसम्बर 2013		1 जून 2014		1 दिसम्बर 2014		1 जून 2015		1 <sup>st</sup> दिसम्बर 2015	
	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर	डी	आर
1. बंगलूरु	29	6	30	3	31	7	32	7	32	7	33	10	33	10	33	8	33	12	33	10
2. भोपाल	48 मामलों में से 22 मामलों में एक बार भी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, 26 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट अनिर्तर अवधि में प्राप्त हुई																			
3. भुवनेश्वर	37	13	41	16	45	21	47	22	48	27	48	26	48	28	48	25	48	27	48	0
4. चेन्नई	39	2	39	1	39	4	39	5	39	3	39	11	39	9	39	1	39	9	39	4
5. चंडीगढ़	26	6	29	7	39	12	30	10	30	13	30	13	30	13	30	13	30	11	30	7
6. देहरादून	11	2	13	6	14	7	14	6	15	9	15	7	15	9	15	6	15	8	15	8
7. लखनऊ	21	9	21	9	25	11	29	12	30	9	32	13	32	13	32	11	32	10	32	11
8. नागपुर	46 मामलों में से, 15 मामलों में एक बार भी अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, 31 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट अनिर्तर अवधि में प्राप्त हुई																			
9. रांची	19	7	24	6	27	12	31	14	31	17	31	14	31	14	31	16	31	15	31	0
10. शिलोंग	20	10	23	5	24	8	28	14	30	16	30	22	30	21	30	16	30	17	30	19

(डी)- देय अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट (आर) - प्राप्त अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि अर्धवार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में (जून 2015 की अनुपालन रिपोर्ट से संदर्भित) 43<sup>28</sup> से 78<sup>29</sup> प्रतिशत की कमी थी लेखापरीक्षा में आगे पाया गया अधिकतर पीपीज ने अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को नियमित तथा समय पर नहीं भेजा तथा अनुपालन रिपोर्टों के प्रस्तुत करने में एक महीने से 48 महीनों की देरी थी।

यह अवलोकन किया गया कि आरओज ने पीपीज को अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत न करने के लिए अनुस्मारक जारी नहीं किया। एमओईएफएण्डसीसी के द्वारा पीपीज के विरुद्ध उनके द्वारा अनुपालन रिपोर्ट के अप्रस्तुतीकरण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (अक्टूबर 2016) में कहा कि इन वर्षों में अनुपालन रिपोर्ट के प्राप्ति का चलन बढ़ रहा है तथा आरओज द्वारा अनुस्मारक जारी किये जा रहे हैं।

परन्तु तथ्य यह है कि सभी पीपीज सभी न छः माही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और नियमित रूप से अनुस्मारक नहीं भेजे गए।

#### 7.4 परियोजना प्रस्तावकों द्वारा वेबसाइट पर अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड न करना

एमओईएफएण्डसीसी के परिपत्र (जून 2009), के अनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्बंधित आरओज/ एसपीसीबीज को हार्ड कापी सॉफ्ट कापी को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

352 परियोजनाओं में से हमने 25 ईसीज की रिपोर्टों को अपलोड करने की नमूना जांच की। हमने यह पाया की 10 मामलों में मंत्रालय ने पीपी को अपनी वेबसाइट पर अनुपालन रिपोर्ट अपलोड करने की शर्त सम्मिलित नहीं कि बाकि 15 मामलों जिन में पर्यावरण अनापत्ति में शर्त को शामिल किया गया था एक भी पीपीज ने अनुपालन रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया।

एमओईएफएण्डसीसी (अक्टूबर 2016) लेखापरीक्षा अवलोकन पर चुप था।

#### 7.5 क्षेत्रीय कार्यालयों की पर्यावरण विंग में वैज्ञानिकों की कमी

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा दिए गए तथ्यों के अनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 31 मार्च 2015 को वैज्ञानिकों की कुल स्वीकृत संख्या 41 के प्रति 15 वैज्ञानिक तैनात थे।

<sup>28</sup> आरओ शिलांग (30-17)/30\*100= 43 प्रतिशत

<sup>29</sup> आरओ चेन्नई (39-9)/39\*100= 78 प्रतिशत

अतः सभी आरओज में स्वीकृत संख्या तथा कर्मचारियों की तैनात स्थिति के बीच बहुत बड़ा अंतर था। चार आरओज में से बंगलूरू, चण्डीगढ़ तथा देहरादून में स्वीकृत संख्या चार तथा शिलोंग में पाँच वैज्ञानिकों के प्रति एक ही वैज्ञानिकों तैनात था एमओईएफएण्डसीसी ने पर्यावरण विंग में उपयुक्त वैज्ञानिक स्टाफ की संख्या को भरने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2016) की वैज्ञानिकों की नियुक्त के लिए उचित कार्यवाही की जा चुकी है जो ज्यादा परियोजनाओं की निगरानी तथा परियोजनाओं के अनुसरण में मदद करेगा।

## 7.6 आरओज द्वारा परियोजनाओं की निगरानी

एमओईएफएण्डसीसी तथा इसके आरओज द्वारा 1994 के अधिनियम के फलस्वरूप पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया शुरू होने से प्रदान की गई जानकारी के अनुसार आरओज द्वारा ए वर्ग की कुल 9,878 परियोजनाओं तथा 'बी' वर्ग की कुल 12,657 परियोजनाओं की निगरानी की जानी थी।

इनमें से, हमने 352 परियोजनाओं जिनको 2008-12 के दौरान ईसीज दी गयी की जांच की जो आरओज द्वारा निगरानी की गई थी। तालिका 7.2 में विवरण दिया गया है।

तालिका 7.2: क्षेत्रीय कार्यालय वार अर्धवार्षिक रिपोर्ट का नमूना

क्षेत्रीय कार्यालय	वर्ग ए परियोजनाएं	वर्ग बी परियोजनाएं	लेखापरीक्षा के लिए नमूना परियोजनाएं
1. बेगलूरू	1,364	क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं	33
2. भोपाल व नागपुर	1,748	1,813	94 (48+46)
3. भुवनेश्वर	960	721	48
4. चेन्नई	2,439	5,045	39
5. चंडीगढ़	868	1,303	30
6. देहरादून	250	1,250	15
7. लखनऊ	1,516	2,483	32
8. रांची	393	7	31
9. शिलोंग	340	35	30
<b>कुल</b>	<b>9,878</b>	<b>12,657</b>	<b>352</b>

जाँच से यह पता चला है कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 352 परियोजनाओं में से केवल 147 परियोजनाओं की ही आरओज द्वारा निगरानी की गई लेखापरीक्षा जांच में आरओज की निगरानी रिपोर्टों के अवलोकन में पाया कि पीपीज ने परियोजनाओं के

कार्यान्वयन के दौरान सामान्य के साथ साथ विशिष्ट पर्यावरण शर्तों का भी पालन नहीं किया तथा पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों का उल्लंघन किया। विवरण अनुलग्नक vi में दिए गए हैं। हमने यह भी पाया कि आरओज को पीपीज द्वारा पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही करने की शक्तिया नहीं दी गयी।

## 7.7 निगरानी लक्ष्यों का अव्यवहारिक निर्धारण

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा (जुलाई 2015) में जारी कार्यालय आदेश के अनुसार प्रत्येक वैज्ञानिक प्रत्येक माह पाँच पर्यावरण अनापत्ति की निगरानी करेगा। अतः प्रत्येक वैज्ञानिक द्वारा प्रत्येक वर्ष कम से कम 60 परियोजनाओं की निगरानी की जानी चाहिए थी।

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा आरओज के लिए परियोजनाओं की निगरानी हेतु तय लक्ष्यों का विवरण तथा पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक आरओ द्वारा निगरानी की गई परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति तालिका 7.3 में दी गई है।

तालिका 7.3 एमओईएफएण्डसीसी द्वारा तय लक्ष्यों की निगरानी

क्षेत्रीय कार्यालय	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
1. बेगलूरु	200	351	180	379	230	272	230	166	240	97
2. भोपाल	180	73	220	73	220	126	220	128	220	206
3. भुवनेश्वर	110	111	110	107	120	109	120	115	120	124
4. चेन्नई	-	-	-	-	-	-	-	224		301
5. चंडीगढ़	190	180	230	182	230	218	230	204	280	173
6. देहरादून	-	-	-	-	-	-	10	10	41	41
7. लखनऊ	200	299	200	301	240	324	240	273	220	224
8. नागपुर	जैसा ऊपर दर्शाया गया है स्थिति भोपाल के साथ विलय									
9. रांची	--	--	--	--	--	--	--	--	55	11
10. शिलोंग	40	52	80	77	90	89	75	69	40	40
कुल	920	1,066	1,020	1,119	1,130	1,138	1,125	1,189	1,216	1,217

टी- लक्ष्य, ए -प्राप्तियां

31 मार्च 2012 को 15 वैज्ञानिक तैनात थे अतः एमओईएफएण्डसीसी के मानदण्डों पर तैनाती के हिसाब से एक वर्ष में केवल 900 परियोजनाओं की निगरानी की जा सकती थी।

हमारी जाँच ने निम्नलिखित दर्शाया:

(क) 31 मार्च 2015 को बंगलौर तथा चंडीगढ़ में केवल एक वैज्ञानिक तैनात था तथा इन आरओज की उपलब्धियां क्रमशः 166 तथा 204 थी मानदण्डों के हिसाब से प्रति वर्ष प्रति वैज्ञानिक 60 होती है, जो इन के संदर्भ से 277 प्रतिशत और 340 प्रतिशत थी।

(ख) आरओ चंडीगढ़ में केवल एक वैज्ञानिक था जबकि आरओ लखनऊ में तीन वैज्ञानिक थे परन्तु परियोजनाओं की निगरानी का लक्ष्य लगभग समान था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु लक्ष्यों को वास्तविकता, जनशक्ति व काम की मात्रा के संदर्भ के अलावा क्षेत्र के आकार/ पहुँच तथा परियोजनाओं की जटिलता के अनुरूप तय नहीं किया गया।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2016) कि वैज्ञानिकों की नियुक्ति से अधिक परियोजनाओं की निगरानी में मदद होगी। आगे, जनशक्ति तथा कार्य की मात्रा के संदर्भ के साथ तय किए गए लक्ष्यों पर मंत्रालय चुप रहा।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आरओ भोपाल, चण्डीगढ़, रांची तथा शिलोण के अलावा सभी निगरानी लक्ष्य प्राप्त किए गए। आकड़ों के 7.2 तालिका से मिलान करने पर यह देखा जा सकता है कि एमओईएफएण्डसीसी/ आरओ अपने अधीन सभी परियोजनाओं की निगरानी पाँच वर्षों में भी नहीं कर पाएंगे।

## 7.8 ईसी शर्तों के उल्लंघन पर कार्यवाही

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार ईसी का उल्लंघन करने पर एमओईएफएण्डसीसी को निर्देश जारी करने कि शक्ति में (क) बंद करने, निषेध या किसी उद्योग संचालन या प्रक्रिया का विनियमन या (ख) बिजली या पानी का किसी अन्य सेवा कि पूर्ति का नियमन तथा बंद करने के निर्देश देने की शक्तियां भी शामिल हैं।

संसदीय प्रश्न के उत्तर (जुलाई 2016) में मंत्रालय ने प्रस्तुत किया कि पिछले दो वर्षों में ईसी शर्तों के उल्लंघन के लिए एमओईएफएण्डसीसी द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

हमने पाया कि एमओईएफएण्डसीसी के पास क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त मामलों /परियोजनाओं की संकलित सूची नहीं थी जिनमें आरओज की निगरानी/ निरीक्षण द्वारा उल्लंघनों की रिपोर्ट दी गई। वर्ष वार मामलों का आंकड़ा रजिस्टर भी नहीं बनाया गया था। लेखापरीक्षा ने चयनित परियोजनाओं की सूची जिसमें मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही तथा निगरानी रिपोर्ट की फाइल के प्रस्तुतीकरण हेतु एमओईएफएण्डसीसी को

अग्रेषित की। एमओईएफएण्डसीसी पाँच फाइलों के अलावा चयनित परियोजनाओं की फाइल प्रस्तुत नहीं कर पाया।

इन पाँच मामलों की लेखापरीक्षा समीक्षा में पाया कि तीन मामलों में पीपीज के उत्तर के अधार पर एमओईएफएण्डसीसी ने कोई कार्यवाही नहीं की थी।

**मैसर्स निरानी शुगर लिमिटेड कर्नाटक** के मामले में एमओईएफएण्डसीसी ने पीपी को अक्टूबर 2015 में ईसी की शर्तों के उल्लंघन की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था लेकिन पीपी ने जुलाई 2016 तक कोई उत्तर नहीं दिया/ पालन नहीं किया था।

एक और मामले **मैसर्स कैलाशपति सीमेंट (पी) लिमिटेड** द्वारा सामान्य तथा विशिष्ट शर्तों जैसे भट्टा से उत्पादित गैसों का पूर्ण उपयोग, अंतप्रवाही तथा प्रवाही सतहों की नियमित निगरानी, निर्धारित 33 प्रतिशत ग्रीन बेल्ट का गैर-विकास, ईएसआर के अधीन पाँच प्रतिशत का आबंटन, सीटओ की चूक इत्यादी का अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया। यद्यपि दिसम्बर 2015 में मामला कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया था परन्तु एमओईएफएण्डसीसी द्वारा इस पर रोक लगा दी गयी। एमओईएफएण्डसीसी द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

आगे, एमओईएफएण्डसीसी ने अपने आप 13 फाइले प्रस्तुत की जिनमें अगस्त 2015 तथा दिसम्बर 2015 के बीच कारण बताओ नोटिस जारी किये गए थे। इन फाइलों की जाँच से यह उजागर होता है कि आठ मामलों में 15 जुलाई 2016 तक एमओईएफएण्डसीसी में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तथा एमओईएफएण्डसीसी द्वारा पीपीज कि गलतियों के लिए कोई अनुस्मारक जारी नहीं किया गया। **मैसर्स एमआईडीसी तारापुर, महाराष्ट्र** तथा **मैसर्स गैल्लेंट मेटल लिमिटेड, गुजरात** के दो मामलों में पीपीज द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्ट/ प्रस्तुत उत्तर को एमओईएफएण्डसीसी/ आरओज द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। एक और **मैसर्स रोवाले बोकसाइट खदान, रोपाली, रत्नागिरि** के मामले में पीपी द्वारा प्रस्तुत उत्तर असंतुष्टिप्रद था लेकिन एमओईएफएण्डसीसी द्वारा कोई अनुस्मारक जारी नहीं किया गया।

एमओईएफएण्डसीसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2016) की **मैसर्स निरानी शुगर लिमिटेड कर्नाटक** को अनुस्मारक जारी किया जा चुका था तथा **मैसर्स कैलाशपति सीमेंट (पी) लिमिटेड** के मामले में एमओईएफएण्डसीसी ने आरओ को नए सिरे से निरीक्षण करने का अनुरोध किया। आगे, मैसर्स एमआईडीसी, तारापुर, महाराष्ट्र तथा **मैसर्स गैल्लेंट मेटल लिमिटेड, गुजरात** के संबंध में यह कहा गया कि पीपीज द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण संतुष्टिप्रद पाया गया इसलिए आरओज द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

## 7.9 उपसंहार

आरओज यह सुनिश्चित नहीं कर रहे थे कि पीपी अर्ध वार्षिकी अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से और समय पर नहीं भेज रहे थे। पीपी अर्ध वार्षिकी अनुपालन रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहे थे।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिकों की स्वीकृत संख्या की तुलना में तैनाती के बीच व्यापक अन्तर था। नतीजतन, एमओईएफएण्डसीसी/ आरओ अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी परियोजनाओं की निगरानी पाँच साल की अवधि में भी करने में सक्षम नहीं होंगे।

आरओज को पीपीज द्वारा चूक करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई शक्ति नहीं सौंपी गयी थी और उनको ईसी की स्थिति के उल्लंघन की रिपोर्ट मंत्रालय को करनी थी। मंत्रालय के पास आरओज द्वारा सूचित किये गए उल्लंघन के मामलों का एक डाटाबेस नहीं था। एमओईएफएण्डसीसी द्वारा ईसी की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए पिछले दो साल में कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

## 7.10 सिफारिशें

हम सिफारिशें करते हैं कि,

- i. एमओईएफएण्डसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि अनुपालन रिपोर्टें नियमित रूप से तथा समय से प्राप्त हो और पीपी तथा मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइटों पर अपलोड की जाएं।

(पैराग्राफ 7.3 तथा 7.4)

- ii. एमओईएफएण्डसीसी संबन्धित आरओ में वैज्ञानिकों की अपेक्षित संख्या रखने के लिए शीघ्र उपाय करें।

(पैराग्राफ 7.5)

- iii. दोषी पीपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी को आरओ को अधिकार सौंपकर एक प्रणाली बनानी चाहिए।

(पैराग्राफ 7.6)

- iv. एमओईएफएण्डसीसी में एक प्रणाली होनी चाहिए जहाँ आरओ से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्टों को आरओ के समन्वयन में संकलित किया जाए और लगातार निगरानी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीपी ईसी की शर्तों का पालन करें और कानून के मुताबिक कर्रवाई करें।

(पैराग्राफ 7.8)

अध्याय

8





# राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी

## 8.1 प्रस्तावना

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबीज) राज्य में पर्यावरणीय विधान जैसे जल (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (उपकार) अधिनियम, 1977 और कुछ प्रावधानों के तहत पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों जैसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट (एम एण्ड एच) नियम 1998, खतरनाक अपशिष्ट (एम एण्ड एच) नियम 2000, नगर ठोस अपशिष्ट नियम 2000 आदि के अन्तर्गत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

यथा संशोधित जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन और यथा संशोधित वायु (प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अधीन पीपीज से एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी से परियोजना को स्थापित करने की सहमति (सीटीई) तथा प्रचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। एसपीसीबीज उद्योगों, नगर पालिकाओं, औद्योगिक प्रक्रियाओं आदि की सहमति प्रबन्धन तन्त्र के माध्यम से विनियमित करते हैं। सहमति देते समय एसपीसीबीज ईसीज में जल तथा वायु प्रदूषण की कमी हेतु शर्तों को भी समाकलित करते हैं। एसपीसीबी इन औद्योगिक/ परियोजना यूनिटों/ स्वत्वों द्वारा अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी करते हैं। अधिनियमों के अन्तर्गत एसपीसीबीज के सूचना प्राप्त करने, नमूना लेने, प्रवेश करने तथा निगरानी, न्यायालयों के माध्यम से प्रदूषणकर्ता को नियंत्रित करने/ दण्ड देने की शक्ति, बन्दी/ समाप्ति/ बिजली काटने के लिए निर्देश देने की शक्ति है।

## 8.2 ईआईए अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी का अस्पष्ट उत्तरदायित्व

हमने देखा कि इसी निगरानी के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी) को ईआईए अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत कोई स्पष्ट उत्तरदायित्व नहीं सौंपे गए थे।

ईआईए रिपोर्ट की संवीक्षा के बाद ईएसी की सिफारिशों पर एमओईएफएण्डसीसी द्वारा ईसी दिया जाता है जो लोक परामर्श और विभिन्न कमी करने के उपाय भी तथा पीपी

द्वारा की गई वचनबद्धताएं शामिल करता है। एमओईएफएण्डसीसी पीपीज को इसी देते समय एसपीसीबीज को प्रति मार्क कर देता है तथापि एसपीसीबीज की सही भूमिका इसी पत्र में विशिष्ट नहीं की गई थी।

एमओईएफएण्डसीसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 23 के तहत भी अधिसूचनाएं जारी कर राज्य सरकारों और/ अथवा एसपीसीबीज को अपनी शक्तियां प्रत्यायोचित कर शक्ति सम्पन्न करने की भी शक्ति थी। एमओईएफएण्डसीसी ने इसी शर्त की निगरानी के लिए उत्तरदायित्वों तथा शक्तियों से एसपीसीबी/ पीसीसीज को प्रत्यायुक्त नहीं किया था और इसलिए ईआईए/ इसी में पीपीज द्वारा प्रस्तावित विभिन्न अल्पीकरण उपायों के अनुपालन की एसपीसीबीज द्वारा जांच नहीं की गई थी। लोक सभा को एमओईएफएण्डसीसी ने अतारांकित प्रश्न सं. 1555 (08 दिसम्बर 2015) अपने उत्तर में बताया कि पर्यावरणीय सुरक्षा शर्तों के अनुपालन की नियमित रूप से आरओज तथा एसपीसीबीज के माध्यम से निगरानी नहीं की गई थी।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अन्तर्गत उनके नियामक कर्तव्यों, निगरानी, प्रवर्तन तथा अनुपालन के संबंध में एसपीसीबी/ पीसीसीज की बहुत ही स्पष्ट परिभाषित भूमिकाएं थीं। एसपीसीबी/ पीसीसीज वन से सम्बन्धित शर्तों, वृक्षारोपण, ईएसआर के तहत गतिविधियों, स्वास्थ्य आदि की निगरानी की स्थिति में नहीं है। इस कारण से कि ये शर्तें जल अधिनियम और वायु अधिनियम तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजनों में परिकल्पित अधिदेश के अन्तर्गत नहीं आती।

तथापि हमने देखा कि अधिकांश एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज ने व्यक्त किया कि इसी शर्तों का अनुपालन एमओईएफएण्डसीसी के सम्बन्धित आरओज द्वारा किया जाना था। आरओज द्वारा निगरानी में कमी से सम्बन्धित अवलोकन पर इस प्रतिवेदन के अध्याय 7 में चर्चा की गई है।

एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज की भूमिका से सम्बन्धित हमारा अवलोकन निम्नवत है:

### 8.3 इसी शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करने में कमी

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा जारी इसीज में शर्तों में से एक यह थी कि इसी शर्तें अन्य बातों के साथ जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 आदि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तित की जानी थीं। इन अधिनियमों के प्रवर्तन की शक्ति राज्य सरकार के पास थी।

एमओईएफएण्डसीसी द्वारा जारी ईसी पत्र आरओज, एमओईएफएण्डसीसी/सीपीसीबी/एसपीसीबीज को भी भेजे जाते हैं। पीपीज से छ माही अनुपालन रिपोर्टें और सांख्यिकीय व्याख्या के साथ भावीटरित डाटा नियमित रूप से प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त पीपी से ईसी शर्तों के अनुपालन की स्थिति से संबंधित आवधिक रिपोर्टें, फार्म v में वार्षिक पर्यावरणीय विवरण, मिटटी जांच तथा भूजल नमूने, परिवेशी वायु गुणवत्ता, पलायक अथवा चिमनी उत्सर्जन, शोर स्तरों, उत्सर्जन प्रतिमानों के अनुपालन आदि पर रिपोर्टें आरओज, एमओईएफएण्डसीसी/सीपीसीबी/एसपीसीबीज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी।

इन ईसी शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण करने के लिए एसपीसीबीज में उचित प्रणाली के संबंध में हमारा निष्कर्ष सांक्षिप्त रूप में निम्नवत है:

- क. 26<sup>30</sup> एसपीसीबी/यूटीपीसीसी ने बताया कि उन्होंने शर्तों तथा उन शर्तों के अनुपालन की निगरानी के साथ स्थापना की सहमति (सीटीई) तथा प्रचालन की सहमति (सीटीओ) जारी की थी। एसपीसीबी/यूटीजीसीसी ने बताया कि उनके द्वारा ईसी शर्तों की निगरानी नहीं की गई थी।
- ख. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह पीसीसी ने बताया कि ईसी के अन्तर्गत अनुबद्ध शर्तों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कोई प्रव्यायोजन नहीं किया गया था। मणिपुर एसपीसीबी ने अपने उत्तर में बताया कि वे ईसी शर्तों, जो केवल मणिपुर एसपीसीबी के सुसंगत हैं, के अनुपालन के सत्यापन का उत्तरदायित्व निभा रहे थे।
- ग. त्रिपुरा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि सीपीसीबी के आंचलिक कार्यालय से अधिकारियों तथा बोर्ड अधिकारियों के साथ एमओईएफएण्डसीसी ने संयुक्त रूप से ईसी शर्तों के अनुपालन का निरीक्षण करने के लिए स्थानों का दौरा किया था।
- घ. मिजोरम बोर्ड ने बताया कि वह कुछ ईसी शर्तों, जो उसकी क्षमता के अन्दर हैं, की अनुपालन की जांच करता है। तथापि बोर्ड अनुपालन की जांच करने के अपने उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ था क्योंकि उनके द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया गया था।
- ङ. दमन एवं दीव और दादरा तथा नागर हवेली, पुडुचेरी के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी।

<sup>30</sup> असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तथा पश्चिम बंगाल

इस प्रकार ईसी शर्तों का अनुपालन की निगरानी के लिए एक समान प्रणाली नहीं थी। एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि सहमति देते समय लगाई शर्तों की निगरानी सहित प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम के अन्तर्गत सीपीसीबी/ पीसीसीज पर्याप्त रूप से शक्ति सम्पन्न किए गए हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ ईसी की मंजूरी के दौरान लगाई शर्तों का समाकलन शामिल है। उसके अलावा एमओईएफएण्डसीसी ने प्रस्ताव किया कि नवम्बर 2016 में आयोजित की जाने को प्रस्तावित आगामी वार्षिक सम्मेलन के दौरान सीपीसीबी/ एसपीसीबी के सभी अध्यक्ष और सदस्य सचिवों को विशेष रूप से प्रदूषण तथा भिन्न प्रकार के अपशिष्ट से सम्बन्धित ईसी तथा सहमति शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा जायगा।

इसके अलावा एसपीसीबीज के उत्तर कि शर्तों, जो सीटीई/ सीटीओ से जुड़ी थीं के अनुपालन की निगरानी की गई थी, के बावजूद हमने दृष्टान्त देखे जहाँ परियोजनाएं सीटीई/ सीटीओ बिना परिचालन कर रही थी जिन पर अगले पैरा में चर्चा की गई है।

#### 8.4 स्थापना की सहमति तथा प्रचालन की सहमति बिना परिचालनरत परियोजनाएं

जल, नदी, कुओं नालों में अथवा भूमि पर कोई घरेलू मल अथवा व्यवसाय बहिःस्राव विसर्जित करने वाले सभी उद्योग/ स्थानीय निकाय, जो जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत आते हैं, ये किसी नई यूनिट की स्थापना के लिए अथवा किसी विद्यमान यूनिट का विस्तार/ आधुनिकीकरण करने से पूर्व सीटीई प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

स्थापना के बाद इन यूनिटों को वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व सीटीओ प्राप्त करना आवश्यक है। सभी विद्यमान यूनिटों, जो जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत आती हैं, को भी सीटीओ आवश्यक है।

इस प्रकार सीटीई केवल नई यूनिट की स्थापना के समय पर या किसी विद्यमान यूनिट का विस्तार/ आधुनिकीकरण करने से पूर्व प्राप्त की जाती है। अथवा वर्तमान विशेष अवधि के लिए दिया जाता है और समाप्ति के बाद प्रत्येक समय नवीकृत कराए जाने की आवश्यकता है। सहमति आवेदन की तारीख से चार माह के अन्दर दी जानी थी जिसकी विफलता में इसे मानी गई सहमति के रूप में माना जाएगा जब तक पूर्व में सहमति दी गई हो अथवा में अस्वीकृत किया गया हो।

हमने सीटीई/ सीटीओ तथा के नवीकरण बिना प्रचालनरत परियोजनाओं से संबंधित अनेक मामले देखे जिन पर अनुवर्ती पेरोग्राफो में चर्चा की गई है।

- (i) **सीटीई बिना चल रही परियोजनाए:** हमने देखा कि 352 परियोजनाओं में से 117 परियोजनाओं में ऐसी अलग शर्त इसी पत्र में विस्तरित नहीं की गई थी। शेष बची हुई 235 परियोजनाओं में से 162 ने सीटीई प्राप्त की थी और 10 परियोजनाओं में इस शर्त का गैर अनुपालन पाया गया था। 63 परियोजनाओं में सूचना या तो मौजूद नहीं थी या लागू नहीं थी।

10 परियोजनाए जहाँ सीटीई प्राप्त नहीं की गई थी के ब्यौरे तालिका 8.1 में दिए गए हैं

**तालिका 8.1 स्थापित करने की सहमती बिना चल रही परियोजनाए**

सं.	राज्य/यूटी	परियोजना
1.	आंध्र प्रदेश	सरीपल्ली बालू की खान, में. राष्ट्रीय इस्पात निगम
2.	चण्डीगढ़	धनास गाँव में पुनर्वास योजना तथा सामान्य आवास योजना, में. चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
3.	जम्मू एवं कश्मीर	में. जम्मू एवं कश्मीर सीमेंट लिमिटेड का खरू लाइमस्टोन
4.	मध्य प्रदेश	एनएचएआई, छिंदवाड़ा द्वारा बाईपास सहित अमरवाड़ा उमरानाला के पेवड शोल्डर्स कान्फीगुरेशन के साथ 2 लेनों का सुधार एवं उन्नयन
5.		एनएचएआई, छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा/चौराई/सेवनी खण्ड का उन्नयन
6.		में. डब्ल्यूसीएल छिंदवाड़ा द्वारा अम्बारा खुली खदान बैचो कोयला खदान परियोजना।
7.		में. मैहर सीमेंट, सतना द्वारा भाडनपुर चूना पत्थर खदान परियोजना।
8.	पंजाब	मेट्रोपोलिटन माल (वाणिज्यिक परिसर परियोजना), में. एमजीएफ डवलपमेंटस लिमिटेड
9.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर में नगर ठोस अपशिष्ट लैण्डफिल
10.	उत्तराखण्ड	कोसी नदी, रामनगर से छोटे खनिजों का संग्रहण

- (ii) **सीटीओ बिना चल रही परियोजनाए:** हमारी संवीक्षा में पता चला कि 352 में से 118 परियोजनाओं में ऐसी अलग शर्त इसी पत्र में निर्दिष्ट नहीं की गई थी। शेष 234 परियोजनाओं में से 175 में सीटीओ नहीं लिया गया था और 55 परियोजनाओं में सूचना या तो उपलब्ध नहीं थी या लागू नहीं थी।

शेष चार परियोजनाओं में सीटीओ प्राप्त किया नहीं गया था जिसके ब्यौरे तालिका 8.2 में दिए गए हैं।

तालिका 8.2 प्रचालन की सहमति बिना चल रही परियोजनाए

सं.	राज्य/यूटी	परियोजना
1	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा धनास गांव में पुनर्वास योजना तथा सामान्य आवास योजना
2	जम्मू एवं कश्मीर	मै. जम्मू एवं कश्मीर सीमेन्ट लिमिटेड का खरू चूना पत्थर
3	झारखण्ड	खुली खदान कोयला खान परियोजना सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड
4	तमिलनाडु	मै. अक्षय जेएमबी प्रोपरटीज, समूह अवासिय परिसर 'मेट्रोपोलिस' का निर्माण

(iii) **सीटीओ की मंजूरी के नवीकरण में विलम्ब:** हमने देखा कि एसपीसीबी द्वारा चालू सीटीओ के समाप्ति से पूर्व नवीकरण की प्रक्रिया आरम्भ तथा पूर्ण करने के लिए उचित प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। हमारी संवीक्षा में पता चला कि 352 में से 34 परियोजनाओं में 11 दिनों से साढ़े छः वर्षों<sup>31</sup> तक के बीच विलम्ब हुए थे जिसके दौरान प्रस्तावक एसपीसीबी से उचित सीटीओ के बिना अपने संयंत्रों को चला रहे थे।

(iv) **सीटीओ का नवीकरण प्राप्त न करना:** हमारी संवीक्षा में पता चला कि 352 परियोजनाओं में से 25 परियोजनाओं, जिसको आरम्भ में सीटीओ मंजूर किए गए थे, लेकिन पीपीज ने सीटीओ के नवीनीकरण का कोई अभिलेख नहीं दिखाया।

एमओईएफएण्डसीसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि उन्होंने एसपीसीबीज/पीसीसीज द्वारा आनलाइन सहमति प्रबन्धन के लिए जेनरिक साफ्टवेयर प्राप्त किया था जिसे 18 एसपीसीबीज द्वारा अपनाया गया है और अन्य शेष बोर्डों को साफ्टवेयर अपनाने के लिए सहमत किया जा रहा है। आनलाइन कन्सेन्ट मैनेजमेंट का कार्यान्वयन नियामक (एसपीसीबी/पीसीसी) तथा नियंत्रित (उद्योग) के बीच अन्तरापृष्ठ को कम करेगा और दक्षता, पारदर्शिता तथा कारोबार करने में सरलता लाएगा और सीटीई तथा सीटीओ मंजूर करने और सीटीओ कि मंजूरी के नवीकरण में विलम्बों का परिहार करेगा।

### 8.5 एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज को अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत न करना

पीपीज को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 1 जून और 1 दिसम्बर को अपने सम्बन्धित एसपीसीबी/ यूटीपीसीसीज को अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत करनी थीं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु कुल 352 परियोजनाओं का चयन किया गया था जिनको 2008 तथा 2012 के बीच ईसीज दिए गए थे। 259 मामलों जिनके लिए एसपीसीबीज/ पीपीज

<sup>31</sup> मोहनपुर ओपन कास्ट कोल माइन, मै. ईसीएल, पश्चिम बंगाल के संबंध में सीटीओ जुलाई 2007 में समाप्त हो गया है। पीपी ने अक्टूबर 2012 में नवीकरण हेतु आवेदन किया। जिसका अप्रैल 2014 में नवीकृत किया गया था।

द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी, में लेखापरीक्षा ने देखा कि 53 मामलों में अनुपालन रिपोर्टें एक बार भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। तीन मामलों में यह एक बार प्रस्तुत की गई थी, 113 मामलों में रिपोर्टें अनिंतर रूप में प्रस्तुत की गई थीं और केवल 90 मामलों में रिपोर्टें नियमित रूप से प्रस्तुत की गई थीं। ब्यौरे अनुबन्ध VII में दिए गए हैं।

इस प्रकार अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत न करने के कारण एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज ईसीज में दी गई शर्तों के अनुपालन से अनभिज्ञ रहे।

### 8.6 एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज में अपर्याप्त अवसंरचना तथा जनशक्ति

एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज को पर्याप्त अवसंरचना, विशेषता, औद्योगिक प्रबन्धों की स्थिरता की आवश्यकता है। ताकि वे अपने कर्तव्य संतोषजनक रूप में निभा सकें। अवसंरचना सुसज्जित प्रयोगशालाएं शामिल करती है और विशेषज्ञता तकनीकी जनशक्ति की पर्याप्त संख्या शामिल करती है।

हमारी आपतियां संक्षिप्त रूप में नीचे दी गई हैं:

क. 24 एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसी (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश मेघालय, मिजोरम, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपूरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तथा पश्चिम बंगाल) में अवसंरचना ओर विशेषज्ञता नहीं है और प्रयोगशालाओं तथा जनशक्ति की कमी है। 24 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी में से केवल 11 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी में जन शक्ति की वास्तविक कमी को दर्शाया गया था जिसका ब्यौरा तालिका 8.3 में दिया गया है।

तालिका 8.3 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी में कार्मिक शक्ति की कमी

क्र.सं.	एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी	संस्वीकृत शक्ति	कार्मिक	कार्मिक स्थिति	कमी प्रतिशत में
1.	बिहार•		193	63	67
2.	दिल्ली*		131	34	74
3.	हिमाचल प्रदेश *		83	39	53
4.	झारखण्ड•		271	73	73
5.	कर्नाटक •		409	232	43
6.	मध्य प्रदेश*		358	209	42
7.	पुडुचेरी*		8	2	75
8.	पंजाब•		665	427	36



क्र.सं.	एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी	संस्वीकृत शक्ति	कारमिक	कार्मिक स्थिती	कमी प्रतिशत में
9.	राजस्थान•		387	261	33
10.	उत्तराखण्ड*		69	22	68
11.	पश्चिम बंगाल*		197	107	46

• कुल कार्मिक शक्ति, \* वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक शक्ति

**ख.** तीन एसपीसीबीज (असम, गोवा, मणिपुर) ने बताया कि उनके पास पर्याप्त अवसंरचना और विशेषज्ञता थी।

**ग.** पाँच एसपीसीबीज (आंध्रप्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा ओडिशा) ने लेखापरीक्षा को विशिष्ट उत्तर नहीं भेजा।

उस रूप में सुसज्जित प्रयोगशाला तथा तकनीकी जनशक्ति सहित सीमित अवसंरचना तथा विशेषज्ञता के साथ अधिकांश एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज परियोजनाओं की जिनके लिए ईसी दिए गए थे, उचित प्रकार निगरानी करने की भी स्थिती में नहीं थे।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि यह सही था कि अनेक एसपीसीबीज/पीसीसीज पर्याप्त रूप से अवसंरचना, प्रशिक्षित स्टाफ और विशेषकर विधिक प्रवर्तकों से सुसज्जित नहीं है। प्रदूषण के उपशमन के लिए योजना के अंतर्गत एमओईएफएण्डसीसी पूर्वोत्तर राज्यों तथा पीसीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा राज्य सरकारों से अपने बोर्डों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त निधियाँ मुहैया करने की आवश्यकता थी। इस विषय पर विभिन्न बैठकों और अध्यक्ष तथा सचिवों के वार्षिक सम्मेलनों में चर्चा की गई थी और नवम्बर 2016 में प्रस्तावित सम्मेलन में इसे दोबारा उठाया जाएगा।

## 8.7 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी की वित्तीय स्थिति

एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने कार्य संतोषजनक रूप से कर सकें। हमने देखा कि एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी के पास पर्याप्त नकदी शेष था (सावधि जमाओं तथा बैंक शेष सहित) जैसा नीचे उल्लेख किया गया है।

**क.** 11 एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी (आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, तेलंगाना, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल) के पास ₹ 100 करोड से अधिक नकदी शेष था।

**ख.** चार एसपीसीबीज/ यूटीपीसीसीज (असम, दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली, गुजरात तथा उत्तर प्रदेश) के पास ₹ 50 करोड से ₹ 100 करोड के बीच नकदी शेष था।

- ग. चार एसपीसीबीज (गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र तथा मेघालय) के पास ₹ 10 करोड और ₹ 50 करोड के बीच नकदी शेष था।
- घ. सात एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी (बिहार, चण्डीगढ़ झारखण्ड, मध्यप्रदेश, मिजोरम, पुडुचेरी तथा सिक्किम) के पास ₹ 10 करोड से कम नकदी शेष था।
- ङ. छः एसपीसीबी (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मणिपुर, ओडिशा तथा त्रिपुरा) ने अपनी वित्तीय स्थिती सम्बन्धित सूचना नहीं दी।

इस प्रकार एसपीसीबी के पास पर्याप्त निधियां थी परन्तु जनशक्ति तथा अवसंरचना की कमी थी और ईसी शर्तों की निगरानी के अधिदेश में अस्पष्टता ने भी इसमें योगदान किया था।

एमओईएफएण्डसीसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि बोर्ड, जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना तथा प्रशिक्षित परशक्ति के कमी के कारण इसे कठिन पा रहे हैं। एमओईएफएण्डसीसी तथा सीपीसीबी इन राज्य बोर्डों को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे हैं।

## 8.8 उपसंहार

एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज ने ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी स्पष्ट न होने के कारण ईसी उपरांत निगरानी के कार्य नहीं किये गए। जिसकी वजह से एसपीसीबीज ने पीपीज द्वारा ईआईए/ईसी में प्रस्तावित विविध न्यूनीकरण के उपाय नहीं जांचे गए।

एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थे कि परियोजनायें वैध सीटीई एवं सीटीओ के साथ चल रहें हैं कि नहीं। पर्याप्त धन होने के बावजूद एसपीसीबीज/यूटीपीसीसीज में बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति की कमी थी।

## 8.9 सिफारिशें

हम सिफारिशें करते हैं कि,

- एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र तथा ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी का उत्तरदायित्व स्पष्टतया सौंपने के तौर तरीके बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करें।

(8.2 पैराग्राफ)

- ii. एमओईएफएण्डसीसी परियोजना प्रस्तावों को सीटीई तथा सीटीओ देने के बाद आवधिक निगरानी के लिए एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी को परामर्श जारी करें।

(पैराग्राफ 8.3)

- iii. एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी की अवसंरचना तथा जनशक्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे ताकि क्षेत्राधिकारों में चल रही परियोजनाओं की ईसी शर्तों की उचित निगरानी कर सकें।

(पैराग्राफ 8.4)



(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली

दिनांक: 22 दिसम्बर 2016

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 26 दिसम्बर 2016

अनुबंध



## अनुबंध I

### (पैराग्राफ संदर्भ:1.2)

#### पर्यावरण अनापत्ति देने की प्रक्रिया, चरण और समयसीमा

सभी मामलों में आवेदक द्वारा स्थान पर कोई निर्माण कार्यकलाप अथवा भूमि की तैयारी आरम्भ करने से पूर्व ईसी मांगते हुए एक आवेदन परियोजना और/ अथवा कार्यकलापों, जो आवेदन से संबन्धित है, के लिए संभावित स्थान (नों) की पहचान करने के बाद निर्धारित फार्म 1 और पूरक फार्म 1 क, यदि लागू हो<sup>32</sup>, में किया जाना है। आवेदक को आवेदन के साथ पूर्व व्यवहार्यता परियोजना रिपोर्ट अथवा प्रत्ययात्मक योजना, जो लागू हो, की एक प्रति भेजनी पड़ती है।

ईसी प्रक्रिया में अधिकतम चार चरण शामिल है। जिनमें से सभी एक विशेष मामलों को लागू नहीं हो सकते है। ये चार चरण अनुक्रमिक क्रम में होंगे। चरण 1: छानबीन (केवल श्रेणी 'ख' परियोजनाओं तथा कार्यकलापों के लिए), चरण 2: कार्यक्षेत्र निर्धारण, चरण 3: लोक परामर्श तथा चरण 4: मूल्यांकन।

#### चरण 1: छानबीन

श्रेणी 'ख' परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के मामले में यह चरण परियोजना की प्रकृति और स्थान विशेष पर निर्भर ईसी देने से पूर्व इसके मूल्यांकन के लिए ईआईए की तैयारी के लिए यह सुनिश्चित करने कि क्या परियोजना अथवा कार्यकलाप आगे पर्यावरणीय अध्ययनों कि अपेक्षा करना है अथवा नहीं, के लिए संबन्धित एसईएससी द्वारा फार्म 1 में पूर्व ईसी मांगने के लिए किए गए आवेदन की संवीक्षा को अनिवार्य बनाता है। ईआईए रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाएं श्रेणी ख 1 कही जाती है और शेष परियोजनाएं श्रेणी ख 2 कही जाती है और ईआईए रिपोर्ट की अपेक्षा नहीं करते है। ख 1 और ख2 में परियोजनाओं के वर्गिकरण हेतु एमओईएफएण्डसीसी समय-समय पर उचित मार्ग निर्देश जारी करता है।

#### चरण 2: कार्यक्षेत्र निर्धारण

कार्यक्षेत्र निर्धारण उस प्रक्रिया को कहते है जिसके द्वारा परियोजना अथवा कार्यकलाप जिसको ईसी मांगा जाता है, के संबंध में ईआईए रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान कर श्रेणी 'ए'/'बी' परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों<sup>33</sup> के मामले में क्रमशः ईएसीज/ एसईएसीज विस्तृत तथा व्यापक विचारणीय विषय (टीओआर) निर्धारित करते है। संबन्धित ईसी/एसईएसी आवेदक द्वारा प्रस्तावित/

<sup>32</sup> भवन निर्माण परियोजना के लिए

<sup>33</sup> वर्तमान परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के उत्पाद मिश्र में विस्तार और/ अथवा आधुनिकीकरण और/ अथवा परिवर्तन के आवेदनों सहित

सूचित टीओआर सहित निर्धारित आवेदन फार्म<sup>1</sup>/ फार्म 1 क में भेजी सूचना संबन्धित ईसी/ एसईएसी के उपसमूह (केवल यदि संबन्धित ईएसी/ एसईएसी द्वारा आवश्यक माना जाए) कार्य स्थल दौरे और अन्य सूचना जो संबन्धित ईएसी/ एसईएसी के पास उपलब्ध की जाए के आधार पर टीओआर निर्धारित करता है।

अनुसूची की मद 8 में श्रेणी बी के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाएं तथा कार्यकलाप (निर्माण/ टाउनशिप/ व्यापारिक परिसर/ हाउसिंग) कार्यक्षेत्र निर्धारण की अपेक्षा नहीं करते हैं और फार्म 1/ फार्म 1 क तथा प्रत्ययात्मक योजना के आधार पर मूल्यांकन किए जाते हैं।

फार्म<sup>1</sup> की प्राप्ति के साठ दिनों के अंदर यथा संबन्धित ईएसी/ एसईएसी द्वारा आवेदक को टीओआर सूचित किया जाना है। अनुमोदित टीओआर एमओईएफएण्डसीसी तथा संबन्धित एसईआईए की वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

### चरण 3: लोक परामर्श

लोक परामर्श वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थानीय व्यक्तियों तथा अन्यो, जो परियोजना अथवा कार्यकलाप के पर्यावरणीय प्रभावों में कपटपूर्ण पण रखते हैं, की चिंताएँ परियोजना अथवा कार्यकलाप डिजाइन, जो उचित हो, में सभी भौतिक चिंताओं को ध्यान में रखकर अभिसुनिश्चित की जानी है। सभी श्रेणी क और श्रेणी ख 1 परियोजनाओं या गतिविधियों (कुछ को छोड़कर पैरा 7 (i), उप-पैरा III, ईआईए अधिसूचना के खंड (i)) सार्वजनिक परामर्श का कार्य।

लोक परामर्श समान्यतया दो संघटक होने होते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- क. कार्यस्थल पर अथवा उसकी गहन निकटता में लोक सुनवाई-जिलावार स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताएँ अभिसुनिश्चित करने के लिए ईआईए अधिसूचना (2009 संशोधित) के परिशिष्ट IV में निर्धारित रीति में की जानी है, और
- ख. परियोजना अथवा कार्यकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कपटपूर्ण पण वाले अन्य संबन्धित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करना।

सभी मामलों में कार्यस्थल (लों) में अथवा गहन निकटता में निर्दिष्ट रीति में संबन्धित एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी द्वारा लोक सुनवाई आयोजित की जानी है और आवेदक इस आशय के अनुरोध के पैंतालीस दिनों के अंदर संबन्धित नियामक अधिकारी को कार्रवाई भेजी जानी है। लोक परामर्श की समाप्ति के बाद आवेदक को इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्त की गई सभी भौतिक पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना है और ड्राफ्ट ईआईईए तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में उचित परिवर्तन करना है।

परियोजना अथवा कार्यकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कपटपूर्ण पण वाले अन्य संबन्धित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के लिए संबन्धित नियामक प्राधिकरण तथा एसपीसीबी अथवा यूटीपीसीसी लोक सुनवाई का प्रबंधन करने के लिए लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर निर्धारित फार्म में आवेदन की प्रति के साथ आवेदक द्वारा परिशिष्ट III क में दिए गए प्रपत्र में तैयार संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर डालकर ऐसे संबन्धित व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित करेंगे।

ऐसे तैयार अंतिम ईआईए रिपोर्ट मूल्यांकन हेतु संबन्धित नियामक प्राधिकरण को आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जानी है। आवेदक लोक परामर्श के दौरान व्यक्त सभी चिंताओं का संबोधित कर ड्राफ्ट ईआईए तथा ईएमसी के लिए वैकल्पिक रूप से पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

#### चरण 4: मूल्यांकन

मूल्यांकन का अर्थ इसी की मंजूरी की लिए संबन्धित नियामक प्राधिकरण को आवेदक द्वारा प्रस्तुत, आवेदन तथा अन्य दस्तावेजों जैसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट लोक सुनवाई कार्रवाइयों सहित लोक परामर्शों के परिणाम को ईएसी अथवा एसईएसी यानि निर्धारित शर्तों तथा निबंधनों पर पूर्व इसी की मंजूरी अथवा उसके लिए कारणों के साथ पूर्व इसी के लिए आवेदन की अस्वीकरण के लिए संबन्धित नियामक प्राधिकरण को सुस्पष्ट सिफारिशें करनी पड़ती है। अंतिम ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति के साठ दिनों के अन्दर संबन्धित ईएसी अथवा एसईएसी को आवेदन का मूल्यांकन पूर्ण किया जाना है। ईएसी अथवा एसईएसी की सिफारिशें अगले पन्द्रह दिनों के अन्दर अंतिम निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। मूल्यांकन की निर्धारित प्रक्रिया ईआईए अधिसूचना के परिशिष्ट V में दी गई है। नियामक प्राधिकरण को संबन्धित ईएसी तथा एसईएसी की सिफारिशों पर विचार करना पड़ता है और संबन्धित ईएसी अथवा एसईएसी की सिफारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के अन्दर अथवा दूसरे शब्दों में अंतिम ईआईए रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पाँच दिनों के अन्दर आवेदक को अपना निर्णय सूचित करना पड़ता है।



**अनुबंध II**  
**पैराग्राफ संदर्भ :1.9**  
**लेखापरीक्षा उद्देश्य 1 के लिए नमूना**

ईएसी/क्षेत्र	2011	2012	2013	2014	2015 <sup>34</sup>	कुल परियोजनाएं	नमूना प्रतिशत	नमूना आकार <sup>35</sup>
कोयला खनन परियोजनाएं	25	25	45	43	39	177	20	45
औद्योगिकी परियोजनाएं	219	265	233	143	171	1,031	5	47
अवसंरचना तथा विविध परियोजनाएं एवं सीआरजैड	80	123	102	62	84	451	5	44
खनन परियोजनाएं (गैर कोयला)	58	69	87	225	89	528	10	45
नई निर्माण तथा औद्योगिकी सम्पदा परियोजनाएं	63	81	209	108	70	531	5	20
नदी घाटी तथा जल विद्युत परियोजनाएं	11	4	10	3	8	36	10 (अधिकतम 1 परियोजना)	7
ताप विद्युत परियोजनाएं	48	46	15	17	13	139	निम्नतम 2 <sup>36</sup> परियोजनाएं और अधिकतम 3 परियोजनाएं	41
<b>जोड़</b>	<b>504</b>	<b>613</b>	<b>701</b>	<b>601</b>	<b>474</b>	<b>2,893</b>		<b>249</b>

**लेखापरीक्षा उद्देश्य 2 के लिए नमूना**

ईएसी/क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012	कुल परियोजनाएं	नमूना प्रतिशत	नमूना आकार
कोयला खनन परियोजनाएं	73	60	33	25	25	216	20	43
औद्योगिकी परियोजनाएं	785	539	295	219	265	2,103	5	118
अवसंरचना तथा विविध परियोजनाएं एवं सीआरजैड	184	110	99	80	123	596	5	37

<sup>34</sup> जुलाई 2015 तक

<sup>35</sup> प्रत्येक राज्य के लिए पूर्ण करने के कारण कुल परियोजनाओं का सही प्रतिशत नमूना आकार नहीं है

<sup>36</sup> निम्नतम 2 (जहाँ परियोजना एक से अधिक है)

ईएसी/क्षेत्र	2008	2009	2010	2011	2012	कुल परियोजनाएं	नमूना प्रतिशत	नमूना आकार
खनन परियोजनाएं (गैर कोयला)	199	180	85	58	69	591	10	48
नई निर्माण तथा औद्योगिकी सम्पदा परियोजनाएं	580	252	139	63	81	1,115	5	54
नदी घाटी तथा जल विद्युत परियोजनाएं	11	11	10	11	4	47	10 (अधिकतम 1 परियोजना)	9
ताप विद्युत परियोजनाएं	83	69	75	48	46	321	निम्नतम 2 <sup>37</sup> परियोजनाएं और निम्नतम 3 परियोजनाएं	43
<b>जोड़</b>	<b>1,915</b>	<b>1,221</b>	<b>736</b>	<b>504</b>	<b>613</b>	<b>4,989</b>		<b>352</b>

नोट: 352 परियोजनाओं में 16 राज्यों के गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की 22 परियोजनाओं भी शामिल हैं।

<sup>37</sup> निम्नतम 2 (जहाँ परियोजना एक से अधिक है)

### अनुबन्ध III

#### (पैराग्राफ संदर्भ: 1.9)

#### लेखापरीक्षा सिफारिशों के लिए प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
1.	<p>एमओईएफएंडसीसी डाटाबेस के पुनर्वैधीकरण के लिए एनआईसी के परामर्श से उचित कार्रवाई करे और उन परियोजनाओं की सही तस्वीर पर पहुँचे जिनको मंत्रालय द्वारा ईसी दिए गए हैं। (पैराग्राफ 2.2)</p>	<p>लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित आंकड़े एनआईसी द्वारा मंत्रालय को उपलब्ध कराए गए डाटा से मेल नहीं खाते हैं।</p>	<p>कैलेंडर वर्ष 2008 से 2015 के दौरान क्षेत्रीय परियोजनाओं को एमओईएफ एण्डसीसी द्वारा दिए गए क्षेत्रवार ईसी (जुलाई 2015 तक एमओईईएफ एंड सीसी के राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) कक्ष द्वारा दिए गए थे (अगस्त 2015) एमओईएफ एंडसीसी को ईसी प्रदत्त परियोजना के आंकड़ों की पुष्टि करने का बार-बार अनुरोध किया गया। इसके बावजूद मंत्रालय ने ईसी प्रदत्त परियोजनाओं के वर्षवार तथा क्षेत्रवार आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए थे।  (नवम्बर 2016)</p>
2.	<p>ईसी देने में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एमओईएफएंडसीसी को ईआईए के अधिसूचना के अनुसार समय सीमा का पालन करने के साथ प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाए। (पैराग्राफ 2.3)</p>	<p>मंत्रालय ने ईसी के लिए अनलाइन आवेदन प्रणाली आरम्भ की है जो मूल्यांकन तथा ईसी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में सशक्त सुधार हुआ है। ईसी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए उठाए गए कदमों ने पारदर्शिता, भविष्य सुचकता में वृद्धि की थी और परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावों की खोज को समर्थ किया था। इन कदमों ने राज्यों को अधिक शक्तियाँ भी प्रतयोजित की थीं। जिससे ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्धारित समय</p>	<p>तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि ईसी के संसाधन हेतु लिया गया औसत समय गत दो वर्षों में ऑफलाइन परियोजनाओं के मामले में बढ़ गया है।</p>

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
		सीमा का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता पर श्रमशक्ति की कमी का समाधान किया जाना अनावश्यक है।	
3.	एमओईएफएंडसीसी को ईआईए रिपोर्टों की संवीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करें कि वे टीओआर के अनुसार हैं, सामान्य ढांचे का पालन करती हैं, बेसलाइन डाटा सही है और लोक सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है। (पैराग्राफ 2.5)	परामर्शदाता ने भी प्रमाणित किया कि ईआईए टीओआर के अनुसार है और इसमें टीओआर में निर्धारित सभी विषय शामिल किए गए हैं, परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय ईएसी द्वारा उसकी जांच भी की जाती है। कार्यस्थल पर अध्ययन करने के लिए परामर्शदाताओं द्वारा बेसलाइन डाटा एकत्र किया जाता है।	मंत्रालय ने ईआईए रिपोर्ट छानबीन करने की प्रक्रियाओं उचित जांच की है। तथापी तथ्य यह शेष रहता है की लेखापरीक्षा में देखी गई कमियाँ हुई हैं।
4.	एमओईएफएंडसीसी कार्यालय जापनों का सहारा लेने के बजाय, सभी भागीदारों को शामिल करके, कानूनी प्रक्रियाएँ अपनाकर, ईआईए की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करे और ईआईए अधिसूचना में उचित संशोधन करे। (पैराग्राफ 2.7)	कार्यालय जापन कार्यालय प्रक्रिया निर्धारित करने और प्रक्रिया अथवा किसी विषय को स्पस्ट करने के लिए जारी किए जाते हैं जो अधिसूचना में स्पस्ट तथा उल्लिखित नहीं है।	ओएम को मूल ईआईए अधिसूचना के प्रावधानों को तनु नहीं करना चाहिए।
5.	एमओईएफएंडसीसी केवल पिछले ईसी की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करने के बाद ही पीपी को नए सिरे से ईसी प्रदान करें। (पैराग्राफ 2.8)	स्थापित प्रक्रिया कि परियोजना को विसार के लिए आती हैं, की गत निगरानी रिपोर्ट की सत्यापित प्रति प्रस्तुत तथा जांच की जाती है। यदि निगरानी रिपोर्ट और पर्यावरण अनापत्ति शर्तों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है। हाल ही में इसके बारे में स्पस्ट उल्लेख करने के लिए सभी सदस्य सचिवों को एक आदेश जारी किया गया है।	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा उल्लिखित मामलों पर विशेष टिप्पणियाँ नहीं दी थीं। उस तथ्य यह शेष रहता है कि लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरणों का उल्लेखनीय जहां पूर्व ईसी शर्तों के अनुपालन प्रमाणित किए बिना नया ईसी जारी किया गया था।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
6.	एमओईएफएंडसीसी अपने कोयला लिंकड खान ताप तथा धातुकर्म परियोजनाओं के ईसी के लिए जारी परिपत्र 2010 का पालन करे ताकि निश्चित कोयला लिंकेज (संधि) उपलब्ध हो और कोयला स्रोतों यानि जुड़ी कोयला खान/कोयला ब्लॉक की पर्यावरण तथा वानिकी मंजूरी ज्ञात हो। (पैराग्राफ 2.9)	किसी विशेष कोयला खान से ऐसा सुस्पष्ट संयोजन अपेक्षित नहीं का, यदि कोयला पीएसयू किसी विशेष खान समूह से कोयला संयोजन निर्धारित करता है। मामले में कोयला का आयात किया गया था, तो परियोजना प्रस्तावक आयात के लिए किए गए एमओयू की जाते फाइल करता है और कि यदि कोयला ई नीलामी में खरीदा जाता है तब भी विशेष संयोजन अपेक्षित नहीं था।	मंत्रालय यह अवश्य सुनिश्चित करे कि पीपी ईसी के अनुसार ब्लॉक/ खान से कोयला का उपयोग करता है।
7.	एमओईएफएंडसीसी समान प्रकार की परियोजनाओं में असमानता से बचने के उद्देश्य से ईसी की शर्तें परियोजना की प्रकृति तथा प्रकार के अनुरूप बनाने पर विचार करे। (पैराग्राफ 2.13)	हमने विचारार्थ विषय को मनकीकृत किया है और प्रक्रिया के लिए समझौता किए बिना मिल विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण शर्तों का मानकीकरण पर विचार किया जा रहा था ।	आगे कोई टिपणी नहीं।
8.	ईआईए रिपोर्टों/ईसी पत्रों में उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा के साथ ईएमपी तथा ईएसआर के अंतर्गत कार्यकलापों की लागत का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। (पैराग्राफ 3.2 तथा 3.4)	यह पाइंट नोट कर लिया गया है और इस इनपुट पर निर्देश जारी किए जाएंगे।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।
9.	एमओईएफएण्डसीसी पश्च ईसी देने के बाद तीसरी पार्टी से मूल्यांकन के साथ वन/कृषि विभाग के परामर्श से हरित पट्टी के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र और लगाई जाने वाली प्रजातियों पर ईएमपी/ईसी शर्त (तें) अधिक विशिष्ट करने पर विचार करें। (पैराग्राफ 3.3)	ईसी में प्रजातियों के प्रकारों के विषय पर अधिक विस्तार में जाना परामर्शी नहीं हो सकता है क्योंकि यह अधिक आदेशात्मक हो जाता है।	मंत्रालय संघनता के साथ हरित पट्टी द्वारा आच्छादित किए जाने वाले क्षेत्र का विशेष उल्लेख करे।
10.	एमओईएफएण्डसीसी भूजल निकालने की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड/राज्य एजेंसियों को प्रत्येक	ईसी की एक प्रति भूजल बोर्ड अधिकारियों को भेजी जाएगी।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
	परियोजना पर जारी ईसी पत्र की एक प्रति भेजने पर विचार करें। (पैराग्राफ 3.6)		
11.	एमओईएफएण्डसीसी ईसी में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन की सख्ती से समय-समय पर निगरानी के लिए आरओ, सीपीसीबी, एसपीसीबी/ यूटीपीसीसी तथा राज्य सरकारों के अन्य विभागों के समन्वय से रणनीतियाँ बनाएँ। (पैराग्राफ 4.2 से 4.20)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।
12.	एमओईएफएण्डसीसी तथा एसपीसीबी परियोजना के ईसी में लगाई शर्तों की निगरानी करने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने और अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्टों तथा पर्यावरण विवरणों की कुछ प्रतिशत जांच के लिए अनुसूची विकसित करने पर विचार करें। (पैराग्राफ 4.2 से 4.20)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।
13.	एमओईएफएण्डसीसी पर्यावरणीय प्राचलों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रस्तावक द्वारा लगाए जाने वाले पद/पदों के नाम तथा संख्या उल्लिखित करने हेतु उचित शर्त लाने पर विचार करें। (पैराग्राफ 5.2)	अनुपालन हेतु सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं।
14.	एमओईएफएण्डसीसी निगरानी केन्द्रों के प्रतिष्ठापन और वायु, सतही जल, भूजल, ध्वनि आदि के संबंध में विभिन्न पर्यावरण प्राचलों की निगरानी की बारंबारता पर अनिवार्य ईसी शर्त लाने पर विचार करें। (पैराग्राफ 5.3 तथा 5.4)	परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।	मंत्रालय ईसी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
15.	एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी के परामर्श से पर्यावरणीय प्राचलों की तीसरी पार्टी से परीक्षण को सत्यापित करने के लिए पीपी के परिसर में एसपीसीबी द्वारा आकस्मिक जांच की प्रणाली आरंभ करने पर विचार करे। (पैराग्राफ 5.5)	तीसरी पार्टी जांच पारदर्शिता तथा उद्देश्यता बढ़ाने के लिए आरंभ की गई है क्योंकि एसपीसीबीज तथा सीपीसीबी निगरानी की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है क्योंकि एसपीसीबी द्वारा तीसरी पार्टी सत्यापन कराना एक दुष्चक्र पैदा कर सकता है।	मंत्रालय इसी में लगाई शर्त के अनुसार तीसरी पार्टी द्वारा जांच का सत्यापन कराने का तंत्र विकसित करें क्योंकि तीसरी पार्टी स्वयं पीपीज द्वारा नियुक्त की जाती है और हिंसा का टकराव पैदा करता है।
16.	एमओईएफएण्डसीसी नियमित अंतरालों पर गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र की कार्ययोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्श जारी करें। (पैराग्राफ 6.3)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
17.	एमओईएफएण्डसीसी यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करें कि अनुपालना रिपोर्टें नियमित रूप से तथा समय से प्राप्त हो और पीपी तथा मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइटों पर अपलोड की जाएं। (पैराग्राफ 7.3 तथा 7.4)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
18.	एमओईएफएण्डसीसी संबन्धित आरओ में वैज्ञानिकों की अपेक्षित संख्या रखने के लिए शीघ्र उपाय करें। (पैराग्राफ 7.5)	गत दो वर्षों में रिक्तियाँ भरने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
19.	दोषी पीपी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एमओईएफएण्डसीसी को आरओ को और अधिकार सौंपकर एक प्रणाली बनानी चाहिए। (पैराग्राफ 7.6)	इसी शर्तों के अननुपालन के मामलों से निपटने के लिए सिविल मौद्रिक सहित प्रावधान का भिन्न स्तर सम्मिलित करने के लिए अधिनियम में संशोधनों पर विचार किए जा रहे हैं।	मंत्रालय अधिनियम में उचित संशोधन शामिल करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करें।

क्र.सं.	सिफारिशें	प्रबन्धन/मंत्रालय का उत्तर	लेखापरीक्षा की आगे की अभ्युक्तियाँ
20.	एमओईएफएण्डसीसी में एक प्रणाली होनी चाहिए जहाँ आरओ से प्राप्त उल्लंघन की रिपोर्टों को आरओ के समन्वयन में संकलित किया जाएं और लगातार निगरानी हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीपी ईसी की शर्तों का पालन करें और कानून के मुताबिक करवाई करें। (पैराग्राफ 7.8)	मंत्रालय ने लेखापरीक्षा उल्लिखित मामलों पर विशेष टिप्पणियाँ नहीं दी थीं।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
21.	एमओईएफएण्डसीसी ईसी पत्र तथा ईआईए रिपोर्टों में की गई वचनबद्धताओं के अनुपालन की निगरानी का उत्तरदायित्व स्पष्टतया सौंपने के तौर तरीके बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करें। (पैराग्राफ 8.2)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
22.	एमओईएफएण्डसीसी परियोजना प्रस्तावों को सीटीई तथा सीटीओ देने के बाद आवधिक निगरानी के लिए एसपीसीबी/यूटीपीसीसी को परामर्शी जारी करें। (पैराग्राफ 8.3)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।
23.	एमओईएफएण्डसीसी एसपीसीबी की अवसंरचना तथा जनशक्ति मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दे ताकि ताकि क्षेत्राधिकारों में चल रही परियोजनाओं की ईसी शर्तों की उचित निगरानी कर सकें। (पैराग्राफ 8.6)	सिफारिश नोट कर ली गई है।	आगे कोई अभ्युक्ति नहीं है।



अनुबंध IV  
(पैराग्राफ संदर्भ :2.2)

ईआईए प्रक्रिया की समय सीमा का पालन

संदर्भ की शर्तों की मंजूरी में विलम्ब

तालिका 1: संदर्भ की शर्तों की मंजूरी में विलम्ब

ईएसी <sup>38</sup>	60 दिनों की निर्धारित सीमा के अन्दर टीओआर अनुदान पाने वाली परियोजनाएं	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	10	9	10	3	0
2. उद्योग	4	9	10	7	4
3. गैर कोयला खनन	8	5	8	8	5
4. निर्माण	इस मामले में टीओआर लागू नहीं था				
5. अवसंरचना विकास	2	10	14	6	1
6. नदी घाटी तथा जलविद्युत	1	3	0	1	1
7. ताप विद्युत	3	11	18	8	1
जोड़	28	47	60	33	12
चयनित मामलों का %	18	22	28	15	6

<sup>38</sup> 7 कोयला खनन को टीओआर के लिए छूट प्राप्त थीं क्योंकि ये विस्तार परियोजनाएं थीं। 3 गैर कोयला खनन, 5 अवसंरचना तथा 1 नदी घाटी के संबंध में विलम्ब परिकल्पित नहीं किया जा सका क्योंकि टीओआर की फाइलें मिल नहीं रही थीं।

तालिका 2: अंतिम ईआईए रिपोर्ट की समीक्षा में विलम्ब

ईएसी <sup>39</sup>	परियोजनाएं जहाँ अंतिम ईआईए रिपोर्ट की समीक्षा 30 दिनों की समय सीमा के अन्दर की गई थी	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	9	4	3	4	1	1
2. उद्योग	9	11	6	1	0	0
3. गैर कोयला खनन	3	8	17	1	0	0
4. भवन/निर्माण	6	2	10	2	0	0
5. अवसंरचना विकास	8	8	7	0	0	0
6. नदी घाटी तथा जलविद्युत	1	1	3	1	0	0
7. ताप विद्युत	38	3	0	0	0	0
जोड़	74	37	46	9	1	1
चयनित मामलों का %	34	17	21	4	1	1

<sup>39</sup> 17 कोयला खनन, 8 गैर कोयला खनन, 7 औद्योगिकी, 15 अवसंरचना और 1 नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में विलम्ब परिकल्पित नहीं किया जा सका क्योंकि ईएसी के सदस्यों को अंतिम ईआईए रिपोर्ट तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के संचार की तारीख फ़ाइल में पाई नहीं गई थी।

तालिका 3: ईएसी द्वारा आवेदन के मूल्यांकन में विलम्ब

ईएसी <sup>40</sup>	परियोजनाएं जहाँ ईएसी द्वारा आवेदन का मूल्यांकन 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अन्दर किया गया था।	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	7	2	5	9	9	7
2. उद्योग	12	5	8	3	4	2
3. गैर कोयला खनन	7	3	13	3	8	1
4. भवन/निर्माण	12	2	0	4	2	0
5. अवसंरचना विकास	9	2	8	2	4	2
6. नदी घाटी तथा जलविद्युत	2	0	1	0	1	2
7. ताप विद्युत	33	2	2	4	0	0
<b>जोड़</b>	<b>82</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>14</b>
चयनित मामलों का %	40	7	17	12	13	6

<sup>40</sup> दो कोयला खनन, 11 अवसंरचना तथा 1 नदी घाटी परियोजना में विलम्ब निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज़ फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

तालिका 4: सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईएसी की सिफारिशें रखने में विलम्ब

ईएसी <sup>41</sup>	परियोजनाएं जहाँ ईएसी की सिफारिशें 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अंदर अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी गई थी।	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	5	11	16	6	1	0
2. उद्योग	0	22	10	2	0	0
3. गैर कोयला खनन	0	5	10	10	7	1
4. भवन/निर्माण	4	4	10	2	0	0
5. अवसंरचना विकास	0	7	21	6	0	0
6. नदी घाटी तथा जलविद्युत	0	0	2	3	1	0
7. ताप विद्युत	5	5	19	9	2	1
<b>जोड़</b>	<b>14</b>	<b>54</b>	<b>88</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>2</b>
<b>चयनित मामलों का %</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

<sup>41</sup> 4 गैर कोयला, 4 अवसंरचना तथा 1 नदी घाटी परियोजना में विलम्ब निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज फाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

**तालिका 5: ईएसी की सिफ़ारिशों की प्राप्ति और आवेदक को अपना निर्णय सूचित करने में विलम्ब**

ईएसी <sup>42</sup>	परियोजनाएं जहाँ ईएसी की सिफ़ारिशें तथा एमओईएफ एण्ड सीसी का निर्णय 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचित किया गया था।	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	11	9	13	5	1	0
2. उद्योग	5	8	16	4	1	0
3. गैर कोयला खनन	2	5	11	8	8	2
4. भवन/निर्माण	5	4	6	3	1	1
5. अवसंरचना विकास	1	10	12	11	0	0
6. नदी घाटी तथा जलविद्युत	0	0	3	0	3	0
7. ताप विद्युत	13	8	11	5	3	1
<b>जोड़</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>4</b>
<b>चयनित मामलों का %</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

<sup>42</sup> 1 गैर कोयला, 3 अवसंरचना तथा 1 नदी घाटी परियोजना में विलम्ब निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

तालिका 6: आवेदकों को ईसी सूचित करने में विलम्ब

ईसी <sup>43</sup>	परियोजनाएं जहाँ ईसी 105 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अन्दर आवेदक को सूचित की गई थी।	0-30 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	31-90 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	91-180 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	181-365 दिनों के विलम्ब वाली परियोजनाएं	365 दिनों से अधिक विलम्ब वाली परियोजनाएं
1. कोयला खनन	4	1	5	7	13	8
2. उद्योग	4	3	13	7	5	2
3. गैर कोयला खनन	1	0	4	10	10	9
4. भवन/ निर्माण	1	3	4	7	3	2
5. अवसंरचना विकास	4	2	6	12	7	4
6. नदी घाटी तथा जलविद्युत	0	0	0	2	2	2
7. ताप विद्युत	9	3	6	11	7	5
<b>जोड़</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>56</b>	<b>47</b>	<b>32</b>
<b>चयनित मामलों का %</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>15</b>

<sup>43</sup> 1 कोयला, 3 गैर कोयला, 3 अवसंरचना और 1 नदी घाटी परियोजना में विलम्ब निर्धारित नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित दस्तावेज फ़ाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

**अनुबंध V**  
**(पैराग्राफ संदर्भ:2.13)**  
**ईसी शर्तों की असमानता**

असम्भाव्य/अकार्यन्वीय शर्तों के मामले नीचे विशेष उल्लिखित हैं:

**1. बिहार:**

ताप क्षेत्र		
मानक शर्त	में. नबीनगर पावर जेनरेशन कंपनी लि. का नबीनगर एसटीपीपी	मेंका कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कांति बिजली उत्पादन लि.
कोयला में राख मात्रा अधिकतम 34% और सल्फर मात्रा 0.5% होगी (अधिकतम)	ईसी के अनुसार कोयला में राख मात्रा अधिकतम 34% तथा सल्फर मात्रा 0.5% होगी (अधिकतम)	ईसी के अनुसार कोयला में राख मात्रालगभग 41% और सल्फर की मात्रा 0.15 % होगी ।
विविक्त उत्सर्जन 50 एमजी/ एनएम3 से अधिक ना हो	विशेष शर्त (IV) के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विविक्त उत्सर्जन 50 एमजी/ एनएम 3 से अधिक ना हों, उच्च क्षमता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीप्रिटेटर्स(ईसपीएस) लगाये जायेंगे	विशेष शर्त सं (IV) के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विविक्त उत्सर्जन 100 एमजी/ एनएम 3 से अधिक ना हों, उच्च क्षमता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसीप्रिटेटर्स(ईसपीएस) लगाये जायेंगे ।

## 2. चंडीगढ़:

	निर्माण			अवसंरचना	निर्माण	
शर्त	में.सीएसजे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.का संघटित वाणिज्यिक परिसर	चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड की पुनर्वास योजना तथा जेनरल योजना	में. रियल टेक कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.के सिटी एम्पोरियम माल का निर्माण	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का चंडीगढ़ हवाईअड्डे में नए यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण	में. भारती एयरटेल प्रा .लि.के आईटी/टेलिकॉम सेवाओं के कार्यालय का निर्माण	में. कुन्जल बिल्डर्स प्रा.लि.के डी एल एफ होटल सह सम्मलेन केन्द्र का निर्माण
इसी शर्त लोड करना और परियोजना परिसरों में इनका प्रदर्शन करना (परिवेशी वायु गुणवत्ता डाटा )	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है।	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है।	ईसी पत्र में शर्त निर्दिष्ट है।	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है।	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है।	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है।
आंतरिक सडकों की चौड़ाई के संबंध में निर्माण चरण की शर्त	लागू नहीं	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है।	इस परियोजना में ईसी शर्त निर्दिष्ट नहीं है।	लागू नहीं	ईसी में प्रदत्त	ईसी में प्रदत्त

## 3. झारखण्ड:

	कोयला खनन			
शर्तें	120 एम डब्लू कोयला आधारित टाटा पाँवर की पीपी विस्तार ईकाई	सेंट्रल कोल लि. की टोपा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की विस्तार ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना (सिकनी)	सेंट्रल कोल लि.की अशोका ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना
पर्यावरण विवरण, वर्षा जल संचयन के प्रस्तुतीकरण तथा प्रदूषक तत्वों का गैर प्रदर्शन	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं



#### 4. महाराष्ट्र:

	उद्योग		
शर्तें	थाल अमोनियम संयंत्र की अड़चने दूर करना (में. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड )	सीमेंट संयंत्र का विस्तार और केप्टिव पावर प्लांट (में मानिकगढ़ सीमेंट )	विसाका इंडस्ट्रीज
सीटीओ /सीटीई प्राप्त करना	शर्त नहीं	शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट
प्रवेश द्वार पर पर्यावरणीय प्रांचलों का प्रदर्शन	शर्त निर्दिष्ट	शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट
रोपण कार्यो हेतु वन विभाग के साथ परामर्श	शर्त नहीं	शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट
घरेलू बहिस्त्राव सेप्टिक टैंक उसके बाद सोक पिट में संसाधित किया जायेगा।	शर्त निर्दिष्ट	शर्त निर्दिष्ट	शर्त नहीं

	कोयला खनन		
शर्तें	निज्जल ओपन कास्ट कोयला खनन विस्तार परियोजना (में. वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड)	नैगानओपन कास्ट कोयला खनन विस्तार परियोजना (में. वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड)	गौरीदीप ओपन कास्ट कोयला खनन विस्तार परियोजना (में. वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड)
वर्तमान कुओं तथा न्यूजीमीटर के निर्माण का नेटवर्क स्थापित कर भूजल स्तर तथा गुणवत्ता निगरानी की जायेगी	ईसी में कोई शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट	शर्त निर्दिष्ट
यदि निगरानी जल स्तर में कमी को दर्शाती है तो भूजल संसाधनों को बढ़ाने के लिए कृत्रिम भूजल रिचार्ज उपाय	ईसी में कोई शर्त नहीं	शर्त निर्दिष्ट	शर्त निर्दिष्ट
पर्याप्त क्षमता के सीएचपी में उच्च क्षमता बैंग फिल्टरों के साथ क्रशर प्रचलित किए जायेंगे, क्रशिंग प्रचालनों, कन्वेयर सिस्टम, कर्षण सड़कों, स्थानांतरण केन्द्रों आदि के पलायन उत्सर्जन रोकने के लिए वाटर स्पिन्केलसिस्टम मुहैया किए जायेंगे	शर्त निर्दिष्ट	शर्त निर्दिष्ट	ईसी में कोई शर्त नहीं

निर्माण			
शर्तें	प्राइड सॉफ्ट हिंदी परियोजना (मैं. प्राइड बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड)	रिलिन प्रईवेट आईटी पार्क (मैं. रिलिन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड)	लवासा सिटी (मैं. लवासा कार्पोरेशन लिमिटेड)
ईएसआर/व्यय के अंतर्गत कार्यकलाप का अलग लेखा रखना	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं	ईसी में कोई शर्त नहीं

## 5. मेघालय

शर्तें	उद्योग	उद्योग	निर्माण	ताप	अवसंरचना	गैर कोयला खनन
शर्तें	फैरो सिलिकॉन संयंत्र	फैरो अलॉय संयंत्र	शिल्लोंग होटल	ताप विद्युत संयंत्र	एन एच 44 की 4/6 लेनिंग तथा सेनेटरी	माउमलुह लाइम स्टोन
पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए चिह्नित निधियों को अलग रखना	ईसी में शर्त नहीं	शर्त लगाई	ईसी में शर्त नहीं	ईसी में शर्त नहीं	ईसी में शर्त नहीं	शर्त लगाई
पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए निधियों का प्रावधान	शर्त लगाई	शर्त लगाई	शर्त लगाई नहीं गयी थी	शर्त लगाई नहीं गयी थी	शर्त लगाई	शर्त लगाई नहीं गयी थी
लोक क्षेत्राधिकार में सुविधाजनक स्थान पर नाजुक प्रदूषक स्तरों का प्रदर्शन	शर्त लगाई	शर्त लगाई	शर्त लगाई	शर्त लगाई	ईसी में अनुबद्ध नहीं	ईसी में अनुबद्ध नहीं
बाढ़ संकट से संयंत्र की सुरक्षा और जीरो बहिस्त्राव विसर्जन	ईसी में शर्त लगाई	ईसी में शर्त नहीं लगाई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

## 6. मिजोरम:

उद्योग		
शर्तें	आयल इंडिया लिमिटेड का अन्वेषणत्मक भेदन	तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का एनइएलपी -II में तेल तथा गैस का अन्वेषणत्मक भेदन
उपरी मिट्टी को हटाना	ईस ईसी में शामिल नहीं	ईसी में शामिल

## 7. राजस्थान:

	गैर-कोयला खनन	गैर कोयला खनन	गैर कोयला खनन	गैर कोयला खनन
शर्तें	में. एपेक मिनरल इंडस्ट्रीज की काग्मादर सोपस्टोन खनन परियोजना (राजसमंद)	में. राजेन्द्र प्रसाद की सोनारिया सोपस्टोन खनन परियोजना (उदयपुर)	में. ठेकेदार रविन्द्र भारद्वाज की सैंडस्टोन खान	में. ठेकेदार सुनैना शर्मा की सैंडस्टोन खान
वर्षा जल उपायों का कार्यान्वयन	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल
कंपनी के निदेशक बोर्ड को निगम पर्यावरण उत्तरदायित्वके लिए नीति के प्रस्तुतीकरण के संबंध में शर्तें शामिल न करना	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल नहीं

## 8. कर्नाटक

शर्तें	में. रामकी एनवीरो इंजीनियरस लिमिटेड की संघटित ठोस अपशिष्ट परियोजना	में. पैरामाउंट विजेता होल्डिंग्स के आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण	में साई अमरुथा फार्मा की बल्क डग तथा मध्यवर्ती विनिर्माण यूनिट	में. सनविक स्टील्स का स्पंज आयरन प्लान	में. एनएचआई 17 का कुण्डपुरा/ सुरथकल स्ट्रेच का 4/6 लेनिंग
इएमपी के लिए अलग लेखा बनाना	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं

शर्तें	मै. एनएसएसके बीजापुर चीनी संयंत्र का विस्तार	मै. एमएमएल, बागलकोटे की डोलेमाईट	मै. विकेट सागर का सीमेंट संयंत्र	मै. निगरानी सुगर्स की शीरा आधारित डिस्टिलरी	मै, साईं अमरूथा फार्म की बुलक डग तथा मध्यवर्ती विनिर्माण यूनिट	मै. केएनएनएल की श्री रामेश्वर लिफ्ट इरिगेशन योजना	मै. एमआरपीएल का पोलोप्रप्लिन संयंत्र जोड़कर विस्तार	मै. एनएचएआई 17 का कुण्डपुरा सुराथकल स्ट्रेच का 4/6 लेनिंग
ईएसआर लागत का विनिर्देशन न करना	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं

शर्तें	मै. एनएसएस बीजापुर चीनी संयंत्र का विस्तार	मै. रामकी एनवीरों इंजीनियर्स लिमिटेड की संघटित ठोस अपशिष्ट परियोजना	मै. एसएलआर मेटालिक्स बेल्लारी का सिंटर संयंत्र सहित पिग आयरन परियोजना	मै.केएनएनएल की श्री रामेश्वर लिफ्ट इरीगेशन योजना	मै. एनएचएआई 17 का कुण्डपुरा सुराथकल स्ट्रेच का 4/6 लेनिंग
वर्षा जल संचयन संरचना का प्रतिस्थापन	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं	इस ईसी में निर्दिष्ट नहीं

## 9. पश्चिम बंगाल:

शर्तें	कोयला खनन	कोयला खनन	कोयला खनन	कोयला खनन
	शंकरपुर यू/जी कोयला खान परियोजना	बंसरा कोयला खान	सोनपुरबजारी ओसीपी	मोहनपुर ओसीपी
धंसान भविष्यवाणी प्रतिरूपण	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं
भारी धातुओं पर निगरानी डाटा	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	-
ओ पी उम्प का निर्णायक ढल	लागू नहीं	लागू नहीं	इस ईसी में शामिल नहीं	इस ईसी में शामिल
भूजल निगरानी ढाल	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल	इस ईसी में शामिल नहीं

## अनुबन्ध VI

(पैराग्राफ संदर्भ : 7.6)

### आरओ द्वारा देखे गए गैर-अनुपालन

विशेष शर्तें	सामान्य शर्तें
<ul style="list-style-type: none"> <li>फलाई ऐश के उपयोग के वर्षवार ब्यौरे नहीं बनाए गए थे और फलाई ऐश ईंटों का उपयोग न करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>विकसित हरित पट्टी क्षेत्र अनुबद्ध 33 प्रतिशत से काफी कम होते प्रतीत हुए हैं और हरित पट्टी के विकास/रोपण ब्यौरे बनाए नहीं गए थे।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्षाजल संग्रहण विकसित करने की योजना के बारे में ब्यौरे और रीचार्ज प्रणाली स्थापित नहीं किए गए थे</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्युत संयंत्र के मुख्य द्वार पर एसओ तथा एनओ का प्रदर्शन न करना</li> <li>एसटीपी आउटलेट तथा शोर स्तर</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>भूजल गुणवत्ता की जांच करने के अलावा भूमि से जल निकालने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन/विस्तार नहीं लिया गया था</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ईएसआर कार्यकलापों का भौतिक तथा वित्तीय परियोजना लागत और संघटक वार व्यय, प्रचालन की सहमति का नवीकरण न करना</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>कृत्रिम भूजल रीचार्ज उपायों की विस्तृत योजना लागू नहीं की गई थी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सौर ऊर्जा प्रकाश व्यवस्था के उपयोग की कार्य योजना</li> <li>सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के अंतर्गत बीमा पॉलिसी</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>एसपीसीबी से एनओसी सहित सांविधिक प्राधिकरणों से निर्बाधन/अनुमोदन लिया नहीं गया</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>सरकारी सीवर लाइन से जोड़ना</li> <li>सीईटीपीजी की स्थापना की अनुसूची</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से लाइसेंस</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ठोस अपशिष्ट का संग्रहण</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>वन भूमि के विपथन के बारे में सूचना प्रस्तुत न करना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ठोस अपशिष्ट तथा एसटीपी संयंत्र आदि से गंध का निवारण</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक अनुमोदन नहीं लिया गया।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वित्तीय संवृत तथा अंतिम अनुमोदन की तारीख</li> <li>गृह व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता थी</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>श्रमिकों की समय समय पर स्वास्थ्य जांच और व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम की सूचना न भेजना/ श्रमिक कल्याण उपायों के बारे में कोई अभिलेख श्रमिकों को दिया नहीं जा रहा था</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कार्यस्थल पर सुरक्षा पहलुओं को पूर्णतया अनदेखा किया गया।</li> <li>निर्मित क्षेत्र में परिवर्तन देखे गए थे</li> <li>व्यय/ ईएसआर की गतिविधियों पर खर्च पर खर्च/ ईएमपी का आवंटित व्यय ईसी की विशेष शर्त के संदर्भ प्रस्तुत नहीं किया गया था</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>नदी तथा खनन क्षेत्र के नजदीकी गावों से सतही जल गुणवत्ता की निगरानी आरम्भ नहीं की गई थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्मित ऊर्जा संरक्षण प्रतिमानों के समर्थक ऊर्जा संरक्षण उपायों पर रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>विस्थापित जनसंख्या को वैकल्पिक भूमि नहीं दी गई थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिवेशी वायु गुणवत्ता के निगरानी केंद्र की स्थापना नहीं की गई थी।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>बड़ी ओपन कास्ट खानों के समकालिक परिचालन के प्रभावों की दीर्घावधि निगरानी और स्रोत विभाजन अध्ययन अभी भी किए नहीं गए थे।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>मिट्टी की गुणवत्ता तथा पेयजल की गुणवत्ता</li> </ul>

विशेष शर्तें	सामान्य शर्तें
<ul style="list-style-type: none"> <li>• खनित तथा सुधार क्षेत्रों के फोटोग्राफ का प्रस्तुतीकरण</li> <li>• तट बन्धों तथा माला नालियों के ब्यौरे</li> <li>• खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन तथा निपटान</li> <li>• भूरे तथा काले जल का पृथक्करण</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुमोदित निजी प्रयोगशाला द्वारा नवीनतम चिमनी उत्सर्जन निगरानी, परिवेशी वायु गुणवत्ता, खतरनाक अपशिष्ट, भूजल विश्लेषण तथा अनुमोदित प्राईवेट लेब द्वारा मिट्टी नमूना विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत न करना</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• व्यापक ऊपरी क्षेत्र जलग्रहण संसाधन का अध्ययन, जल संरक्षण उपायों का कार्यान्वयन</li> <li>• वनस्पतियों के लिए कार्ययोजना</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ठोस अवशिष्ट उत्पादन तथा डम्पिंग स्थानों से डम्प के ब्यौरे</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• निम्नीकृत वन क्षेत्र की पहचान, भूजल स्तर की निगरानी, चल शौचालयों, एसटीपी का प्रावधान, गाद अध्ययन आदि</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से “स्थापना की सहमति” और “प्रचालन की सहमति” नवीकृत नहीं की गई थी और कुछ मामलों में प्राप्त भी नहीं की गई थी।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• कृषियोग्य बंजरभूमि की पहचान नहीं की गई थी और चारा खेती अथवा अन्य उचित उत्पादक बंजर भूमि का उपयोग नहीं किया गया था।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• शुष्क कोहरा प्रणाली/ कुहासा छिडकाव प्रबंध प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे जैसा अनुबद्ध किया गया।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ट्रक/ लॉरी पार्किंग क्षेत्र में धूल दमन अपयार्प्त था और पार्किंग भी सीमेंटेड नहीं की गई थी।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूकम्पीय संकट पर अध्ययन न करना जैसा अनुबद्ध किया गया।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ऊपरी मिट्टी प्रबंधन असंतोषजनक था।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• कूड़ा करकट/ खोदी गई मिट्टी के निपटान के स्थान की सूचना दी नहीं गई थी।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• पाइपलाइन के सुरक्षित प्रचालन और रिसाव खोज प्रणाली के लिए समर्पित आप्टीकल फाइबर आधारित दूरसंचार लिंक के साथ स्काड़ा प्रणाली का प्रतिष्ठापन न करना।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• पृष्ठ भराव सम के ब्यौरे बनाए नहीं गए थे।</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• भारी धातुओं जैसे एचजी, पीबी, सीआर तथा एएस का विश्लेषण नहीं किया गया था जैसा अनुबद्ध किया गया।</li> </ul>	

## अनुबंध VII

(पैराग्राफ संदर्भ: 8.5)

### एसपीसीबीज को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

राज्य	हमारी आपत्तियाँ
1. आंध्र प्रदेश	तीन परियोजना प्रस्तावको ने एक बार भी छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी और एक परियोजना प्रस्तावक वर्क सयंत्र का विस्तार ने केवल एक बार प्रस्तुत की ।
2. असम	एक परियोजना में कैलाशपति सीमेंट (प्राइवेट) में छमाही अनुपालन केवल 2014 तक प्रस्तुत किया गया था।
3. बिहार	हमारी संवीक्षा में पता चला कि में बालाजी तथा में एनएचआई ने कोई छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। अन्य छः प्रस्तावकों ने 1 जुलाई 2011 से 31 दिसम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान दस की आवश्यकता के प्रति एक से आठ बार के बीच अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
4. चंडीगढ़	चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, में रीयल टेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय विमान, पत्तन प्राधिकरण, भारती एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड तथा में कुज्जल बिल्डर्स ने नियमित रूप से छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी तथापि अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए पिपीज के विरुद्ध सम्बंधित अधिकारियों द्वारा कोई करवाई नहीं की गई थी।
5. दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव	पाँच परियोजनाओं में से चार (में आलोक, में जेबीएफ, में पीसीएल, में सनाथन ने सभी वर्षों के लिए सुसंगत कार्यालय को छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। परियोजना ने जून (में लिमिटेड परफेक्ट फिलामेंट) ने जून 2011 से दिसम्बर 2015 तक की अवधि के लिए कोई भी छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।
6. गुजरात	हमने देखा कि एन आर अग्रवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात ईको टैक्सटाईल पार्क, में गुरु नानक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज, में जेके पेपर्स लिमिटेड, मैसर्स, सवला कैमिकल्स लिमिटेड, मैसर्स शंकूज फार्मास्यूटिकल्स, में गुजरात अम्बूजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड तथा मैसर्स मैटरेन लिमिटेड ने छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।
7. हरियाणा	पाँच मामलो (आईओसीएल द्वारा पानीपत शोधनशाला में इमल्सन स्टाइरिन प्रतिष्ठान, दादपुर नलवी सिंचाई परियोजना, रोहतक में सीसा संसाधन यूनिट, गारमेंट लेदर डाईंग तथा फीनिशिंग यूनिट बहादुरगढ़, जिला झज्जर, फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग घरोंदा, करनाल का विस्तार) में छमाही अनुपालन रिपोर्ट एसपीसीबी को एक बार भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। सीपीसीबी तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों 12 पीपीज में निर्धारित तारीख पर नियमित रूप से छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

राज्य	हमारी आपत्तियाँ
8. हिमाचल प्रदेश	निर्धारित अनुसूची के अनुसार परीक्षित परियोजनाओं के पीपीज द्वारा छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। जी सिटी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट ने उपर्युक्त अवधि के दौरान कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि परियोजना अगस्त 2010 से रोक दी गई थी। एग्जिट कान्फ्रेंस में प्रधान सचिव ने बताया कि पीपीज को भविष्य में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा।
9. जम्मू एण्ड कश्मीर	एक पीपी (आईओसीएल) ने एसपीसीबी, एमओईएफएण्डसीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों को छमाही अनुपालन रिपोर्ट कभी प्रस्तुत नहीं की थी जे के सीमेंट के लाईमस्टोन खान सेफको सीमेंट लिमिटेड तथा ट्राम्बू सीमेंट इंडस्ट्री ने एक छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
10. झारखण्ड	एक परियोजना (सिकनी कोयला खान) 2012-2015 के दौरान आयोजित छ रिपोर्टों के प्रति जनवरी 2014 में केवल एक बार छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।
11. केरल	उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक प्रस्तावक से देय दस अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट से मै० पुरावकारा ने पाँच रिपोर्ट दाखिल की, मै० हीरा ने दो रिपोर्ट दाखिल की और मै० इन्फोसिस ने सात रिपोर्ट दाखिल की शेष पाँच परियोजनाओं से कोई अनुपालन रिपोर्ट नहीं मांगी थी। इसके अलावा मै० पुरावकारा तथा मै० हीरा के संबंध में छमाही अनुपालन रिपोर्ट में अवधि को उल्लेखित नहीं किया गया था।
12. मध्य प्रदेश	एक परियोजना प्रस्तावक मै० आर्याव्रत हॉउसिंग कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड ने एक बार भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। दो परियोजना प्रस्तावको अम्बारा ओपन कास्ट और झरना भूजल खोज परियोजना, मै० डब्लूसीएल, छिंदवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट 24 से 48 महीनों के बीच विलम्ब से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अन्य दस मामलों में विलम्ब एक से चार माह के बीच था। नौ मामलों में प्रस्तुतीकरण आवर्तक थे।
13. महाराष्ट्र	26 परियोजना में से तीन (किरलोस्कर फैरस इंडस्ट्रीज, लायड कोल वासरी तथा पतगोवरी डोलोमाईट खान) के लिए किसी प्राधिकरण को छमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी।
14. मेघालय	चार परियोजनाओं यथा सिलोंग होटल, सैनिटरी लैण्डफिल, फैरो सिलिकॉन प्लांट और मावमलुह लाईमस्टोन माईन के मामलों में अनुपालन रिपोर्ट अप्रैल से सितम्बर और अक्टूबर से मार्च को समाप्त अवधि को लिए प्रस्तुत की गई थी और अधिसूचना में प्रावधान के अनुसार एक जून तथा एक दिसम्बर को नहीं जो अनियमित था। एमओईएफएण्डसीसी तथा आरओ द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही नहीं की गई थी कि पीपीज ने यथाअनुपद रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दो परियोजना (मेघालय पावर लिमिटेड, पीपी तथा सैनिटरी लैण्डफिल) के मामलों में दस अनुपालन रिपोर्ट के बजाए पीपीज ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एओईएफएण्डसीसी ने अनुपालन रिपोर्ट के अनियमित प्रस्तुतीकरण पर की कार्यवाही नहीं की थी।



राज्य	हमारी आपत्तियाँ
15.ओडिशा	एनएच 6 के सम्बलपुर बरगढ़ खंड का लेनिंग परियोजना ने छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी जबकि रेजीडेन्शियल हाउसिंग काम्पलैक्स शंकरपुर, परियोजना मामलों में परियोजना प्रस्तावक ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।
16.पंजाब	केवल दो पीपीज (तलवंडी सालो पावर लिमिटेड मनसा तथा भटिंडा की डिस्टिलरी यूनिट) ने नियमित रूप से अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाँच परियोजनाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। और 2 से 6 रिपोर्टों के बीच कमियां पाई गई। एक पीपी (अमृतसर एयरपोर्ट ने) एमओईएफएण्ड सीसीई को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। जवाब मार्च 2008 में जारी किया गया था।
17.राजस्थान	पीपीज द्वारा प्रस्तुत सूचना अभिलेखों कि संवीक्षा से पता चला कि 18 चयनित परियोजना में से छः परियोजना में रिपोर्ट भेजी नहीं गई थी और दो परियोजनाओं में छमाही अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी नहीं गई थी।
18.तमिलनाडु	पाँच पीपीज ने अपनी विवरणियां समय पर प्रस्तुत की थी, को पीपी ने को अस्थाई रूप से प्रस्तुत की और सभी अर्धवार्षिक अवधि के लिए नहीं। जबकि सात अन्य पीपीज ने अपने विवरणियां आवधिक रूप से प्रस्तुत नहीं की थी। एक पीपी के संबंध में यद्यपि यह कहा गया था कि विवरणियां प्रस्तुत कि गई थी परन्तु प्रतियां टीएनपीसीबी अथवा इसके क्षेत्रीय कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी।
19.तेलंगाना	सभी चार पीपीज ने नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।
20.उत्तर प्रदेश	11 परियोजनाओं में से चार परियोजना प्रस्तावकों ने एक बार भी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। दो अन्य मामलो (शीरा आधारित 75 केएलपीडी तथा मै० पार्श्वनाथ प्लेनेट) में पीपीज अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अनियमित थे।
21.उत्तराखण्ड	कोशी नदी से छोटे खनिजों का संग्रहण, रामनगर, जाखान 2, भारत ऑयल और अपशिष्ट प्रबंधन लिमिटेड, मै० लोटस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, मै० ओमेक्स लिमिटेड, कालकाजी, नई दिल्ली और मै० गामा इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, पीपीज ने छमाही अनुपालन रिपोर्ट नियमित रूप से और समय से प्रस्तुत नहीं की थी।

## संकेताक्षर

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
बीओडी	बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग
सीएटी	जलग्रहण क्षेत्र उपचार
सीबीडी	जैव विविधता पर सम्मेलन
सीईपीआइ	व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक
सीजीडब्ल्यूएल	केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
सीएचपी	संयुक्त ताप तथा शक्ति
सीओडी	रासायनिक ऑक्सीजन की मांग
सीपीए	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र
सीपीसीबी	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीपी	सह उत्पादन विधुत संयंत्र
सीआरजैड	तटीय विनियमन क्षेत्र
सीएसआर	निगम की सामाजिक जिम्मेदारी
सीटीई	स्थापित करने के लिए सहमति
सीटीओ	प्रचालन करने के लिए सहमति
डीएफओ	जिला वन अधिकारी
ईएसी	विशेषज्ञ आंकलन समिति
ईसी	पर्यावरणीय अनापत्ति
ईएफ	पर्यावरणीय बहाव
ईआईए	पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया
ईएमपी	पर्यावरण प्रबन्धन योजना
ईएसआर	उधम सामाजिक उत्तरदायित्व
ईटीपी	अपशिष्ट उपचार संयंत्र
एफएसआई	भारतीय वन सर्वेक्षण
जीओआई	भारत सरकार
जीपीपी	गैस संसाधन संयंत्र
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
केएलपीडी	किलोलीटर प्रतिदिन
केवीए	किलोवोल्ट एमपीयर
एमओईएफएण्डसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
एमटी	मीट्रिक टन
एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
एमटीपीएम	मिलियन टन प्रति माह
एमडबल्यू	मेगावाट
एनएबीईटी	राष्ट्रीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड
एनईएमए	राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण
एनएचआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
एनटीपीसी	एनटीपीसी लिमिटेड
ओबी	अधिभार
ओसीपी	खुली खदान
ओएचएस	व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी
पीपी	परियोजना प्रस्तावक
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण
आरण्डआर	राहत एवं पुनर्वास
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
एसईएसी	राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति
एसईआईएए	राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
एसईएमए	राज्य पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण
एसजीडबल्यूबी	राज्य भूमि जल बोर्ड
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एसटीपी	मलजल उपचार संयंत्र
टीडीएसएफ़	उपचार, भंडारण और निपटान की सुविधा
टीओआर	संदर्भ की शर्तें
टीपीडी	टन प्रति दिन
टीपीपी	ताप विधुत संयंत्र
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
यूटीपीसीसी	केंद्र शासित प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण समिति
डबल्यूक्यूएम	जल गुणवत्ता निगरानी
जैडएसआई	भारतीय प्राणि सर्वेक्षण



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)